Telephone No.
205

'भविष्य' का चन्दा

वार्षिक चन्दा ... १२) रु०
छः माही चन्दा ... ६॥) रु०
तिमाही चन्दा ... ३॥) रु०
एक प्रति का मूल्य चार आने
Annas Four Per Copy

स्थानापन्न सम्पादिका :— श्रीमती लक्ष्मी देवी

Telegrams :
'Bhavishya'

एक प्रार्थना

वार्षिक चन्दे अथवा फ़ी कॉपी के मूल्य में कुछ भी नुक़्ताचीनी करने से पहिले मित्रों को 'भविष्य' में प्रकाशित अलभ्य सामग्री और उसके प्राप्त करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टिपात करना चाहिए।

वर्ष १, खण्ड ४ | इलाहाबाद—सोमवार ; ७ सितम्बर, १९३१ | सं० १३ पूर्ण सं० ४९

अपने असली भेष में—भारत के "एक मात्र प्रतिनिधि"

जिन्होंने गोलमेज़-परिषद् में भाग लेने के लिए २९वीं अगस्त को "एस० एस० राजपूताना" से लन्दन के लिए प्रस्थान किया !

शीघ्रता कीजिए !
नहीं तो पछताना पड़ेगा !!
मूल्य लागत मात्र
केवल ४) रु०
स्थायी ग्राहकों से
केवल ३) रु०
व्यङ्ग-चित्रावली
यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा; मनुष्यता की याद आने लगेगी; और सामाजिक क्रान्ति की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी। प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नग्न प्रदर्शन किया गया है। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, छुआछूत, परदा-प्रथा, पण्डे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयङ्कर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मँगाइए। एकरङ्गे, दुरङ्गे, तथा तिरङ्गे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय अङ्कित किया गया है। आज तक ऐसी चित्रावली कहीं से प्रकाशित नहीं हुई। मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३)
स्मृति-कुञ्ज
नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुखान्त कहानी है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अविच्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों की आहुति कर सकता है—ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक और चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, सुख-दुख, साधन-उत्सर्ग, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर दीख पड़ने लगता है। मूल्य केवल ३); स्थायी ग्राहकों से २।)
मूर्खराज
यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़ूर हो जायगी। दुनिया के झञ्झटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की मुर्दनी दूर हो जायगी, हास्य की अनोखी छटा छा जायगी। पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभी न छोड़ेंगे—यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिंह नामक एक महामूर्ख व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का संग्रह है। भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है। मूल्य केवल २)
अपराधी
सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के "रिज़रेक्शन" विक्टर ह्यूगो के "लॉ मिज़रेबुल" इबसन के "डॉल्स हाउस" गोस्ट और ब्रियो का "डैमेज़्ड गुड्स" या "मेटरनिटी" के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास की उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सर्वथा अवलम्बित होती है। उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !!
सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुदृष्टि, सरला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की धारा बह निकलती है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य केवल लागत मात्र २॥), स्थायी ग्राहकों से १॥।=)
व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की जाती है कि यथाशक्ति 'भविष्य' तथा 'चाँद' और विद्याविनोद-ग्रन्थमाला का प्रचार कर, व संस्था को और भी अधिक सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !!

पाठकों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों एवं व्यक्तिगत मङ्गल-कामना को दृष्टि में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !!

वर्ष १, खण्ड ४ | इलाहाबाद—सोमवार ; ७ सितम्बर, १९३१ | संख्या १३, पूर्ण संख्या ४९

हिन्दुस्तान की श्रमजीवी संस्थाओं से अपील

श्री० एम० एन० रॉय और उनके कार्य

[भारतीय श्रमजीवी आन्दोलन के प्राण—श्री० एम० एन० रॉय पर आजकल कानपूर में जो सनसनीपूर्ण मामला चल रहा है, वह पाठकों से छिपा न होगा। इस मामले के अन्तिम निर्णय पर बहुत हद तक भारतीय श्रमजीवी आन्दोलन का भविष्य निर्भर है ! इसलिए इस मामले की समुचित पैरवी करना आवश्यक हो गया है। केवल इसी उद्देश्य से एक ज़बर्दस्त डिफ़ेन्स कमिटी का निर्माण किया गया, जिसके सदस्य भूतपूर्व राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू, बङ्गाल के सुप्रसिद्ध नेता श्री० सुभाषचन्द्र बोस आदि कई गणमान्य सज्जन हैं। इसी कमिटी की ओर से राजा कालाकाँकर के अनुज कुँवर ब्रजेशसिंह जी ने इस कमिटी के संयुक्त मन्त्री की हैसियत से निम्न-लिखित अपील हमारे पास प्रकाशनार्थ भेजी है। इस अपील से पाठकों को श्री० रॉय महोदय तथा उनके उद्देश्यों और कार्यों का भी पता चलेगा। —स० 'भविष्य']

साथियो,

साथी रॉय ने जो अथक परिश्रम मज़दूर-आन्दोलन में, न केवल हिन्दुस्तान के लिए, बल्कि संसार के दूसरे बीसों देशों के लिए किया है, उसके यहाँ विस्तार से लिखने की ज़रूरत नहीं। जिन लोगों का मज़दूर-आन्दोलन या अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर आन्दोलन से सम्पर्क रहा है, वह अच्छी तरह जानते हैं कि साथी मानवेन्द्रनाथ रॉय ने अनेक देशों के श्रमिक आन्दोलन में कितना परिश्रम किया है। इन्होंने मैक्सिको, फ़िलिप्पाइन्स, डच इन्डीज़, चीन, जापान, मन्चूरिया, जर्मनी, फ़्रान्स, हॉलैण्ड, स्वीडन, स्पेन, अमेरिका और हिन्दुस्तान वग़ैरह स्थानों में श्रमजीवियों के आन्दोलन में काम किया है।

हिन्दुस्तान में श्रमजीवियों का झगड़ा इन्हीं के आन्दोलन का फल है। विदेश में बैठे हुए इन्होंने जिस तरह रास्ता बतलाया, उसी के अनुसार हिन्दुस्तान में मज़दूर आन्दोलन की काया-पलट हुई और क्रमशीलता के ठीक रास्ते पर आन्दोलन चलने लगा। यद्यपि रॉय विदेश में बहुत सी गम्भीर राजनैतिक समस्याओं में फँसे रहते थे, फिर भी इन्होंने हिन्दुस्तान के श्रमजीवियों के मामले पर पूर्ण ध्यान रक्खा। इन्होंने हिन्दुस्तान के बारे में चार प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं। 'इण्डिया इन ट्रानसिशन', 'फ़्यूचर ऑफ़ इण्डियन पॉलिटिक्स' या 'आफ़्टरमाथ ऑफ़ नॉन-को-ऑपरेशन' और 'वन इयर ऑफ़ नॉन-को-ऑपरेशन'। इनके अतिरिक्त इन्होंने कई साल तक 'दि मासेज़' और 'दि वान गार्ड' नाम के प्रसिद्ध पत्रों का सम्पादन किया। इनकी अन्तिम पुस्तक का नाम है 'रिवोल्यूशन ऐण्ड कौण्टर रिवोल्यूशन इन चाइना'। इस पुस्तक का प्रत्यक्ष सम्बन्ध यद्यपि हिन्दुस्तान के साथ नहीं है, पर पुस्तक बड़े मारके की है और औपनिवेशिक देशों की दशा का इससे पूरा ज्ञान होता है। यह पुस्तक हाल में जर्मन भाषा में प्रकाशित हुई है और जर्मनी की जनता ने इसका बड़ा मान किया है। मूल पुस्तक अङ्गरेज़ी में लिखी गई थी, लेकिन अभी तक छपी नहीं।

रॉय हमेशा हिन्दुस्तान की राजनीति से सम्पर्क रखते रहे हैं और गया की कॉङ्ग्रेस के बाद से ही

श्री० एम० एन० रॉय, जिन पर कानपूर की विशेष अदालत में राजविद्रोह का मामला चल रहा है।

राष्ट्रीय क्रान्ति के कार्यक्रम की वकालत करते आए हैं, जिसकी ज़रूरत अब हमें महसूस हो रही है। इनके बतलाए हुए कार्यक्रम को लगातार बढ़ती हुई दिलचस्पी के साथ देश की जुदा-जुदा कई संस्थाओं ने अङ्गीकार किया है। इस बात का एक बहुत प्रकट नमूना 'अखिल भारतवर्षीय ट्रेड यूनियन कॉङ्ग्रेस' है, जिसने कलकत्ता नेशनल कॉङ्ग्रेस के अवसर पर इनके प्रोग्राम (कार्यक्रम) को, जिसे वह कई वर्षों से पेश कर रहे थे, स्वीकार किया। कार्यक्रम यह है :—

१—सताई और लुटी हुई दीन जनता के हाथ में बिना किसी प्रतिबन्ध या शर्त के सारी शक्ति दे दी जाय।

२—देशी राज्यों को और मुफ़्तख़ोर ज़मींदारी तरीक़े को उठा दिया जाय।

३—किसानों को सब प्रकार की छीन-खसोट से छुटकारा मिले, जिससे उनकी पैदा की हुई चीज़ें अधिकतर उन्हीं के पास रहें।

४—धरती, जन-लाभ के काम, खानों की पैदावार और बैङ्कों का राष्ट्रीयकरण हो।

५—विदेशी सरकार के लिए हुए ऋणों से इन्कार किया जाय।

६—श्रमिकों के रहन-सहन का ऐसा ढङ्ग नियत हो, जिसमें फिर कमी न हो सके और उसीके अनुसार कम से कम मज़दूरी की दर नियत की जाय, काम करने के घण्टों की हद और मज़दूरों की तन्दुरुस्ती का विचार, साथ ही बेकारी, बीमारी और बुढ़ाई वग़ैरह के लिए बीमा का प्रबन्ध हो।

शोक समाचार

पाठकों को यह जान कर क्लेश होगा कि संस्था के प्रधान व्यवस्थापक (श्री० सहगल जी के छोटे भाई) की धर्मपत्नी का—जो पिछले एक महीने से बीमार थीं—५ सितम्बर के प्रातःकाल दो बजे स्वर्गवास हो गया। उनके शोक में 'चाँद' प्रेस तथा कार्यालय शनिवार को बन्द रहा। इस कारण साप्ताहिक 'भविष्य' सोमवार को न प्रकाशित होकर एक दिन देर से प्रकाशित हो रहा है।

७—किसान और मज़दूरों के ज़रिए देश के साम्पत्तिक जीवन का प्रबन्ध हो, जिससे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का फल थोड़े से भाग्यवान लोग ही हस्तगत न कर बैठें।

रॉय ने अपने कार्यक्रम में कहा था कि एक निर्वाचन का अधिकार रखने वाली महासभा बनानी चाहिए। उसमें यह भी बतलाया गया था कि शक्ति हस्तगत करने के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा तन्त्र खड़ा हो, जिसको क्रान्तिकारी प्रजातन्त्र के अधिकार प्राप्त हों। साम्राज्यवाद की धींगाधींगी का मुक़ाबला जन-समूह की सुसङ्गठित मर्ज़ी से होना चाहिए। सताई और लूटी जाने वाली जनता की चुनी हुई शासन महासभा को ही यह अधिकार है कि स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्य के प्राणप्रद क़ानूनों को बनाए और चलाए।

अधिकार प्राप्त करने की लड़ाई की कार्यवाही के लिए पहले सारे देश में जुदा-जुदा सताई और लूटी जाने

(शेष मैटर ३१ पृष्ठ के ३रे कॉलम में देखिए)

सत्याग्रह कब आरम्भ किया जा सकता है ?

कॉङ्ग्रेस वालों को म० गाँधी का आदेश

म० गाँधी ने चार्ज शीट और उसके उत्तर के सम्बन्ध में "यङ्ग इण्डिया" में एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें वे कहते हैं:—"सरकार के साफ़ इन्कार करने से अगर कोई बात साबित होती है तो यही कि जाँच होना और भी ज़रूरी है। अभियुक्त व्यक्ति चाहे जितने ज़ोर से अपने ऊपर लगाए इलज़ामों से इन्कार करे, इससे वह मुक्त नहीं हो सकता। उसे अपनी निर्दोषिता जज के सामने साबित करनी पड़ती है। प्रान्तीय सरकारों के नकारात्मक उत्तर से कॉङ्ग्रेस वालों का सन्देह और भी दृढ़ हो गया है।" इसके बाद उन्होंने लिखा है कि सरकारी उत्तर का प्रत्युत्तर तैयार हो रहा है। और उसके प्रगट होने पर जनता को मालूम हो जायगा कि कॉङ्ग्रेस का दावा बहुत मज़बूत है। अगर प्रान्तीय सरकारें निर्दोष हैं, जैसा कि उनका दावा है, तो वे निष्पक्ष जाँच से पीछे क्यों हटती हैं? दूसरे समझौते में उन्होंने ऐसी जाँच से साफ़ इन्कार कर दिया है और कॉङ्ग्रेस ने भी इसे मान लिया है। पर साथ ही कॉङ्ग्रेस ने यह ज़ाहिर कर दिया है कि इस स्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि अन्याय के सामने सर झुका दिया जाय। समझौते के हो जाने पर भी अगर कॉङ्ग्रेस समझेगी कि किसी अन्याय को सह लेना राष्ट्र के हित के विरुद्ध है तो आत्म-रक्षा के लिए उसका विरोध करने का उसे हक़ होगा। गाँधी जी की सम्मति में जाँच के सम्बन्ध में वाद-विवाद, समझौते और प्रार्थना-पत्रों का कोई फल न होने के बाद यही एक मात्र मार्ग बचा था। लेख के अन्त में उन्होंने कहा है—"तो भी मैं आशा करता हूँ कि आत्म-रक्षार्थ भी क़ानून भङ्ग करने की आवश्यकता न पड़ेगी। मैं जानता हूँ कि सरदार पटेल और वर्किङ्ग कमिटी इस प्रकार पुनः आन्दोलन आरम्भ करने की आज्ञा सहज में न देंगे। अपनी शक्ति पर उस समय तक सत्याग्रह को स्थगित रखना चाहिए, जब तक लन्दन कॉन्फ़्रेन्स का फल न निकल आए। पर जहाँ राष्ट्र के आत्म-सम्मान या कल्याण का प्रश्न हो, वहाँ इसे रोकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। कॉङ्ग्रेस कमिटियों और व्यक्तियों को समझ लेना चाहिए कि वे अपनी तरफ़ से क़ानून भङ्ग आरम्भ नहीं कर सकते। इसके लिए वर्किङ्ग कमिटी या प्रेज़िडेण्ट की आज्ञा अत्यन्त आवश्यक है।"

म० गाँधी का समुद्र पर से सन्देश

जब म० गाँधी का जहाज़ 'एस० एस० राजपूताना' भारत की भूमि को छोड़ कर समुद्र के बीच में पहुँचा तो महात्मा जी ने रियूटर के प्रतिनिधि द्वारा नीचे लिखा सन्देश भेजा :—

"भारत-भूमि के किनारे से पृथक होते समय मैं अपने देशवासियों से अपनी ग़ैर-हाज़िरी में पूर्णतः अहिंसात्मक बने रहने की अपील करता हूँ। जनता को कॉङ्ग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम का पालन करते हुए शराब और विदेशी कपड़े का त्याग और अछूतपन को दूर करना चाहिए। गाँवों में चर्ख़े का प्रचार बढ़ाया जाय। समस्त सम्प्रदायों में एकता की वृद्धि की जाय। अङ्गरेज़ों और सरकारी अफ़सरों से भी मेरी अपील है कि अगर वे मानते हैं कि शासन-शक्ति अवश्य ही भारतवासियों के हाथों में दी जायगी तो उनको कॉङ्ग्रेस और कॉङ्ग्रेस-वालों पर विश्वास करना चाहिए।"

"स्वराज्य कोरा ढोंग है"

कानपुर का समाचार है कि कालाकाँकर के राजा ने वहाँ पहुँच कर श्री० एम० एन० राय से भेंट की और सफ़ाई के सम्बन्ध में बातें कीं। डिफ़ेन्स कमिटी ने महात्मा गाँधी के पास निम्न-लिखित तार भेजा है—

"तार और पत्र भेजे गए पर कोई जवाब नहीं मिला, अगर राय के समान व्यक्ति नहीं छोड़े जाते और उनको जेल में रहना पड़े तो राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स और स्वराज्य कोरा ढोंग है।"

गाँधी जी ने जहाज़ चलाया

ता० ३ सितम्बर का रियूटर का तार है कि 'राजपूताना' जहाज़ के कप्तान ने गाँधी जी को लँगोटी पहने हुए ही, जहाज़ की सैर कराई और जहाज़ चलाने को कहा। गाँधी जी ने पहिया घुमा कर जहाज़ चलाते हुए हँस कर कहा—"कहीं मैं जहाज़ को और सब लोगों को डुबा तो नहीं दूँगा।" इसके बाद कप्तान ने गाँधी जी को जहाज़ सम्बन्धी अनेक यन्त्र, इञ्जिन-घर और बेतार का तार विभाग दिखलाया। गाँधी जी लड़कों की तरह कौतूहल प्रकट करते रहे। कप्तान की मेहमान-नवाज़ी और शिष्टता से महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। इस दिन तक वे अकेले अपनी छोटी सी केबिन में पड़े रहते थे। केवल जहाज़ की एक बिल्ली उनकी सङ्गिनी थी, जिसे वे बकरी का दूध पिलाते हैं और जो उनके साथ बिस्तरे पर सोती है।

नवाब भूपाल, मालवीय जी और मिस स्लेड अब बिल्कुल अच्छी तरह हैं। यात्रा के पहले चार दिन बड़े ख़राब थे और गाँधी जी जैसे सहिष्णु ही उस समय समुद्र की बीमारी से बच सकते थे।

म० गाँधी का अदन में स्वागत

३ सितम्बर को गाँधी जी के अदन पहुँचने पर वहाँ के तमाम भारतवासियों ने धूम-धाम से आपका स्वागत किया। वे लोग उनको दावत भी देना चाहते थे, पर जहाज़ के बारह घण्टा लेट होने से उन्होंने एक अभिनन्दन पत्र देकर ही सन्तोष किया, जिसमें उनके नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया गया था तथा गाँधी जी की संसार के महान धर्म-प्रचारकों से तुलना की गई थी। जब प्रभात हुआ तो गाँधी जी, श्रीमती सरोजिनी नायडू और महादेव देसाई के साथ अदन की पथरीली ज़मीन पर उतरे, उस समय लोगों ने ख़ूब हर्ष-ध्वनि की।

लन्दन में गाँधी जी का प्रोग्राम

रियूटर के प्रतिनिधि के यह पूछने पर कि लन्दन में आपका प्रोग्राम क्या होगा, गाँधी जी ने कहा—"मैं ऐसी शासन-योजना के लिए उद्योग करूँगा, जिससे भारत सब तरह की ग़ुलामी और संरक्षकता से मुक्त हो जाय। मैं एक ऐसे भारत के लिए चेष्टा करूँगा, जिसमें ग़रीब से ग़रीब भी समझे कि यह हमारा देश है और इसके निर्माण में हमारा भी हाथ है। एक ऐसा भारत, जिसमें ऊँची-नीची जातियाँ न होंगी, जिसमें सब सम्प्रदाय वाले प्रेमपूर्वक रहेंगे और उस भारत में अछूतपन या नशाख़ोरी के दुर्गुण न होंगे। स्त्रियों को भी वही अधिकार होंगे जो पुरुषों को हैं। चूँकि संसार के सब देशों से हमारी सुलह होगी, इसलिए हम कल्पनातीत छोटी सेना रखेंगे। सब लोगों के स्वार्थों की, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी, रक्षा की जाएगी, बशर्ते कि वे भारत की ग़रीब जनता के विरुद्ध न हों। यही मेरे स्वप्न का भारत है, जिसके लिए मैं राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स में उद्योग करूँगा। चाहे मैं नाकामयाब होऊँ, पर मैं अपने ऊपर कॉङ्ग्रेस के विश्वास और अपने सिद्धान्तों की रक्षा करूँगा।"

"महात्मा जी सत्य और अहिंसा के अवतार हैं"

सीमा-प्रान्त के गाँधी की वक्तृता

सीमा-प्रान्त के गाँधी ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ ने शिमले में एक सार्वजनिक सभा में वक्तृता देते हुए सीमा प्रान्त में दिल्ली के समझौते का पालन न करने के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की और कहा कि सीमा-प्रान्त की सरकार ने महात्मा जी के सीमा-सम्बन्धी अभियोगों का जो उत्तर दिया है वह भ्रमोत्पादक है। उन्होंने कहा कि सरकार पर जो अभियोग लगाए गए हैं, उनके लिए मैं सरकार को चैलेञ्ज देता हूँ कि उन्हें वह असत्य सिद्ध करे।

आगे चल कर हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नों के सम्बन्ध में आपने कहा कि मज़हब का मतलब साम्प्रदायिकता नहीं है। बाजे और मस्जिद के बारे में आपने कहा कि मस्जिद के सामने बाजा बजाना मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है और मुसलमानों से मेरा कहना है कि वे मस्जिद के सामने बाजा बजाने पर एतराज़ न करें। अपने लालकुर्ती वालण्टियरों के सम्बन्ध में ख़ान साहब ने कहा कि उनका ध्येय अहिंसा है और उनमें से प्रत्येक ने मनुष्य-जाति की सेवा करने का व्रत लिया है। अन्त में ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ ने महात्मा जी के प्रति बड़ी श्रद्धा और भक्ति प्रदर्शित की और कहा, वह तो सत्य और अहिंसा के साक्षात अवतार हैं।

पोर्तुगाल में भीषण बलवा

पोर्तुगाल में भीषण बलवा हो गया है। फ़ौज वालों ने और सिविलियनों ने बलवा शुरू किया। सरकारी हथियारख़ाने पर बलवाइयों ने बम बरसाए, जिससे ५० आदमी ज़ख़्मी हुए। ५०० बलवाई गिरफ़्तार करके बन्दरगाह में रक्खे गए हैं।

सड़कों पर हथियारबन्द गाड़ियाँ घूम रही हैं। जो हथियार लिए घूमता दिखाई देता है, मार दिया जाता है। लिस्बन में बलवा कुछ शान्त दिखाई देता है। उत्तरी प्रान्त ख़ाली हो गए हैं और ख़बरों पर सेन्सर बैठाया गया है।

चीन में भयङ्कर बाढ़ :: एक लाख आदमी डूब गए

चीन में बड़ी भयङ्कर और घातक बाढ़ आई है। हाल की ख़बर है कि शाओपो और कियाओचो के बीच के प्रदेश में एक लाख आदमी डूब गए और लाखों आदमियों के घर बह गए।

सिन्ध में भयानक भूकम्प ??

गत ३१ अगस्त को सिन्ध प्रान्त के विभिन्न भागों से भूकम्प होने के जो समाचार आए हैं उनसे मालूम होता है कि उसके धक्के बड़े ज़ोरों से लगे, पर प्राण-हानि अधिक नहीं हुई। कितनी ही इमारतों और अधूरे मकानों को बहुत हानि पहुँची। लरकाना, मेरखानसी, ख़ैरपुर और टैण्डो आदम में बहुत अधिक मकान गिरे और लोगों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। पन्नीर, धुध्रा, पेमसी और नरी के रेलवे-स्टेशन ज़मीन फट जाने से उसके भीतर समा गए। सक्खर में कुछ लोग, जो सिन्ध नदी के किनारे घूम रहे थे, धक्के से पानी में गिर गए और डूब गए।

'पायोनियर' पर सहगल जी का दावा

'चाँद' और 'भविष्य' के अध्यक्ष श्री० सहगल जी पर इलाहाबाद के फ़र्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ख़ाँ साहब मौलवी रहमान बख़्श क़ादरी की अदालत में फ़ाइन आर्ट प्रिंटिङ्ग कॉटेज प्रेस के 'कीपर' के सम्बन्ध में जो मामला चल रहा है, उसकी कार्रवाई को प्रकाशित करते हुए स्थानीय अङ्गरेज़ी पत्र 'पायोनियर' ने श्री० सहगल जी को 'कीपर' लिखा है। 'कीपर' के झगड़े के सम्बन्ध में ही अदालत में मुक़दमा चल रहा है और अभी वह मामला विचाराधीन है। ऐसी दशा में 'पायोनियर' ने श्री० सहगल जी को 'कीपर' लिख कर मामले के फ़ैसले के पहिले ही ग़लत धारणा फैलाने का प्रयत्न किया है और अदालत की मान-हानि की है। इसलिए श्री० सहगल जी ने ३१ अगस्त को स्थानीय हाईकोर्ट में 'पायोनियर' के ऊपर दावा कर दिया था। फल-स्वरूप 'पायोनियर' के सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक के नाम २ री सितम्बर को नोटिस जारी हो गया है। मामले की पेशी ६ सितम्बर को होगी।

फ़रीदपुर में गिरफ़्तारियाँ

फ़रीदपुर में २६ अगस्त को कई मकानों की तलाशियाँ ली गईं और विस्फोटक पदार्थ एक्ट के अनुसार वृजलाल चक्रवर्ती और भूतपूर्व मन्त्री ज़िला-कॉङ्ग्रेस कमिटी गिरफ़्तार किए गए। गोविन्दपुर कॉङ्ग्रेस कार्यालय में बम मिलने के सम्बन्ध में राजबाड़ी में कई मकानों की तलाशियाँ ली गईं और दो आदमी गिरफ़्तार किए गए।

रिवॉल्वर और कारतूस पकड़े गए

तङ्गायल-काण्ड के सम्बन्ध में जमालपुर में दो मकानों की तलाशियाँ ली गईं। एक मकान में ५ कारतूस, पुलीस की टोपी और कुछ ज़ब्त किताबें पाई गईं और दूसरे मकान में एक छः नली का भरा हुआ रिवॉल्वर और बहुत से कारतूस पकड़े गए। जदाब राहा, मधाब राहा और उनका पुत्र ललित राहा हिरासत में ले लिए गए हैं।

बर्मा का विद्रोह

बर्मा के विद्रोह के सम्बन्ध में सरकार का कहना है कि स्थिति सुधर रही है। अब तक ४,६७१ बाग़ियों ने आत्म-समर्पण किया है। इस सप्ताह के अन्दर पुलीस और विद्रोहियों में कोई ख़ास झगड़ा नहीं हुआ। गत २७ अगस्त को हेनज़ादा में बाग़ियों ने पुलीस कैम्प पर हमला किया। दारोग़ा को गोली से मार डाला और उसकी बन्दूक़ उठा ले गए। विद्रोह के नेता सायासान को विशेष अदालत ने गत २८ अगस्त को फाँसी की सज़ा सुना दी।

लड़की सात मील तैरी

कलकत्ता की एक तैराकी प्रतियोगिता में २३ तैराकों में अनुपमशील नाम की एक ११ वर्ष की लड़की भी थी। २३ तैराकों में १८ तैराक ७ मील तैरे थे, उनमें यह लड़की भी थी।

भीषण रेलवे-दुर्घटना

जी० आई० पी० रेलवे के झाँसी डिवीज़न में बरखेरा और भोपाल के बीच एक भीषण रेलवे-दुर्घटना २७ अगस्त को हो गई। ५ आदमी मर गए और ७ घायल हुए। दुर्घटना का कारण अब तक ठीक नहीं मालूम हुआ है। ज़ख़्मी लोग झाँसी-अस्पताल में पहुँचाए गए।

—औरङ्गाबाद कॉङ्ग्रेस कमिटी के मन्त्री ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास तार भेजा है कि रफ़ीगञ्ज की पुलीस शान्तिमय पिकेटिङ्ग में हस्तक्षेप करती है, स्वयंसेवकों को धमकाती है, दूकानदारों को उनके हाथों कोई चीज़ न बेचने के लिए सावधान करती है और उनके पास जाने वाले व्यक्तियों के नाम नोट करती है। दूकानों पर पहुँचने पर प्रमुख कार्य-कर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया।

मालिक बनाम "कीपर" का मनोरञ्जक मामला

(चौथे पृष्ठ का शेषांश)

भी नहीं समझ सकते; जब तक उन्हें क़ानून का ज्ञान न हो। इस पर श्री० सहगल जी ने अदालत से कोई भी पुस्तक अथवा पत्र देने की प्रार्थना की। इसी बीच में सरकारी वकील ने 'लीडर' अख़बार का एक समाचार वाला पृष्ठ सहगल जी को दे दिया। गवाह ने उसे बहुत टूटी-फूटी भाषा में पढ़ा। सरकारी वकील ने पढ़ने के ढङ्ग की बड़ी प्रशंसा की, किन्तु सहगल जी के आपत्ति करने पर उन्हें चुप रहना पड़ा।

सहगल जी ने केवल पढ़ी हुई चार पंक्तियों का अर्थ किसी भी भाषा में करने को कहा। गवाह ने अन्त में स्वीकार किया कि उसने जो चार पंक्तियाँ पढ़ी हैं, उसका अर्थ ही वह नहीं समझ सका; इसलिए किसी भी भाषा में अनुवाद करना उसके लिए सम्भव नहीं है। इस पर अदालत में हँसी हुई।

दो-एक बार नए सरकारी वकील पं० अम्बिकाप्रसाद पाण्डेय का अनुचित ढङ्ग देख कर सहगल जी को कहना पड़ा कि "कृपया सदा आप अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा न करें; यह बात वकीलों की सभ्यता के सर्वथा प्रतिकूल है।"

अदालत के पूछने पर कि सहगल जी का आशय क्या है, श्री० सहगल जी ने बतलाया कि "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सफ़ाई के गवाह की हैसियत से बुला कर दो घण्टे तक जो मुझसे जिरह की थी, उसका विवरण आपने पत्रों में पढ़ा ही होगा; इस मामले में भी पाण्डेय जी उसी हथकण्डे से काम ले रहे हैं, जो सर्वथा अनुचित है।"

इस पर पाण्डेय जी ने अदालत से अपनी मान-रक्षा की प्रार्थना की। श्री० सहगल जी ने उनसे कहा कि यहाँ तो आप अपनी मान-रक्षा करा लीजिए; लेकिन मैं शीघ्र ही आप पर इन बेजा हरकतों के लिए क़ानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूँ।

सरकारी वकील ने मामले के अन्त में दफ़ा ५४० के अनुसार श्रीमती लक्ष्मीदेवी तथा श्री० आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव को अदालती गवाह की हैसियत से तलब करने की प्रार्थना की। श्री० सहगल जी के विरोध करने पर भी दरख़्वास्त मञ्ज़ूर कर ली गई। किन्तु श्री० आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव को अदालत ने बुलाने से इन्कार कर दिया। केवल श्रीमती लक्ष्मीदेवी १४वीं सितम्बर को बुलाई जाएँगी।

७वीं सितम्बर को मामले की अगली पेशी निश्चित हुई है। उस दिन दो यूरोपियन लड़कियाँ, जो पहिले 'चाँद' कार्यालय में नौकर थीं, सरकारी गवाह की हैसियत से पेश होंगी और एक निकाला हुआ क्लर्क भी, जिसे धोखेबाज़ी के अपराध में जेल की सज़ा हुई थी और जो आजकल मलाका जेल की क़ैद में है।

* * *

—३१ अगस्त की आधी रात को कानपूर में गोरी सेना की छावनी में सिपाहियों और मेहतरों में दङ्गा हो गया, जिसमें एक मेहतर मारा गया और एक अङ्गरेज़ सिपाही घायल हुआ। पुलीस जाँच कर रही है।

❀ ❀ ❀

हिन्दुस्तान की श्रमजीवी संस्थाओं से अपील

(१ले पृष्ठ का शेषांश)

वाली जातियों के सङ्गठनों से प्रतिनिधि लेकर समितियाँ बनानी चाहिए। इन समितियों में मेहनती, किसान, कारीगर, छोटे-छोटे दूकानदार, नौकरी करने वाले, पढ़े-लिखे ग़रीब शामिल किए जायँ। सताई और लूटी हुई जातियों के यह गिरोह उसी समय उत्पन्न होने चाहिए, जब कि वह अपनी उसी समय की ज़रूरत के लिए थोड़ी-थोड़ी माँगें पेश कर रहे हों। जब देश भर में ऐसी स्थानिक समितियों का जाल फैल जायगा तब यह राष्ट्रीय परिषद् के लिए अपने प्रतिनिधि चुनेंगी। यह परिषद् क्रान्तिकारी प्रजातन्त्र शासन के पूरे अधिकार वाली होगी (जैसे राजा होता है), यही एक मात्र रास्ता है, जिससे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त की जा सकती है।

मार्क्स के सिद्धान्त का ज्ञाता और राजनीति-विज्ञान का पण्डित होने के कारण रॉय ने भावी भारत का चित्र देख लिया और ठीक-ठीक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया, जो बराबर हिन्दुस्तान की राजनीति पर अपना प्रभाव डालने लगा। एक लम्बा काला हिन्दुस्तानी, यूरोपीय देशों में फिरने वाला मार्क्स के जादू के बल से हिन्दुस्तान के कपाल की रेखाएँ पढ़ रहा था, और उस समय पढ़ रहा था, जब कि विश्रृङ्खलता, मन के वेग, मनोभावों का अभाव देश की राजनीति में सर्वत्र पाए जाते थे। अनेक वर्षों के अनुभव से साथी राय को ज्ञान हुआ कि दूर बैठे-बैठे मेरा परिश्रम हिन्दुस्तानियों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की क्रान्तिकारी जागृति लाने के लिए काफ़ी नहीं है। यह जानते ही सर पर आने वाले सारे भयों को भूल, बहुत बड़ी जोख़िम उठा, उसने हिन्दुस्तान आने का निश्चय किया। यह समझने की बात है कि वह हिन्दुस्तान किस महा उद्योग से आकर पहुँचा होगा। जितनी घड़ी वह हिन्दुस्तान में रहे, उनको काम से क्षण भर फ़ुरसत और आराम नहीं मिला। निश्चय ही वह देश की व्यावहारिक राजनीति और ट्रेड-यूनियन के प्रश्नों में व्यस्त रहे होंगे। ट्रेड-यूनियन के आन्दोलन में एकता का प्रभाव और दूसरी सैकड़ों बातों पर रॉय की कोशिशों का ज़रूर असर पड़ा होगा।

रॉय २१ जुलाई को बम्बई में सात वर्ष पहिले के निकले हुए वारण्ट के आधार पर १९२४ के कानपूर बोलशेविक षड्यन्त्र के मामले में गिरफ़्तार किए गए और कानपूर मुक़द्दमे की जाँच के लिए लाए गए हैं। इनको कानपूर डि० जेल में रक्खा गया है और अब तक किसी न किसी कारण से इनका मुक़दमा स्थगित होता आ रहा है। साथियो! अब आपका क्रान्तिकारी कर्तव्य है कि आप अपने फँसे हुए साथी की जो सहायता हो सके करें, जिससे वह साम्राज्यवाद के दूषित आक्रमण से बच सके। साथियो! एम० एन० रॉय के लिए डिफ़ेन्स कमिटियाँ बनाइए और जहाँ तक सम्भव हो, धन एकत्र कीजिए और बड़ी-बड़ी सभाएँ करके रॉय की गिरफ़्तारी का प्रतिवाद कीजिए। हिन्दुस्तान के मज़दूरों के ज़ोर के साथ बीच में पड़ने से ही साथी रॉय को हम साम्राज्यवादिनी सरकार के पञ्जे से बचा सकते हैं।

* * *

मालिक बनाम "कीपर" का मनोरञ्जक मामला !

यूरोपियन लड़कियाँ गवाही में तलब की गईं !

"किराए के गवाह इकट्ठे करके हद दर्जे की नीचता का परिचय दिया गया है"

१ सितम्बर को दोपहर के २ बजे ख़ाँ साहब मौलवी रहमानबख़्श क़ादरी की अदालत में उस मामले की पेशी हुई, जिसमें 'चाँद' तथा 'भविष्य' के अध्यक्ष श्री० सहगल जी पर प्रेस तथा रिजिस्ट्रेशन ऑफ़ बुक्स एक्ट की १३वीं धारा के अनुसार स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० मूडी ने अभियोग चला दिया है।

गवर्नमेण्ट की ओर से चार गवाह आज पेश हुए। इनमें स्थानीय पेपर मर्चेण्ट मेसर्स विश्वम्भरनाथ निरञ्जनलाल के क्लर्क श्री० राय ने बतलाया कि उनके खाते में 'चाँद' प्रेस के मालिक की हैसियत से श्री० आर० सहगल का नाम दर्ज है, लेकिन आर्डरों तथा चेकों पर प्रायः मि० एन० सहगल का हस्ताक्षर होता है। ठीक यही जवाब मेसर्स मदनमोहन एण्ड सन्स के प्रतिनिधि ने भी दिया। तीसरा गवाह कलक्टरी का एक क्लर्क था, जिसने विभिन्न डिक्लेरेशनों की तसदीक़ की, जो समय-समय पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दाख़िल किए गए थे। चौथा गवाह 'चाँद' कर्यालय का एक क्लर्क था, जिसे पुलीस वालों ने ख़ास तौर से देहली से बुलाया था। उसने कहा कि मैंने इसलिए नौकरी छोड़ दी; क्योंकि मुझे प्रेस तथा पत्रों का डिक्लेरेशन दाख़िल करने के लिए सहगल जी ने वाध्य किया था। श्री० सहगल जी के एडवोकेट श्री० जे० सी० मुकर्जी के जिरह करने पर गवाह ने कहा कि इलाहाबाद में क़र्ज़ बढ़ जाने के कारण वह भागा नहीं था; किन्तु क़र्ज़ के सम्बन्ध को घरेलू तथा इज़्ज़त का प्रश्न बतला कर गवाह ने कोई ठीक उत्तर नहीं दिया।

श्री० सहगल जी के नाम श्री० छैलबिहारी लाल भटनागर (गवाह) द्वारा हस्ताक्षरित समय-समय पर आए हुए ३ पत्र अदालत में दाख़िल कर दिए गए हैं, जिन्हें गवाह ने अपना लिखा हुआ स्वीकार कर लिया है। इन पत्रों में गवाह ने सहगल जी को कई बेहूदा धमकियाँ लिख भेजी थीं और 'रहस्योद्घाटन' करने की बातें भी लिखी थीं। बार-बार पूछने पर भी गवाह एक भी 'रहस्य' नहीं बतला सका। ऐसे सारे प्रश्नों का उसने एक ही उत्तर दिया—"इतनी जल्दी में कुछ भी याद नहीं आता।"

सब से मज़ेदार सीन उस समय उपस्थित हुआ, जब कि गवाह द्वारा जुलाई १९३१ में भेजा हुआ वह पत्र पेश किया गया, जिसमें गवाह ने दोबारा नौकरी पाने की प्रार्थना की थी, और आजकल श्री० सहगल जी पर गवर्नमेण्ट द्वारा होने वाले अत्याचारों से सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए लिखा था कि "यदि आप मेरे नाम से प्रेस के 'कीपर' तथा पत्रों के प्रकाशक एवं मुद्रक का डिक्लेरेशन देना उचित समझें तो मैं आपकी सेवा करने को सदैव तैयार हूँ।"

अदालत से बाहर निकलते ही गवाह से एक हलवाई ने अपने रुपयों का तक़ाज़ा किया और कहा-सुनी हुई। हलवाई का कहना था कि जब गवाह 'चाँद' कार्यालय में काम करता था तो मुझसे मिठाइयाँ ख़रीद कर खाया करता था और जब मेरे ३०)-४०) रु० उस पर हो गए तो घर छोड़ कर रात ही में भाग गया। हलवाई ने अन्त में अदालत से रुपया दिलवा देने की प्रार्थना की। अदालत ने हलवाई से ख़फ़ीफ़ा में दावा करने की उसे सलाह दी है। हलवाई के यह कहने पर कि गवाह का पता मुझे आज तक नहीं चल पाया है, अदालत ने कल मिसिल देख कर पता बतला देने का वचन दिया है।

जब-जब सहगल जी का मुक़दमा चलता है, अदालत में ख़ुफ़िया पुलीस के कई दारोग़ा तथा सिपाही दिखाई देते हैं। आज सहगल जी ने स्वयं अदालत से इस असाधारण उपस्थिति की शिकायत करते हुए अदालत से प्रार्थना की कि इस प्रकार पुलीस वालों की उपस्थिति सर्वथा अनुचित है। पर अदालत ने यह कह कर कि "दर्शकों की भाँति यदि पुलीस वाले अदालत में आते हैं तो मैं क्या करूँ" इस शिकायत को टाल दिया।

कल की पेशी में २ यूरोपियन लड़कियाँ भी सरकारी गवाह की हैसियत से तलब की गई हैं, जो कुछ दिनों पहिले 'चाँद' कार्यालय में शार्टहैण्ड लेखिका तथा टाईपिस्ट का काम करती थीं।

आज की पेशी में सब से मज़ेदार बात यह देखने में आई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वकील श्री० पाण्डेय, जिन्होंने श्री० सहगल जी को पं० भुवनेश्वरनाथ की ओर से गवाही में तलब करके भी उनसे जिरह की थी और जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अदालत में सहगल जी के विरुद्ध अनेक अनर्गल बातें कह डाली थीं, उन्हीं को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इस मामले में सरकार की ओर से विशेष ऑर्डर द्वारा नियुक्त करके अपनी क़द्रदानी का परिचय दिया है।

दूसरे दिन ता० २ सितम्बर को उपर्युक्त मुक़दमे की पेशी २ बजे नियत समय पर न होकर ३ बजे इसलिए हुई; क्योंकि कुछ कार्यवश ठीक २ बजे ख़ाँ साहब को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ा। उनके लौटने पर मामले की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

आज सब से पहले कैनिङ्गटन (सिविल लाइन) थाने के प्रधान दारोग़ा श्री० अब्दुल हादी सरकारी गवाह की हैसियत से पेश किए गए। आपने सरकारी वकील के पूछने पर बतलाया कि मि० सहगल 'चाँद' प्रेस के मालिक हैं। जिरह करने पर आपने बतलाया कि मैं सहगल साहब को मालिक इसलिए समझता हूँ, कि जब कभी मुझे तलाशी अथवा गिरफ़्तारी के लिए जाना पड़ा, मैंने उन्हीं से बातें कीं और मुझे हर प्रकार की सहूलियत दी गई। फिर जिरह करने पर गवाह ने बतलाया कि एक-दो बार ऐसा भी हुआ जब मि० आर० सहगल कोठी पर नहीं थे; उनके भाई से मुझे काम पड़ा। गवाह ने कहा तब भी मुझे ठीक वही सहूलियत मिल सकी, जो सहगल साहब (श्री० आर० सहगल) से मिलती थी। गवाह ने कहा कि मुझे ३-४ बार तलाशियों के सिलसिले में और तीन बार गिरफ़्तारियों के सिलसिले में 'चाँद' प्रेस जाना पड़ा था। गवाह ने कहा कि मैंने हमेशा वारण्ट मि० आर० सहगल के सामने पेश किए और मुजरिम तुरन्त हाज़िर कर दिया गया। गवाह ने यह भी कहा कि उसे यह याद नहीं है कि वारण्ट पर 'कीपर' तथा मुद्रक तथा प्रकाशक आदि लिखा था। आमतौर से, गवाह ने कहा वारण्ट पर केवल भारतीय दण्ड-विधान की धारा का उल्लेख रहता है। गवाह ने यह भी कहा कि जब मार्च महीने में सहगल साहब स्वयं गिरफ़्तार हुए थे, तब भी ख़ुफ़िया पुलीस के अन्य दारोग़ाओं के साथ मुझे उनके घर जाना पड़ा था और मैं सहगल साहब को स्वयं नैनी जेल तक छोड़ने के लिए गया था। गवाह का ख़याल है कि यह गिरफ़्तारी अन्य गिरफ़्तारियों की भाँति दफ़ा १२४ 'अलिफ़' के अनुसार हुई थी। 'कीपर' अथवा अख़बारों का प्रिन्टर तथा पब्लिशर कौन है, सो गवाह को याद नहीं था। इतना याद था कि 'चाँद' के उर्दू संस्करण के सम्पादक कोई वकील, शायद मुन्शी कन्हैयालाल थे, इत्यादि।

दूसरे सरकारी गवाह 'चाँद' के एक कहानी लेखक श्री० प्रफुल्लचन्द ओझा पेश किए गए, जिन्होंने पं० भुवनेश्वरनाथ मिश्र की ओर से भी गवाही दी थी। गवाह ने पहले कहा कि मैं जानता हूँ, श्री० सहगल जी ही संस्था के 'कर्ताधर्ता' हैं, और वे ही 'चाँद' (हिन्दी-संस्करण) के प्रधान सम्पादक भी हैं। 'भविष्य' के सम्बन्ध में मैं नहीं जानता। जिरह करने पर गवाह ने कहा कि "मैं 'चाँद' कार्यालय में तीन महीने तक नौकर रह चुका हूँ और मुझे ४०) रु० मासिक वेतन मिलते थे।" यह पूछने पर कि आपको यह कैसे मालूम हुआ कि सहगल जी ही संस्था के कर्ता-धर्ता और सम्पादक थे? गवाह ने बतलाया कि मैं इसलिए ऐसा कहता हूँ, क्योंकि उनका नाम सम्पादक की हैसियत से 'चाँद' पर छपता था। यह पूछने पर कि जिसका नाम पत्र पर छपता हो, क्या वही 'असली' सम्पादक नहीं होता? गवाह ने कहा कि "अवश्य वही सम्पादक है।" गवाह ने कभी सहगल जी को अग्रलेख अथवा सम्पादकीय नोट लिखते हुए इसलिए नहीं देखा; क्योंकि जब गवाह संस्था में मुलाज़िम था, उस समय ऑर्डिनेन्स जारी होने के कारण अग्रलेख तथा सम्पादकीय नोट छपते ही नहीं थे।

गवाह ने कहा था कि वह किसी स्कूल अथवा कॉलेज में नहीं पढ़ा है, लेकिन हिन्दी, संस्कृत तथा बङ्गला का अच्छा ज्ञाता है और अङ्गरेज़ी, मराठी और थोड़ी गुजराती भी जानता है। यह पूछने पर कि उसे सम्पादन-कला का ज्ञान कब से हुआ, गवाह ने बतलाया कि उसके घर ही में 'शारदा' नामक संस्कृत की पत्रिका निकलती थी। जिरह करने पर गवाह ने कहा कि जब यह पत्रिका निकलती थी, तब वह अबोध बालक था।

सहगल जी ने अदालत से प्रार्थना की कि वे अदालत के सामने गवाह की योग्यता कोई पुस्तक पढ़ा कर पेश करना चाहते हैं।

मैजिस्ट्रेट—ऐसा करने से आपका क्या अभिप्राय है?

सहगल जी—मेरा अभिप्राय यह साबित करना है कि द्वेषवश यह विचित्र मामला मुझ पर चलाया गया है और सरकार की ओर से मेरी संस्था के निकाले हुए निकम्मे किराए के गवाह इकट्ठे करके हद दर्जे की नीचता का परिचय दिया गया है।

इस पर अदालत ने गवाह की परीक्षा करने की आज्ञा दे दी।

श्री० सहगल जी ने गवाह से क़ानूनी पुस्तक का एक अध्याय अदालत को पढ़ कर सुनाने के लिए कहा। इस पर सरकारी-पक्ष के वकील ने आपत्ति की। उनका कहना था कि क़ानूनी पुस्तक अनेक पढ़े-लिखे व्यक्ति

(शेष मैटर तीसरे पृष्ठ के दूसरे कॉलम के नीचे देखिए)

पुलीस-अफ़सर के मुँह पर थप्पड़ जड़ दिया गया !!

देहली षड्यन्त्र की अदालत में तहलक़ा

ता० २९ अगस्त को दिल्ली षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने एक सनसनीदार घटना हो गई।

अदालत की कार्रवाई प्रारम्भ होने पर अभियुक्त-पक्ष की ओर से कहा गया कि फ़रार अभियुक्त भवानीसहाय, जोकि कल रात को दिल्ली में गिरफ़्तार हुआ है, अदालत के सामने पेश किया जाय। सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि भवानीसहाय सिविल लाइन्स में पुलीस की हिरासत में है। वह बीमार पड़ जाने के कारण अदालत में हाज़िर होने से असमर्थ है, इसलिए मोहलत मन्ज़ूर की जाय। डॉ० किचलू ने ज़ोर देकर कहा कि वह आज ही अदालत के सामने पेश किया जाय, क्योंकि इस विषय में क़ानून बिल्कुल स्पष्ट है। वह पुलीस की हिरासत में नहीं रोका जा सकता। सबूत पक्ष ने डॉ० किचलू की बात स्वीकार कर ली।

काशीराम की शिनाख़्त

इसके बाद अभियुक्त-पक्ष ने दिल्ली षड्यन्त्र केस के एक दूसरे फ़रार अभियुक्त काशीराम की शिनाख़्त के सम्बन्ध में कहा कि शिनाख़्त की कार्रवाई कानपूर में हुई है, जिसके लिए यहाँ से गवाह बिना अदालत की इजाज़त लिए या अभियुक्त-पक्ष के वकील को सूचना दिए हुए भेज दिए गए थे। ऐसी कार्रवाई पहले कभी नहीं हुई।

अदालत ने भवानीसहाय के तुरन्त पेश किए जाने का हुक्म दिया और तब तक के लिए अदालत की कार्रवाई स्थगित कर दी।

कोर्ट-इन्स्पेक्टर पर थप्पड़

अदालत की कार्रवाई स्थगित रहने के समय कोर्ट-इन्स्पेक्टर सरदार भागसिंह अभियुक्तों के कटघरे के पास उनसे बातचीत करने के लिए चले गए। बातचीत का रुख़ कुछ कठोर हो गया। सरदार भागसिंह ने हरद्वारीलाल से पूछा कि क्या भवानीसहाय आपके दोस्त हैं और आपके साथ रहते थे। इस पर अभियुक्त रुद्रदत्त ने सरदार से वहाँ से चले जाने और अपनी जगह पर बैठने और ऐसी बातचीत न करने के लिए कहा। सरदार जी ने रुद्रदत्त से कहा—"चुप रहो!" जिस पर रुद्रदत्त ने सरदार के मुँह पर दो थप्पड़ मारे और फिर सरदार के सर पर अपनी चप्पल फेंक कर मारी। सरदार वहाँ से चले गए और झगड़ा वहीं समाप्त हो गया।

❀ ❀ ❀

इसके बाद एक बज कर पन्द्रह मिनट पर अदालत के सामने भवानीसहाय लाए गए। अभियुक्त के हाथों में हथकड़ियाँ थीं और चेहरा ढका हुआ था। अदालत के अन्दर प्रवेश करते ही अभियुक्त ने "क्रान्ति चिरजीवी हो", "भगतसिंह चिरजीवी हो" के नारे लगाए। अभियुक्त उठ कर खड़े हो गए और उन्होंने भी नारे लगाए।

प्रेज़िडेण्ट अभियुक्तों की इस कार्रवाई से बहुत असन्तुष्ट हुए और हुक्म दिया कि "अभियुक्तों के अव्यवस्थित व्यवहार के कारण मामले की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित रहेगी और फ़ीस के सम्बन्ध में जो समझौता हुआ था, उसकी शर्तों के अनुसार अभियुक्त-पक्ष के वकीलों को आज की फ़ीस नहीं दी जायगी।"

अदालत के इस हुक्म से अभियुक्त के वकीलों को बड़ा आश्चर्य हुआ।

भवानीसहाय का बयान नहीं लिया गया। विद्याभूषण ने कहा कि १२८) रु० हम लोगों के नारों का मूल्य है।

❀ ❀ ❀

लाहौर षड्यन्त्र केस

दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने सबूत की ओर से राजाराम खोंचेवाले ने ग्वालमण्डी में बम फटने की घटना के सम्बन्ध में अपनी गवाही में कहा कि मैंने दो नवयुवकों को देखा था। उन्होंने मुझसे किराए के लिए कोई ख़ाली मकान बतलाने के लिए कहा था। मैंने सामने की एक बिल्डिङ्ग की ओर इशारा करके बतला दिया था कि वहाँ देखिए।

गवाह से उन दो नवयुवकों की शिनाख़्त करने के लिए कहा गया। वे अभियुक्त दयानतराय और जयप्रकाश थे। गवाह ठीक शिनाख़्त नहीं कर सका। उसने दो बाहरी आदमियों को बतलाया।

अदालत की कार्रवाई स्थगित होने के पहले सरकारी वकील रायबहादुर ज्वालाप्रसाद ने अदालत से अभियुक्त जयप्रकाश और ग़लत शनाख़्त किए हुए व्यक्ति की फ़ोटो लेने के लिए कहा। कारण पूछने पर सरकारी वकील ने कहा कि मैं उन दोनों व्यक्तियों की शक्लों में समता दिखलाना चाहता हूँ। अदालत ने अभियुक्त जयप्रकाश और दूसरे व्यक्ति को पास से देखने के बाद कहा कि इनमें कोई समता नहीं है और सरकारी वकील की प्रार्थना अस्वीकार कर दी।

❀ ❀ ❀

पुलीस वालों की काली करतूत

दिल्ली षड्यन्त्र के फ़रार अभियुक्त भवानीसहाय ने स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने बयान देते हुए अपने ऊपर किए गए सी० आई० डी० और पुलीस के अत्याचारों के सम्बन्ध में कहा कि गिरफ़्तारी के समय से ही मेरे साथ बल-प्रयोग किया गया है। यह कह कर अभियुक्त ने अदालत को अपने सर की चोट दिखलाई।

सी० आई० डी० के स्पेशल सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० पील, सी० आई० डी० इन्स्पेक्टर सरदार करमसिंह और हेड-कॉन्स्टेबिल अमीनचन्द ने मुझे तरह-तरह के प्रलोभन दिखलाए। परन्तु प्रलोभनों के जाल में फँसने से इन्कार करने पर सरदार करमसिंह और हेड-कॉन्स्टेबिल मेरे साथ बड़ी बुरी तरह से पेश आए।

मि० पील ने पीटा तो नहीं, परन्तु उन्होंने कहा कि अगर दूसरे षड्यन्त्रकारियों का पता बतला दोगे तो तुम्हें पूरा इनाम दिया जायगा। मुझसे कहा गया कि जैसे मुख़बिर हंसराज बोहरा विलायत भेज दिया गया और मुख़बिर कैलाशपति और चन्द्रावती को एक सौ पचास रुपया मासिक भत्ता मिलता है, वैसे ही तुम्हें भी पूरा इनाम दिया जायगा। परन्तु मैंने कुछ भी बतलाने से इन्कार कर दिया।

हिरासत में रात भर अत्याचारों और प्रलोभनों का सिलसिला जारी रहा। मेरी उँगलियों के बीच में पेन्सिल दबाई गई, अच्छी नौकरी का प्रलोभन दिया गया। परन्तु मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब अत्याचार असहनीय हो गया तब मैं रो पड़ा।

रात को ढाई बजे मैंने प्रार्थना की कि अब मुझे सो जाने दीजिए, मेरे पैरों में और पेट में दर्द हो रहा है, परन्तु मुझे सोने नहीं दिया। पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया। ज्योंही मैं सोता था, त्योंही पुलीस का पहरेदार जगा देता था।

सबेरे बहुत से आदमी मेरे कमरे के बाहर इधर-उधर घूम रहे थे। सरदार जी ने मेरी बैरक में आकर कहा कि सच बातें बतला देने पर छोड़ दिए जाओगे। अदालत में मेरा बड़ा प्रभाव है, अगर मैं चाहूँ तो जेल में तुम्हें ख़ूब पिटवा सकता हूँ। भवानीसहाय ने कहा कि शायद वे सरदार जी अदालत में बैठे हुए हैं। सरदार जी के चले जाने पर दो पुलीस के आदमियों ने बुलाना आरम्भ किया। परन्तु मैं नहीं बोला, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, उन्होंने गालियाँ दीं। इसके बाद वे अपने प्रयत्न में असफल होकर चले गए।

मुझे बड़ी भूख मालूम हुई। मैंने अफ़सर को बुलवा कर उससे कुछ खाने के लिए और पानी के लिए कहा। परन्तु कुछ नहीं मिला।

अभियुक्त पक्ष के वकील जगा कर मुझे अदालत में लाए हैं।

भवानीसहाय की गिरफ़्तारी कैसे हुई ?

कहा जाता है कि अमीनचन्द नाम का एक व्यक्ति, जोकि किसी समय भवानीसहाय का सहपाठी रह चुका है, भवानीसहाय को हौज़ क़ाज़ी पुलीस चौकी से क़रीब तीस गज़ के फ़ासले पर जाते हुए देख कर उसे पकड़ने के लिए दौड़ा।

अमीनचन्द ने पुलीस को सहायता के लिए पुकारा और तब तक अपने रिवॉल्वर से अभियुक्त को घेरे रक्खा। दूसरी तरफ़ से कॉन्स्टेबिल आकर भवानीसहाय से भिड़ गए और गिरफ़्तार कर लिया! भवानीसहाय के पास कोई हथियार नहीं था। गिरफ़्तारी के समय रक्षा-बन्धन के कारण यद्यपि रास्ते में भीड़ बहुत थी परन्तु लोगों ने किसी जेबकट की गिरफ़्तारी समझ कर ध्यान नहीं दिया।

यह भी कहा जाता है कि भवानीसहाय दिल्ली में हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की एक सभा में शामिल होने के लिए आया था। कहा जाता है कि हिन्दू कॉलेज के थर्ड-इयर क्लास के विद्यार्थी राजालाल को, जो कि भवानीसहाय का सहपाठी रह चुका है, दिल्ली में भवानीसहाय के आने की बात मालूम हो गई थी और उसने सी० आई० डी० को यह ख़बर दे दी थी।

सीताराम बाज़ार में जब कि भवानीसहाय साइकिल पर जा रहा था, एक सी० आई० डी० का कॉन्स्टेबिल उसके पीछे-पीछे चला। भवानीसहाय ने यह समझ कर कि मैं पहचान लिया गया हूँ, अपनी साइकिल छोड़ दी और एक ताँगे पर सवार होकर ताँगे वाले से ख़ूब ज़ोर से भगाने के लिए कहा परन्तु आगे चल कर राखी के त्योहार के कारण रास्ते में भीड़ अधिक होने से ताँगे वाले को हौज़ क़ाज़ी के पास रुक जाना पड़ा, इतने में ही सी० आई० डी० के आदमी ने दूसरे पुलीस के आदमियों की सहायता से भवानीसहाय को गिरफ़्तार कर लिया।

कहा जाता है कि दिल्ली में षड्यन्त्रकारी दल के बहुत से सदस्य मौजूद हैं, जिनकी खोज में सी० आई० डी० पुलीस फिर रही है। कुछ समय हुआ, पुलीस सन्तरियों को षड्यन्त्रकारियों के आक्रमण के डर से भरी हुई बन्दूक़ें रखने का हुक्म हुआ था और सौ कॉन्स्टेबिलों को अवसर पड़ने पर सशस्त्र क्रान्तिकारियों का मुक़ाबिला करने के लिए रिवॉल्वर दिए गए थे

"सत्याग्रह करने वाले बदमाश हैं"

कॉङ्ग्रेस के विरुद्ध सेना तैयार करने की योजना

सी० पी० के पेन्शनयाफ़्ता पोस्ट-मास्टर जनरल ने, जो आजकल बीमारी के कारण हस्पताल में अपने जीवन के दिन गिन रहे हैं, हाल ही में भारतीय किसानों के नाम एक विचित्र विज्ञप्ति प्रकाशित करके अपनी नमक-हरामी का परिचय दिया है, जिसे पाठकों के मनोरञ्जनार्थ हम सहयोगी 'कर्मवीर' से नीचे उद्धृत कर रहे हैं। सहयोगी 'कर्मवीर' तथा 'बॉम्बे क्रॉनिकल' ने इस विज्ञप्ति की बड़ी कड़ी आलोचनाएँ की हैं। सहयोगी 'कर्मवीर' का कहना है कि इसी प्रकार के ग़ैर-ज़िम्मेदार, किन्तु उच्च पदाधिकारी अङ्गरेज़ों की यह बेजा हरकतें ही भारत के हिंसात्मक क्रान्तिकारियों को प्रोत्साहित कर रही हैं। जिस अन्यायपूर्ण विज्ञप्ति की चर्चा ऊपर की गई है, वह इस प्रकार है :—

"काश्तकार भाइयो,

आप सब लोग जानते ही हैं कि पिछले कुछ वर्षों से बदमाश लोग जनता को क़ानून तोड़ने और मूर्खतापूर्ण काम करने का सबक़ सिखा रहे हैं, जिससे देश का, तथा उनकी सलाह मानने वाले मूर्ख लोगों का नुक़सान होता है। जिन मूर्खतापूर्ण कार्यों को करने की ये लोग सलाह देते हैं, उनमें से एक है—जङ्गल-सत्याग्रह। अभी कुछ दिन पूर्व मैं एलिचपुर से गुज़र रहा था। वहाँ मैंने सुना कि यह सत्याग्रह, जिसकी पहिले परीक्षा हो चुकी है और जिसने सैकड़ों अबोध लोगों को जेल भेजा, बरार में पुनः आरम्भ किया जाने वाला है। बरार हमारी सीमा पर है, अतएव यह भी सम्भव है कि सत्याग्रह की शिक्षा देने वाले ये बदमाश लोग, हमारे निकट के ज़िले अकोला और बुलढाना से हमारे ज़िले में आवें। हम लोगों को एक होकर इन बदमाशों को ठीक उसी प्रकार अपने ज़िले से भगाना चाहिए, जिस प्रकार हम अपने घरों और खेतों से पागल कुत्तों को भगाते हैं। आप ज्योंही मुझे इस बात की ख़बर देंगे कि ये बदमाश लोग हमारे किसी गाँव में आ गए हैं, त्योंही मैं आपकी सहायता के लिए आ जाऊँगा और आपका नेता बनूँगा। अपनी सामूहिक रक्षा के लिए, आप जैसे बहादुर आदमियों की मैं पल्टन बनाऊँगा और उसका नेतृत्व ग्रहण करूँगा। भाइयो, ये शब्द मेरे ही हैं, यह सरकारी हुक्म नहीं हैं। इन शब्दों के द्वारा मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसलिए शायद सरकार मुझसे नाराज़ हो जायगी, पर आत्म-रक्षा करना मैं अपना अधिकार समझता हूँ और साथ ही साथ, मैं यह भी चाहता हूँ कि आप भी इसे अपना अधिकार समझें। अगर हम आत्म-रक्षा बुद्धिमानी से करेंगे, तो इससे हम लोग सरकार और बादशाह बहादुर पञ्चम जॉर्ज के अधिकारों की रक्षा करेंगे।

आपसे मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ। सरकार ने देश भर में हमारी रक्षा के लिए पुलीस मुक़र्रर की है। हमें पुलीस से डरना नहीं चाहिए, हमें बदमाश लोगों को गिरफ़्तार करने और उन पर मुक़द्दमा चलाने में पुलीस को सहायता देना चाहिए। ये बदमाश लोग भोले-भाले लोगों को क़ानून तोड़ने की शिक्षा और पुलीस को सदा गालियाँ देते हैं, पर हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि यद्यपि पुलीस को बड़ी कठिन अवस्था में काम करना पड़ा है, तथापि इनका व्यवहार हिन्दुस्तान भर में, राजभक्तिपूर्ण और महान रहा है। अतएव पुलीस हमारी मित्र है और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।

जिस प्रकार संसार के सभी स्थानों में लुच्चे रहते हैं, उसी प्रकार पुलीस में भी कई एक लुच्चे हो सकते हैं। अगर किसी प्रकार ये लुच्चे, आपसे पैसे ऐंठना चाहें या बिना दाम दिए रसद माँगें, तो आप मेरे पास आइए और मुझे सब बातें बतलाइए, मैं ख़ुद इस प्रबन्ध में पुलीस के साहब और खण्डवा के ज़िला साहब से मिल कर उस लुच्चे के विरुद्ध कार्यवाही करवाऊँगा और इस प्रकार मैं आपकी रक्षा करूँगा। इस काम के लिए आपको कुछ भी देना न पड़ेगा, क्योंकि न तो मैं वकील हूँ और न मैं किसी से कोई फ़ीस लेता हूँ।

मैं चाहता हूँ कि आप बहादुर बनें और सरकार द्वारा बनाए गए क़ानूनों के पालन करने में सदा तैयार रहें। अगर आप बहादुर नहीं हो सकते, तो आप जीने योग्य नहीं हैं। प्रत्येक मनुष्य आपको देख कर कहेगा कि आप डरी हुई भेड़-बकरियाँ हैं—मनुष्य नहीं।

भाइयो, अब घर जाइए ; पर घर जाने के पूर्व मुझसे यह आमन्त्रण ले लीजिए कि आप थोमोगकानापुर गाँव के मेरे बँगले को अपना ही घर समझें, जहाँ आप दिन में आवें या रात में, चौबीसो घण्टा आपका स्वागत होगा।

मेरा इरादा है कि मैं आपके गाँवों में जाऊँ और उन जवानों के नाम लिखूँ, जो मेरी पल्टन में शामिल होने को तैयार हैं। इस पल्टन का नाम हम 'आत्म-रक्षिणी सेना' रक्खेंगे।

महात्मा जी लन्दन को रवाना हो गए

गत २९ अगस्त को पूरे ६ महीने के बाद बम्बई में राष्ट्रीयता और स्वतन्त्रता-प्रेम का सजीव रूप फिर दिखाई दिया था। दिल्ली के गाँधी-इर्विन समझौते के बाद आज़ादी का संग्राम स्थगित होने के कारण, बम्बई की राजनीतिक चहल-पहल कम हो गई थी। किन्तु उससे कहीं बढ़ कर नज़ारा गत २९ अगस्त को महात्मा जी के लन्दन प्रस्थान करते समय दिखाई दिया। महात्मा जी जहाज़ पर सवार होने के लिए उस दिन ८ बजे प्रातःकाल स्पेशल ट्रेन द्वारा बम्बई पहुँचे। भीड़ से बचने के लिए आप बम्बई से १० मील आगे ही बान्द्रा नामक स्टेशन पर उतर पड़े थे। किन्तु वहाँ भी आपके दर्शनों के लिए लालायित जनता का भारी समूह एकत्र था। बम्बई प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की ओर से महात्मा जी के स्वागत का विशेष प्रबन्ध किया गया था। कमिटी के प्रेज़िडेण्ट श्री० नरीमैन अनेक प्रमुख सज्जनों सहित उपस्थित थे। स्पेशल ट्रेन के पहुँचते ही 'महात्मा गाँधी की जय' से स्टेशन कम्पायमान हो गया। जन-समूह महात्मा जी के डब्बे की ओर टूट पड़ा। कुछ सौभाग्यशाली लोग फ़ौरन कूद कर डब्बे में घुस गए। डब्बे में भी इतने लोग पहुँच गए कि प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े हुए लाखों दर्शकों को खिड़की से झाँक कर भी महात्मा जी दर्शन न दे सके। जो लोग भीतर पहुँच पाए थे, उन्होंने खद्दर की मालाएँ महात्मा जी को पहनाईं। भीड़ को चीर कर बड़ी मुश्किलों से श्री० नरीमैन डब्बे की खिड़की तक पहुँच सके। विचार किया गया कि इस स्टेशन पर महात्मा जी का उतरना भीड़ की वजह से असम्भव है, इसलिए बिना सूचित किए हुए किसी स्टेशन पर चुपके से महात्मा जी उतरें और वहाँ से मोटर पर बैठा कर शहर ले जाए जायँ। इस निश्चय के बाद भी श्री० नरीमैन को प्लेटफ़ॉर्म पर से भीड़ को हटाने में, जिससे कि लोग गाड़ी से कुचल न जायँ, आध घण्टे से अधिक समय लग गया। बड़ी मुश्किलों से गाड़ी वहाँ से चल पाई।

इसके बाद दादर स्टेशन पर ९॥ बजे गाड़ी खड़ी हुई और वहाँ से चुपके से महात्मा जी मोटर द्वारा आज़ाद मैदान में पहुँचे। वहाँ सभा की तैयारी पहले ही से थी और लाखों की संख्या में जनता एकत्र थी। महात्मा जी ने एक मकान के बारज़े पर खड़े होकर वक्तृता दी। घोर वर्षा हो रही थी, किन्तु फिर भी लोग खड़े हुए महात्मा जी का व्याख्यान सुन रहे थे।

महात्मा जी की वक्तृता

अपनी वक्तृता में महात्मा जी ने कहा—मैंने सरकार के दूसरे समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। लोग कहेंगे कि इसको क्या हो गया है और इसने क्या कर डाला ? परन्तु जनता ने मुझे गोलमेज़ के लिए एकमात्र प्रतिनिधि चुन कर मुझ में जो विश्वास प्रकट किया है, उसी के अनुसार मैं कॉङ्ग्रेस के आदेश का ही पालन करूँगा और किसी को धोखा नहीं दूँगा। न तो अङ्गरेज़ों को, न अन्य किसी को और न भारत की करोड़ों मूक जनता ही को। यदि मैं आपको धोखा दूँ, तो मुझे मार डालना भी हिंसा करना न होगा। मुझे न अङ्गरेज़ों से दुश्मनी है, न मुसलमानों से और न किसी दूसरे से।

समुद्र के किनारे

आज़ाद मैदान के बाद महात्मा जी समुद्र के किनारे जहाज़ पर सवार होने के लिए ले जाए गए। यहाँ जैसी विराट भीड़ लोगों की जमा थी और जितना उत्साह था, वैसा इससे पहिले बम्बई में कभी देखने में नहीं आया था। कहीं तिल रखने भर को जगह न थी। देश-सेविकाओं, स्वयंसेवकों और राष्ट्रीय झण्डों की शोभा निराली थी। रह-रह कर पानी बरस रहा था, किन्तु जनता निश्चल खड़ी थी। उस समय तो भीड़ और भी उमड़ पड़ी, जब महात्मा जी जहाज़ के पास श्री० नरीमैन, सेठ जमुनालाल बजाज और सरदार पटेल आदि द्वारा बनाए हुए घेरे में होते हुए पहुँचे। भीड़ की अधिकता के मारे लोगों की जानें सङ्कट में पड़ गईं। बड़ी मुश्किलों से महात्मा जी, मालवीय जी और श्रीमती सरोजिनी नायडू के साथ जहाज़ पर पहुँच सके। ५ मिनट आराम करने और पत्र-प्रतिनिधियों को सन्देश देने के बाद महात्मा जी, उपस्थित जनता के घनघोर चीत्कार मचाने पर, जहाज़ के ऊपर डेक पर आए और आध घण्टे तक खड़े रह कर जनता का हर्षाभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद जनता की कान के परदे फाड़ने वाली "महात्मा गाँधी की जय" ध्वनि के बीच महात्मा जी का 'राजपूताना' नामक जहाज़ भारत-भूमि की गोद से भारत के हृदय-सम्राट को लेकर प्रस्थान कर गया।

महात्मा जी का सन्देश

महात्मा जी प्रस्थान करते समय देशवासियों के नाम सन्देश देते हुए, यह कह गए हैं—यद्यपि मुझे आशा दिखाई नहीं देती, किन्तु मैं जन्म का आशावादी हूँ और निराशा में भी मैं आशा करता हूँ। मेरा ईश्वर में दृढ़ निश्चय है और मालूम होता है कि उसी ने लन्दन जाने का मेरा मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर मेरे द्वारा मानव-जाति की सेवा कराना चाहता है, क्योंकि भारत की सेवा में समस्त संसार के मनुष्यों की सेवा सम्मिलित है।

'बड़के-भय्या' के नाम उनके जाति-भाई की खुली चिट्ठी

करांची के एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय विचार के मुसलमान सज्जन ने मुसलमानों के "एकमात्र प्रतिनिधि" नामधारी मौलाना शौकतअली के नाम अङ्गरेज़ी में एक 'खुली चिट्ठी' लिख कर मौलाना साहब के निन्दनीय हथकण्डों का ख़ूब ही भण्डा-फोड़ किया है। उसी पत्र का हिन्दी-अनुवाद पाठकों के मनोरञ्जनार्थ नीचे दिया जाता है।

—स० 'भविष्य'

प्यारे दोस्त, मैं आपके कार्यों का उसी समय से ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहा हूँ जब कि कराची में आप पर राजद्रोह और अन्य जुर्मों के लिए अभियोग चलाया गया था। आजकल जब कि आपके कुछ सहधर्मी, मुसलमान भाइयों के हितसाधन के लिए आपके उत्साह की प्रशंसा कर रहे हैं, मैं आपके कुछ हाल के कामों की निन्दा किए बिना नहीं रह सकता। आप अपने छोटे भाई की तरह नाम और यश कमाना चाहते हैं, पर उनके सिद्धान्त और नीति निन्दा से परे थी, वे सदा निर्दोष शस्त्रों से लड़ते थे उन्होंने कभी पीछे से छुरी मारने की कोशिश नहीं की। पर आप इससे बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। आप मौक़े-बेमौक़े सदा महात्मा गाँधी के उज्ज्वल नाम पर धूल फेंकने की चेष्टा करते रहते हैं, जिनके पैरों की धूल को आप एक समय बहुत पवित्र मानते थे। इस कारण दिन-पर-दिन आपका पतन होता जाता है।

माँगा हुआ प्रकाश

ख़िलाफ़त आन्दोलन के ज़माने में महात्मा जी द्वारा प्रदान प्रकाश से आपने प्रसिद्धि पाई, पर आप ऐसे अहसान-फ़रामोश शख़्स हैं कि उन्हीं को गाली देते हुए कभी नहीं थकते। क्या आप समझते हैं कि ऐसा करने से महात्मा जी का समुज्ज्वल नाम नष्ट हो सकेगा और आप अपनी जाति और दूसरे लोगों की निगाह में इज़्ज़त पा सकेंगे? आपके साथी, जैसे फ़ज़ली-हुसैन, शफ़ी दाऊदी, नून और दूसरे लोग केवल राजनीतिक मामलों में अपना मतलब साधने के लिए आपको बेवक़ूफ़ बना कर फँसाते हैं और भीतर ही भीतर आपके पागलपन के प्रलापों पर हँसते हैं। वैसे आप समझदार आदमी हैं और अपनी अन्तरात्मा में ज़रूर ही समझते होंगे कि आपकी गालियों और आक्षेपों का महात्मा जी पर ज़रा भी असर नहीं पड़ता। वे न आपको जैसे का तैसा जवाब देते हैं, न बदला लेने की चेष्टा करते हैं, और यदि कभी आपका ज़िक्र करते हैं तो वह ऐसा होता है कि उसको आपकी बातों के साथ मिला कर देखने से आपकी बेइज़्ज़ती हिन्दुस्तानियों में ही नहीं, वरन् विदेश वालों में भी होती है। वे दुनिया के एक महापुरुष हैं और आप बड़ी-बड़ी बातों के बघारने और दैत्य के समान शरीर होने पर भी, उनके सामने बिल्कुल बौने हैं।

झूठे दोस्त

जिस तरह आपके झूठे दोस्त आपकी प्रशंसा करते हैं, उसी तरह नौकरशाही भी इस समय आपकी बात पूछ रही है। पर जैसे ही भारत का सर्वाङ्गपूर्ण शासन-मसौदा मेज़ पर रक्खा जायगा, आप दूर फेंक दिए जायँगे और आपकी वही हालत होगी "धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का"

महात्मा गाँधी ने अपने मधुर एवं उचित व्यवहार और सादगी के द्वारा लॉर्ड इर्विन के साथ समझौते में सफलता प्राप्त की। पर आप अपनी तमाम उम्र और पचास वर्ष अधिक के अनुभव से भी ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने उसी उपाय से आपको भी फिर शुद्ध करके अपने साथ मिला लेने की कोशिश की, पर आप पर असर न पड़ा। ख़िलाफ़त आन्दोलन के समय आप महात्मा जी को अपना गुरु कहते थे और उनके पैरों को चाटने को राज़ी थे। क्या यह इसलिए था कि महात्मा जी बड़ी तत्परता से उस कार्य में संलग्न हुए, जिसे आप कर रहे थे और उसमें सफलता प्राप्त की? अथवा इसलिए कि उन्होंने ख़िलाफ़त के लिए लाखों रुपए इकट्ठे कर दिए, जिसके मुख्य कर्त्ता-धर्त्ता आप ही थे? कुछ भी हो, आप महात्मा जी की इच्छा पर ही चलते थे। अब वह मौक़ा निकल गया और आप कुछ फ़ायदा न होने से उसके लिए उद्योग नहीं करते। इसके सिवाय सरकार ने आपकी पेन्शन और जागीर वापस कर दी है, इसलिए आप अपने देशवासियों को हमेशा के लिए ग़ुलामी में रखने को उसका साथ दे रहे हैं। आपकी माता जी, जो पूर्णतया राष्ट्रवादिनी थीं, मृत्यु होने से आप पर कोई अङ्कुश नहीं रहा और आप कुमार्गगामी होकर घोर सम्प्रदायवादी बन गए। आपके भाई की मृत्यु के बाद आपका दिमाग़ और भी बिगड़ गया और अब आप बिना नकेल के ऊँट की तरह हो रहे हैं। आपके छोटे भाई ऐसी नीचता से दूर रहते थे। वे पहले अपने को हिन्दुस्तानी मानते थे और बाद में मुसलमान। लन्दन में पहली राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स में उन्होंने कहा था कि या तो मैं स्वाधीन होकर भारत वापस जाऊँगा या यहीं पर मेरी क़ब्र बनेगी।

आँसू पोंछना

अपने कुछ पिछलगुओं की सहायता से आप कॉन्फ़्रेन्सों और मीटिङ्गों के सभापति बनते हैं, जिनमें थोड़े से दर्शक इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें आप ऐसे प्रस्ताव पास करते हैं कि अगर आपकी माँगें पूरी न की जायँगी तो आप राउण्ड-टेबिल कॉन्फ़्रेन्स को बर्बाद कर देंगे। पर आपके प्रस्ताव के पक्ष में आपके अधिकांश सहधर्मी भी नहीं हैं। राष्ट्रीय विचार वाले और उलेमा आपका समर्थन नहीं करते। आपके प्रस्ताव केवल आँसू पोंछने की तरह हैं, जो इस देश में और इङ्गलैण्ड में किसी को धोखा नहीं दे सकते। वरना क्या आप समझते हैं कि आप इतने बड़े आदमी हैं कि वायसरॉय आपसे भेंट करें और बीमार पड़ने पर आपकी चिकित्सा वायसरॉय-भवन में, लॉर्ड इर्विन के ख़ास डॉक्टर द्वारा, की जाय? अब गवर्नमेण्ट ने आपको दूसरी राउण्डटेबिल-कॉन्फ़्रेन्स में निमन्त्रित करके आपकी शान और भी बढ़ा दी है, जिसकी कल्पना आपने कभी स्वप्न में भी न की होगी। क्या आप समझते हैं कि जब भारत के भाग्य का निबटारा स्थाई रूप से हो जायगा, तब भी गवर्नमेण्ट की आप पर ऐसी ही मिहरबानी रहेगी और फ़ज़ली हुसैन तथा नून आपको इसी प्रकार बड़ा बनाते रहेंगे? नहीं, हज़ार बार नहीं। इसलिए आप उस चश्मे को उतार कर फेंक दें, जिसने आपकी निगाह को धुँधली बना रक्खा है, और दिन के प्रकाश को देखें, पेश्तर इसके कि मौक़ा हाथ से निकल जाय। आपके भाई की आँखें खुली रहती थीं और उनकी दूर-दृष्टि थी, जिसकी आप में बहुत ही कमी है। यह मेरी आपके लिए बहुत ही नेक सलाह है।

महात्मा जी की जहाज़ पर की बातें

मालवीय जी, श्री० नायडू, मीराबेन आदि बीमार हो गए!

दैनिक 'भविष्य' का रियूटर का विशेष बेतार का तार है कि महात्मा जी का जहाज़ में पहला दिन बड़ी प्रसन्नता से बीता। आपने जहाज़ के यात्रियों से ख़ूब घुल-मिल कर बातें कीं और लड़कों के साथ ख़ूब खेले। जहाज़ के कप्तान ने महात्मा जी को जहाज़ के पुल पर टहलने के लिए बुलाया था। आपने कप्तान से मुस्कराते हुए कहा—"मैं पन्द्रह दिनों के लिए आपका क़ैदी हूँ।" कप्तान ने भी हँसते हुए जवाब दिया—"मैं आपसे बहुत सुन्दर व्यवहार करूँगा, किन्तु समुद्रीय मौसम के सम्बन्ध में मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता।" कप्तान के इस उत्तर पर महात्मा जी खिलखिला कर हँस पड़े और बोले—"इसकी कोई चिन्ता नहीं, क़ैदी की अपेक्षा मैं नाविक अधिक अच्छा हूँ।"

महात्मा जी १० गैलन बकरी का दूध डॉ० मेहता द्वारा वैज्ञानिक रीति से शुद्ध करा कर ले जा रहे हैं। आपके पास सैकड़ों तार संसार के सभी हिस्सों से समुद्र की सकुशल यात्रा के लिए आए। उन तारों को पढ़ने के बाद महात्मा जी ने बहुत देर तक चर्ख़ा चलाया और उसके बाद डेक पर प्रार्थना की। आपकी प्रार्थना देख कर जहाज़ के यात्रियों को बड़ा कुतूहल हुआ और बहुत से यात्रियों ने प्रार्थना में भाग लिया।

मौलाना शौकतअली भी साथ होंगे

ख़बर है कि पोर्ट सईद से मौ० शौकत अली भी महात्मा जी के साथ ही लन्दन जायँगे। मौलाना के महात्मा जी के साथ यात्रा करने से लोगों को यह आशा हो रही है कि साम्प्रदायिक प्रश्नों के समझौते की जड़ यहीं से जम जायगी।

महात्मा जी रात भर डेक में खुली जगह में सोए, यद्यपि समुद्र में लहरें ज़ोरों से उठ रही थीं।

(दूसरा तार)

३० अगस्त को एक दूसरे तार द्वारा ख़बर मिली थी कि मालवीय जी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, नवाब भोपाल, कुमारी मीरा बेन और श्री० प्यारेलाल आदि समुद्री बीमारी से बीमार हो गए हैं, किन्तु महात्मा जी चतुर और अभ्यस्त नाविक की भाँति पूर्णतया स्वस्थ हैं। महात्मा जी नियमित रूप से बराबर भोजन कर रहे हैं और आराम से सो रहे हैं। आप खुले डेक पर सोते और प्रातःकाल ४ बजे उठते हैं। जहाज़ के कप्तान मि० जैक महात्मा जी का अच्छा आतिथ्य कर रहे हैं और उनका व्यवहार हर प्रकार से सौजन्यपूर्ण है।

सर प्रभाशङ्कर पट्टणी ने महात्मा जी से अनुरोध किया था कि आप फ़र्स्ट क्लास में चले आवें, किन्तु महात्मा जी ने इन्कार कर दिया।

महात्मा जी अपना समय लिखने-पढ़ने, सम्वाददाताओं के प्रश्नों का उत्तर देने और मित्रों से गप-शप करने में व्यतीत करते हैं। फ़ोटो लेने और आत्म-कथा पूछने वाले यात्रियों के आग्रह को आप मुस्कराते हुए प्रायः स्वीकार कर लेते हैं।

[वर्ष १, खण्ड ४, संख्या १३

चटगाँव के पुलीस इन्स्पेक्टर की हत्या !

१६ वर्ष का हत्याकारी बालक और उसके ७ साथी गिरफ़्तार !!

पुलीस इन्स्पेक्टर की हत्या का परिणाम :: मुसलमान गुण्डों का भीषण उत्पात :: हिन्दुओं की करोड़ों की सम्पत्ति लूट ली गई ।

गत २९ अगस्त को चटगाँव के पुलीस इन्स्पेक्टर ख़ाँ बहादुर अहसानउल्ला को एक सोलह वर्ष के लड़के ने गोली से मार डाला । पुलीस इन्स्पेक्टर चटगाँव में फ़ुटबाल टीम के संरक्षक और फ़ुटबाल के खेल के बड़े प्रेमी थे । घटना के दिन आपकी फ़ुटबाल-टीम ने रेलवे कप जीता था । पुलीस इन्स्पेक्टर जीतने वाले को बधाई दे रहे थे । जैसे ही यह कार्य समाप्त हुआ, वैसे ही एक सोलह वर्षीय लड़के ने आगे बढ़ कर इन्स्पेक्टर की छाती में गोली मार दी और वे उसी समय मर गए ।

एक दूसरे इन्स्पेक्टर ने, जो फ़ुटबाल के खिलाड़ी हैं, हत्याकारी को पकड़ने की चेष्टा की, परन्तु वह पकड़ा नहीं गया ।

पीछे से ख़बर आई है कि हत्याकारी लड़का पकड़ा गया है । उसका नाम हरिपद भट्टाचार्य है और चटगाँव ज़िले बोवालखाली डिविज़न के आकालिया ग्राम का रहने वाला है । पुलीस ने बोवालखाली के सात और नवयुवकों को भी गिरफ़्तार किया है । इस हत्या के सम्बन्ध में और भी तलाशियाँ हो रही हैं ।

ख़ाँ बहादुर अहसानउल्ला २३ वर्ष के पुराने पुलीस कर्मचारी थे । हिन्दू-मुसलमान दोनों भारतीयों से आपका सद्भाव था । इससे पहले चटगाँव में विद्रोहियों द्वारा जो हथियारख़ाना लूट लिया गया था, उस सम्बन्ध में मृत ख़ाँ बहादुर ने कई विद्रोहियों का पता लगा कर उन्हें गिरफ़्तार किया था, और हथियारख़ाने की घटना की जाँच का भार भी इन्हीं पर था । वायसरॉय, बङ्गाल के गवर्नर के सिवा अन्यान्य बहुत से हिन्दू और मुसलमानों ने आपकी शोकजनक मृत्यु के लिए खेद प्रगट किया है तथा आपके शोक सन्तप्त परिजनों के प्रति समवेदना प्रगट की है ।

शव संस्कार और मुसलमान गुण्डों का भीषण उत्पात

गत १ सितम्बर की ख़बर है कि इस हत्याकाण्ड की ख़बर पाते ही चटगाँव के मुसलमानों का रक्त अत्यन्त उत्तेजित हो उठा और कई टोलियों में विभक्त होकर, नगरवासी हिन्दुओं के दिलों पर भय का सञ्चार करता हुआ, इधर-उधर घूमने लगा । मुसलमानों का यह बेढब रङ्ग देख कर हिन्दू बेतरह भयभीत हो गए और अपनी दूकानों तथा घरों के दरवाज़े बन्द कर लिए ।

उधर सेटिलमेण्ट ग्राउण्ड नामक स्थान में शव-संस्कार की तैयारियाँ हो रही थीं । परलोकगत ख़ाँ बहादुर के प्रति सम्मान प्रदर्शन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आदि बहुत से राज-कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रायः हज़ारों देहाती मुसलमान वहाँ उपस्थित थे । अभी शवसंस्कार समाप्त भी नहीं हुआ था कि उत्तेजित मुसलमान जनता ने हिन्दुओं को लूटना, मारना और उनके घरों में आग लगाना आरम्भ कर दिया । देखते देखते दर्जनों बड़ी-बड़ी दूकानें लूट ली गईं । कई ऊँची अट्टालिकाओं में आग लगा दी गई । दूकानों के अन्दर से बड़ी-बड़ी लोहे की तिजोरियाँ रास्तों पर लाकर तोड़ी जाने लगीं । हज़ारों रुपए की मूल्यवान् चीज़ें इधर-उधर रास्तों पर फेंक दी गईं और लोग उन्हें स्वच्छन्दता-पूर्वक उठा-उठा कर ले जाने लगे । १० से ४ बजे तक नगर के सभी बड़े-बड़े हिन्दू दूकानदार लूट लिए गए । लाखों रुपए के सोने-चाँदी के गहने, बर्तन, कपड़े और रुपए-पैसे लुटेरे उठा ले गए । चावल के गोलों से हज़ारों बोरे नावों पर लाद-लाद कर अन्यत्र पहुँचा दिए गए । चटगाँव शहर के चन्दनपुर, चौकबाज़ार, पत्थरघाटा, चैतन्यगली, लालपाड़ा और रियाउद्दीन बाज़ार आदि मुहल्ले एकदम लूट लिए गए । लोगों का अनुमान है कि इस लूट में हिन्दुओं की प्रायः एक करोड़ रुपए की क्षति हुई है ।

घायल हिन्दू

इस भीषण लूट के अलावा सैकड़ों हिन्दुओं को चोटें भी लगी हैं । बहुत से घायल हिन्दू अस्पतालों में पड़े हैं । कहते हैं, इस दङ्गे में हिन्दू सम्पूर्ण रूप से अहिंसात्मक रहे । कुछ युवकों ने केवल स्त्रियों और बच्चों की रक्षा की थी । हमें अभी एक भी मुसलमान के घायल होने की ख़बर नहीं मिली है ।

अस्तु, प्रायः ३ बजे, राँगामारी नामक स्थान से कमिश्नर साहब के पधारने पर पुलीस ने शान्ति की स्थापना की ओर मनोयोग किया । चार बजे शाम को सारे शहर में कर्फ़्यू ऑर्डर जारी कर दिया गया और पलटन के जवान भी इधर-उधर गश्त लगाने लगे ।

इसके बाद की ख़बरों से मालूम हुआ है कि अब शान्ति है । परन्तु हिन्दू अत्यन्त भयभीत हो रहे हैं । सैकड़ों हिन्दू-परिवार अपने बाल-बच्चों को लेकर भाग गए हैं ।

लोगों की धारणा

ख़बर मिली है कि अब चटगाँव में पूर्ण शान्ति है । परन्तु अभी तक गिरफ़्तारियों की कोई ख़बर नहीं है । लोगों की धारणा है कि अगर अधिकारी वर्ग समयोचित सतर्कता से काम लेता तो यह भीषण काण्ड न होने पाता ।

जवाहरलाल जी लन्दन क्यों नहीं गए ?

"मुख्य कार्यकर्त्ता अपने मुक़ामों पर डटे रहें"

३ सितम्बर के 'यङ्ग इण्डिया' में महात्मा गाँधी का "अकेला, फिर भी अकेला नहीं" शीर्षक लेख छपा है, जिसमें कहा गया है—"रेनॉल्ड और दूसरे मित्रों की इच्छा थी कि मैं कम से कम जवाहरलाल जी को साथ लन्दन ले जाऊँ, क्योंकि वे निर्भय होते हुए भी नम्र हैं, किसी तरह की कमज़ोरी प्रगट करना जानते ही नहीं और कमज़ोरी का पता एक क्षण में लगा लेते हैं । वे कूटनीति से अलग रहने के कारण कूटनीति-पूर्ण बातों से घृणा करते हैं और एकदम मामले की मूल बात को सामने रख देते हैं । मैं उनसे बढ़ कर आदर्शवादी माना जाता हूँ, और उनका साथ में होना इस त्रुटि को मिटा देता । मैं जवाहरलाल जी का सम्मान करता हूँ और अन्य मित्रों की तरह मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि वे मेरे साथ जायँ और सन्देहजनक मामलों में मेरे लिए डिक्शनरी का काम दें । लोग चाहते थे कि दूसरे व्यक्ति भी मेरे साथ जायँ............और सभी प्रस्ताव सारयुक्त थे । ये सब बातें वर्किङ्ग कमिटी के सामने पेश हुई थीं और बड़ी देर तक ख़ूब बहस होने के बाद यह नतीजा निकला कि कॉङ्ग्रेस का प्रतिनिधि एक ही हो । मैं भी वर्किङ्ग कमिटी के सदस्यों की सम्मति से पूर्ण सहमत हूँ ।" इसके पश्चात् महात्मा जी ने बतलाया कि किस प्रकार उनको कमज़ोरी जान पड़ी और किसी ने उनकी अन्तरात्मा में कहा कि शिमला-यात्रा का भार उनको अकेले नहीं उठाना चाहिए । इसलिए उन्होंने जवाहरलाल, अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ और डॉ० अन्सारी को बुलाया और कहा कि उनमें से हर एक का उनके साथ में रहना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । गाँधी जी फिर लिखते हैं कि ऐसी दशा में पाठकों का यह समझना ठीक है कि जवाहरलाल मेरे साथ लन्दन जाते तो अच्छा था । पर मेरे साथी अभी तक यही मानते हैं कि कॉङ्ग्रेस के एक ही प्रतिनिधि का होना उचित है और उनको लन्दन में प्रतिनिधि अथवा सलाहकार की हैसियत से रहने के बजाय भारत में अपने मुक़ामों पर ही डटे रहना चाहिए । उनका विचार है कि उनके भारत में रहने से कहीं अधिक लाभ होगा, बनिस्बत इसके कि वे लन्दन में वाद-विवाद कर सकें । अन्त में गाँधी जी कहते हैं कि मैं लन्दन अपनी कमज़ोरी को पूर्ण रूप से अनुभव करते हुए और केवल ईश्वर को अपना मार्ग प्रदर्शक बना कर जाना चाहता हूँ । मेरा ईश्वर किसी को अपने अधिकार में हस्तक्षेप करने की आज्ञा नहीं दे सकता । "इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उसके सामने अपनी कमज़ोरियाँ लेकर ख़ाली हाथ आत्मसमर्पण के भाव से खड़ा होना चाहिए । तब वह तुमको समस्त संसार के सम्मुख खड़े होने की शक्ति देगा और सब बाधाओं से रक्षा करेगा । जब मैं लन्दन की सम्भावनाओं पर विचार करता हूँ, जब मैं जानता हूँ कि अभी भारत का मामला ठीक नहीं है, जब मैं जानता हूँ कि दूसरे समझौते में न कोई शोभा है न सुखद-स्मृति, तो मेरे निराश हो जाने में कोई कमी नहीं रहती । क्षितिज अधिक से अधिक अन्धकारपूर्ण है । मेरे ख़ाली हाथ लौट आने की बहुत कुछ सम्भावना है । ऐसी दशा में कमज़ोरी का अनुभव हुआ करता है । पर यह विश्वास करके कि परमात्मा ने दूसरे समझौते द्वारा मेरे मार्ग को स्पष्ट कर दिया है, मैं आशा के साथ जा रहा हूँ और समझता हूँ कि इससे जो कुछ फल निकलेगा, वह राष्ट्र के लाभ का होगा, बशर्ते कि कॉङ्ग्रेस ने मुझे जो अधिकार दिया है उसके सम्बन्ध में मैं बेईमान न हो जाऊँ ।"

'भविष्य' की व्यङ्ग-चित्रावली का एक पृष्ठ

मि० चर्चिल का स्वागत (जो दुर्भाग्य से सम्भव नहीं रहा)

इङ्गलैण्ड का चर्चिल-ग्रूप—निकालो, निकालो ! इस भारत के 'अर्द्ध-नग्न फ़क़ीर' को दूर करो !!
इङ्गलैण्ड की 'अर्द्ध-नग्न' स्त्रियाँ—स्वागत ! स्वागत !! आदर्श पुरुष ! यदि भूले-भटके आगए, तो अवश्य ही हम तुम्हारा स्वागत करेंगी !!!

७ सितम्बर, सन् १९३१

राजनीति की उलझनें

जिस दिन ये पंक्तियाँ प्रकाशित होंगी, महात्मा गाँधी भारत और ब्रिटेन के बीच का आधा से अधिक मार्ग तय कर चुके होंगे। महात्मा जी तथा कॉङ्ग्रेस-वर्किङ्ग-कमिटी के गोलमेज़ में सम्मिलित होने के अन्तिम निर्णय को, हम राजनीति की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझते; यद्यपि हम यह बात सहज ही विस्मरण नहीं कर सकते कि महात्मा जी का अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज़ में सम्मिलित होना, ऐतिहासिक दृष्टि से भारत और ब्रिटेन के लिए एक असाधारण घटना है। भारत के अङ्गरेज़ी शासन काल के इतिहास में यह प्रथम अवसर है, जब कि लण्डन की गोलमेज़ सभा में भारतीय शासन-विधान के निर्णय में अपना मत प्रकट करने के लिए ब्रिटिश सरकार के निमन्त्रण पर भारतीय जनता का सच्चा प्रतिनिधि सम्मिलित हो रहा हो। इस ऐतिहासिक घटना का विशेष महत्व इस बात में है कि भारत का वह सच्चा प्रतिनिधि कॉङ्ग्रेस का भी प्रतिनिधि है—उस कॉङ्ग्रेस का, जिसे विगत दस-ग्यारह वर्षों की राजनीतिक उथल-पुथल में भारत सरकार ने कई बार ग़ैर-क़ानूनी और क़ानूनी; क़ानूनी और ग़ैर-क़ानूनी क़रार दिया है!

गत सप्ताह के सम्पादकीय विचार में हमने गाँधी-विलिङ्गडन मिलन के राजनीतिक रहस्यों की कल्पना करते हुए इस बात का सङ्केत किया था कि इस मिलन के परिणाम-स्वरूप कॉङ्ग्रेस तथा महात्मा गाँधी अपना निर्णय बदलने को विवश हो सकते हैं। अधिक अंशों में हमने इस सम्भावना की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया था और जिस बात की ओर हमारा सङ्केत था, वह होकर ही रही। गाँधी जी लॉर्ड विलिङ्गडन से मिले। लॉर्ड विलिङ्गडन की सरकार भी झुकी और गाँधी जी तथा कॉङ्ग्रेस वर्किङ्ग-कमिटी भी अपनी माँग में पीछे हटी। तात्पर्य यह कि गाँधी-विलिङ्गडन मिलन को इतिहास की घटना के रूप में हम इसी प्रकार कह सकते हैं कि कॉङ्ग्रेस ने अपनी सारी पहली माँग हटा ली। लॉर्ड विलिङ्गडन ने यद्यपि बारडोली की जाँच का उत्तरदायित्व अपनी सरकार पर लिया और इस कार्य के लिए नासिक ज़िले के एक सिविलियन मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी की, तो भी यह बात ध्यान देने योग्य है कि महात्मा जी की दूसरी साथ रख माँग भी—अर्थात् बारडोली के किसानों पर सरकारी अफ़सरों के द्वारा किए गए अत्याचारों की जाँच एक ऐसे ज़िम्मेदार सरकारी कर्मचारी द्वारा हो, जिस पर सरकार और जनता, दोनों का ही विश्वास हो और जो कम से कम हाईकोर्ट का जज हो—सरकार के द्वारा अस्वीकृत कर दी गई। महात्मा जी के द्वारा अन्य प्रान्तीय सरकारों के ऊपर किए गए दोषारोपणों की जाँच के सम्बन्ध में तो सरकार ने स्पष्टतः अपनी अस्वीकृति दे दी। तात्पर्य यह कि महात्मा जी का लण्डन जाने और गोलमेज़ में सम्मिलित होने का निर्णय उस अवसर में हुआ है, तथा महात्मा जी ने उस अवसर में लण्डन के लिए प्रस्थान किया है, जब कि भारत का राजनीतिक प्रवाह समुचित एवं सन्तोषजनक दिशा की ओर प्रवाहित होता नहीं दीख पड़ता। परन्तु यदि यह समस्या भारत तक ही सीमित रहती तो कोई बात न थी। ब्रिटेन का वर्त्तमान राजनीतिक प्रवाह जिस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, उस से पूर्णतः विरक्त रहते हुए भी, हम यह विस्मरण नहीं कर सकते कि नए मन्त्रि-मण्डल में अनुदार दल का विशेष हाथ है तथा भारत-मन्त्री के पद का दायित्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ सौंपा गया है, जो केवल एक ग़ैर ज़िम्मेदार राजनीतिज्ञ ही नहीं, वरन् भारत-हित का घोर विरोधी और भारतीय आकांक्षाओं के प्रति अधिक से अधिक दायित्वहीन है। यद्यपि यह बात सत्य है कि भारतीय प्रश्न और भारत के स्वराज्य सम्बन्धी समस्याओं पर ब्रिटेन का प्रत्येक दल एक ही नीति से काम लेता है तथा ब्रिटेन की घरेलू राजनीति भारतीय राजनीति की समस्याओं में विशेष अन्तर नहीं डालती। फिर भी मि० वेजउड बेन का दायित्व सर सैमुएल होर के हाथों में सौंपा जाना तथा सर सैमुएल का वह तार, जिसमें उन्होंने भारत सरकार के अधिकारियों से सहानुभूति प्रदर्शित की है, राजनीति के उस मार्मिक एवं कटु अंश का द्योतक है, जिसका प्रतिकार न तो गोलमेज़ सम्मेलन ही कर सकेगा और न ब्रिटेन की पार्लामेण्ट ही कर सकेगी।

इस नए मन्त्रि-मण्डल का भारतीय राजनीति एवं गोलमेज़ सम्मेलन पर क्या प्रभाव होगा, इस सम्बन्ध में महात्मा जी से प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उपेक्षा की दृष्टि से कहा था—"यह मेरे लिए अत्यन्त ऊँची राजनीति है। निश्चय ही इस प्रकार का उत्तर देते समय महात्मा जी ने यह महान् सत्य अपने दृष्टिकोण के सम्मुख रक्खा था कि भारत का मन्त्रि-मण्डल चाहे अच्छे से अच्छे अथवा बुरे से बुरे लोगों के द्वारा ही क्यों न निर्मित हो, इसका प्रभाव भारतीय राजनीति पर नहीं पड़ सकता; कारण, जहाँ भारत के स्वराज का प्रश्न आता है, वहाँ ब्रिटेन के सभी दल और सभी प्रकृति के राजनीतिज्ञ एक ही नीति का अवलम्बन करते हैं। परन्तु यहाँ प्रश्न यह उठता है कि भारत के सम्बन्ध में ब्रिटेन की एक पक्षीय-नीति होने पर भी, कॉङ्ग्रेस ब्रिटेन की भिक्षा और सहायता पर निर्भर ही क्यों रहे? इसी प्रश्न की ओर परोक्ष रीति से सङ्केत करते हुए महात्मा जी ने गत २९वीं अगस्त के प्रातःकाल बम्बई के आज़ाद मैदान में एक अपार जन-समूह के सामने भाषण करते हुए कहा था—

'भारत में करोड़ों मनुष्य भूखों मर रहे हैं। मैं एक पङ्गु राष्ट्र का पङ्गु प्रतिनिधि हूँ। मेरे सहायक केवल भगवान हैं और मेरी दुर्बलता ही मेरी सफलता है। अहिंसा में विश्वास और आशा रखते हुए मैं लण्डन जा रहा हूँ।'

कहना नहीं होगा कि महात्मा जी के इस कथन में इस अभागे देश की असहायता का केवल मार्मिक रूप ही नहीं, वरन् गोलमेज़ की असफलता का पूर्व सङ्केत परोक्ष रूप में छिपा है। अन्यथा, यदि ब्रिटेन भारत की मनोनीत आकांक्षा पूरा कर सकता तो फिर भगवान पर भरोसा और अहिंसा की चेतावनियों की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? महात्मा जी की दुर्बलता ही में उनकी सफलता है, यह बात स्पष्टतः इस महान् सत्य का सङ्केत है कि पङ्गु भारत की मनोकामना, राजनीति के बृहत् प्रश्नों और उसकी टेढ़ी उलझनों में नहीं, वरन् भारत के सत्याग्रह और अहिंसात्मक संग्राम के द्वारा पूरी होगी। गोलमेज़ सम्मेलन की सफलताओं और असफलताओं से निर्विकार होकर महात्मा जी ने अपने उपरोक्त भाषण में कहा था—

'यदि मैं ख़ाली हाथ आऊँ, तो आप निराश न हों। यदि मैं लण्डन से सफल लौटूँ, तो आप हर्षोत्फुल्ल भी न हों। मुझे केवल कॉङ्ग्रेस की आज्ञा पालन करनी है और आप उस आज्ञा को पालन करने के लिए मुझे विवश करें। मेरे लण्डन से लौटने पर यदि आप समझें कि मैंने आप लोगों को धोखा दिया है तो आप मुझे कॉङ्ग्रेस से निकाल बाहर करें। यदि आप मुझे देश-द्रोही समझ कर मेरी हत्या भी कर डालें, तो मैं इसे हिंसा नहीं, वरन् अहिंसा ही समझूँगा।'

महात्मा जी का उपरोक्त कथन राजनीतिक सचाई और राष्ट्र के वेदान्तिक आदर्शवाद का अद्भुत मिश्रण है। इस कथन में उन्होंने देश की सारी राजनीतिक उलझनों का नग्न-रूप चित्रित कर, राष्ट्र को अनवरत-रूप से अपने भावी कार्यक्रम में संलग्न होने का सङ्केत किया है। गोलमेज़ की असफलता महात्मा जी को निराश नहीं करती; वे इस क्षणभङ्गुर असफलता के कारण राष्ट्र की महान् शक्ति को निराश करना नहीं चाहते। सच बात तो यह है कि यदि महात्मा गाँधी जैसे संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष का दृष्टिकोण गोलमेज़ की सफलता और असफलता से ऊँचा—बहुत ऊँचा, न होता, तो वे सत्याग्रह एवं असहयोग आन्दोलन के जन्मदाता ही क्योंकर होते? महात्मा जी देश के स्वातन्त्र्य संग्राम में गोलमेज़ का उतना ही महत्व देते हैं, जितना कोई पुरुष अपनी दैनिक दिनचर्या के एक साधारण अंश की पूर्त्ति करने में देता है। जो राष्ट्र गोलमेज़ के सहारे देश की स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहता है, वह उस स्वतन्त्रता का अधिकारी नहीं। इसी कारण महात्मा जी ने राष्ट्र का ध्यान गोलमेज़ की सफलता और असफलता के बीच में केन्द्रीभूत करना केवल अनुचित ही नहीं समझा, वरन् स्पष्ट शब्दों में इस बात का सङ्केत किया है कि देश की स्वतन्त्रता का प्रश्न देश की तैयारी, उसकी साधना, उसके त्याग एवं उसकी आहुतियों पर अवलम्बित है। यह

साधना और तैयारी, त्याग और आहुतियाँ राष्ट्र की दैनिक दिनचर्या में विशेष अवसरों और विशेष परिस्थितियों की बात नहीं होनी चाहिए। स्वतन्त्रता का आवाहन स्वयं एक महान् यज्ञ है। उस यज्ञ के देवता तो तभी प्रसन्न होंगे, जब राष्ट्र बिना देश, काल, परिस्थिति पर विचार किए भी त्याग, तपस्या और आहुति को अपना एक साधारण दैनिक कार्यक्रम बना लेगा। इसलिए महात्मा जी ने कहा है—'यदि मैं लण्डन से सफल लौटूँ तो आपको हर्षोत्फुल्ल होने की आवश्यकता नहीं।' कारण, जो राष्ट्र त्याग, तपस्या एवं आहुति को अपना दैनिक कार्यक्रम बना लेगा, वह इन बातों को केवल कर्त्तव्य के रूप में ही देखेगा और इनकी सफलता और असफलता से पूर्णतः निर्विकार रहेगा। महात्मा गाँधी अपनी भाँति सारे राष्ट्र को स्वातन्त्र्य-युद्ध की ओर पूर्ण रूप से प्रगतिशील करते हुए भी, उसके परिणामों से निर्विकार रखना चाहते हैं। तात्पर्य यह कि जिस ज्ञान के प्रकाश द्वारा भगवान कृष्ण ने युद्ध-क्षेत्र की तपोभूमि में केवल अर्जुन का मोह नष्ट कर, उन्हें निर्विकार किया था, उसी ज्ञान का प्रकाश महात्मा गाँधी सारे देश के सम्मुख रख कर देश में निष्काम कर्म एवं निर्विकार तपस्या के भाव भरना चाहते हैं। महात्मा जी देश की स्वतन्त्रता को किसी आकस्मित वरदान के रूप में नहीं चाहते; वे उसे राष्ट्र की दैनिक आवश्यकता समझ, राष्ट्र के दैनिक बलिदान की एक साधारण परिणाम के रूप में देखना चाहते हैं; कारण, वरदान की वस्तु स्थायी नहीं रहती, जो वस्तु दूसरे की कृपा से प्राप्त होती है उसमें स्थायित्व नहीं रहता, परन्तु जो वस्तु नित्य-क्रिया के परिणाम स्वरूप आप ही आप प्राप्त होती है, स्थायी होती है। तात्पर्य यह कि देश की वर्त्तमान राजनीति हमें गोलमेज़ सम्मेलन की सफलता और असफलताओं पर निर्भर होने को प्रेरित नहीं करती। महात्मा जी भी गोलमेज़ सम्मेलन में राष्ट्र के चित्त की वृत्तियों को केन्द्रित करने की सलाह नहीं देते। गोलमेज़ सम्मेलन हमारी तपस्याओं का एक अत्यन्त क्षुद्र परिणाम है; उस पर राष्ट्र की आशा को निर्भर रखना उन तपस्याओं और आहुतियों की उपेक्षा करनी होगी, जिसके द्वारा हमने अपने राष्ट्र के उत्थान का मार्ग सोचा है। तात्पर्य यह कि देश की इस उलझी हुई राजनीति की दवा न तो गोलमेज़ सम्मेलन ही है और न हमारी भिक्षावृत्ति ही। देश की स्वतन्त्रता की एक मात्र औषधि अहिंसा मार्ग से गुज़रने वाली हमारी तपस्याएँ और आहुतियाँ हैं। आज इस बात की सब से बड़ी आवश्यकता है कि हम देश के प्रत्येक गाँव का सङ्गठन करें और उसमें काँङ्ग्रेस के रचनात्मक कार्य का अधिक से अधिक प्रचार करें।

❀ ❀ ❀

भारत-मन्त्री का पद

मज़दूर सरकार की समाप्ति के बाद, आशा थी, भारत मन्त्री का पद मि० वेजवुड बेन के ही हाथों में रहेगा; परन्तु मज़दूर दल का साथ देने के लिए मि० वेजवुड बेन को यह पद त्याग देना पड़ा और उनके स्थान में इस दायित्वपूर्ण पद का भार सर सैमुएल होर के हाथों में पड़ा। भारतीय राजनीति में ब्रिटेन के मन्त्रि-मण्डल अथवा भारत-मन्त्री के इस पद-परिवर्तन का कोई विशेष प्रभाव भले ही न पड़े—और पड़ेगा भी नहीं—परन्तु संसार सर सैमुएल होर के इस दायित्वपूर्ण भार और आगामी गोलमेज़ सम्मेलन के अधिवेशन को शङ्कापूर्ण दृष्टि से देखे बिना नहीं रह सकता। सर सैमुएल, ब्रिटेन के उन सङ्कीर्ण-हृदय और अनुदार अङ्गरेज़ों में हैं, जिनका विचार है कि भारतीय मामलों में ब्रिटिश पार्लामेण्ट ही सब कुछ रहे तथा जब तक अङ्गरेज़ अफ़सर भारतवर्ष में वर्त्तमान हैं, उनका कार्य शासन करने का ही है, न कि वैध-शासन वाली भारत-सरकार की कार्यवाही में कठपुतली बने रहने का।

कहना नहीं होगा कि ऐसे विचार के पुरुष के हाथ में भारत मन्त्री का महान् उत्तरदायी पद का भार देना, उस गोलमेज़ सम्मेलन की काल्पनिक सफलताओं को उपहासास्पद बनाना है, जिसके सम्बन्ध में चर्चा करते हुए प्रधान मन्त्री मि० रैमज़े मैकडॉनेल्ड ने घोषणा की थी कि भारतीय वैध-शासन पद्धति के विकास काल के क़ानूनी संरक्षणों के निर्माण में सम्राट की सरकार इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देगी कि वे क़ानून-संरक्षण भारत के औपनिवेशिक शासन की प्राप्ति के मार्ग में किसी भाँति बाधक न हों। परन्तु प्रधान मन्त्री की इस घोषणा के कुछ महीने बाद ही, अथवा यों कहिए कि अभी कठिनाई से दो महीने हुए होंगे, जब कि सर सैमुएल ने उन्हीं क़ानूनी-संरक्षणों की चर्चा करते हुए कहा था—कि भारत के लिए वे ही संरक्षण वास्तविक और उचित संरक्षण होंगे। जो सदा अपरिवर्त्तित रहें और जिन्हें ब्रिटिश पार्लामेण्ट भारत के हित के ही लिए नहीं, वरन् ब्रिटेन के हित के लिए व्यवहार रूप में लाने का अधिकारी हो। इतना ही नहीं, भारत-मन्त्री का पद ग्रहण करते ही सर सैमुएल ने भारतीय नौकरशाही के अधिकारियों को इस बात का विश्वास दिलाया है कि कर्त्तव्य-पालन में वे उनका साथ देंगे तथा वे भारतीय समस्याओं को एक यथार्थवादी की भावनाओं में देखने का प्रयत्न करेंगे। परन्तु सर सैमुएल—वह सर सैमुएल जो भारत पर अनन्त काल तक ब्रिटिश शासन का छाप देखना चाहते हैं—क्या कभी भी यथार्थवादी के दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति की समस्याओं का अवलोकन कर सकेंगे? यथार्थवादी का दृष्टिकोण प्रत्येक प्रकार की घृणा, द्वेष ईर्षा से दूर रहता है, वह वस्तुस्थिति का सूक्ष्म और अचूक अवलोकन करता है। क्या सर सैमुएल इस प्रकार के यथार्थवादियों में हैं? भारतीय राजनीति को यथार्थवादी दृष्टिकोण से निरीक्षण करने के लिए सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि निरीक्षण पक्षपात हीन हो; उसके लिए अपना-पराया एक हो। ब्रिटिश साम्राज्य को अनन्त काल तक पृथ्वी में संसार के अन्य राष्ट्रों की पराधीनता के मूल्य पर स्थापित करने का स्वप्न देखने वाले सर सैमुएल काश सचमुच ही एक यथार्थवादी निरीक्षक हो सकते!!

* * *

अखिल भारतीय रेलवे फ़ेडरेशन

'भविष्य' के पाठकों को स्मरण होगा कि अखिल भारतीय रेलवे फ़ेडरेशन ने यह निश्चय किया था कि यदि सरकार फ़ेडरेशन तथा रेलवे बोर्ड के पारस्परिक-मतभेद और झगड़े में हस्तक्षेप नहीं करती तथा फ़ेडरेशन के साथ न्याय नहीं किया जाता, तो वह अखिल भारतीय रेलवे हड़ताल कराने के लिए विवश होगा। सरकार ने उसके इस निश्चय पर अपना रुख़ बदला और साथ ही साथ एक 'कोर्ट-ऑफ़-इन्क्वारी' बैठाई। हाल में ही फ़ेडरेशन की एक विशेष बैठक बम्बई में इस बात के निर्णय के लिए हुई थी कि सरकार की इस परिवर्त्तित मनोवृत्ति में फ़ेडरेशन कहाँ तक सहयोग दे। अन्त में यह निश्चय हुआ है कि फ़ेडरेशन 'कोर्ट-ऑफ़-इन्क्वारी' में कुछ विशेष अधिकारों और शर्तों के साथ अपना प्रतिनिधि भेजे। हमें फ़ेडरेशन के इस निर्णय पर विशेष प्रसन्नता है। पर साथ ही साथ हम सरकार का ध्यान फ़ेडरेशन की उचित माँग की ओर आकर्षित करना अपना पवित्र कर्त्तव्य समझते हैं। सरकार ने गत ६ वीं अगस्त वाली अपनी सूचना में अखिल भारतीय रेलवे फ़ेडरेशन की हड़ताल की धमकियों की चर्चा करते हुए लिखा था:—

It is a matter for regret, that the Federation, without waiting to see what action the Government would take and without even giving the Government an opportunity of arriving at any decision, should have decided to recommend a general strike on all railways.

अर्थात्—'यह दुख की बात है कि फ़ेडरेशन ने, बिना इस बात की प्रतीक्षा किए हुए कि सरकार इस मामले में कौन उपाय काम में लाएगी, अथवा सरकार को किसी निर्णय पर पहुँचने का अवसर दिए बिना ही, अखिल भारतीय रेलवे हड़ताल का निर्णय कर लिया।

कहना नहीं होगा कि सरकार ने अपनी उपरोक्त घोषणा में जिस अवसर के न मिलने के कारण फ़ेडरेशन के निर्णय की इस प्रकार आलोचना की थी, वह अवसर फ़ेडरेशन ने सरकार को दे दिया है। साथ ही हमारा विश्वास है कि यदि सरकार स्थिति की गम्भीरता पर विचार करते हुए फ़ेडरेशन की उचित माँग स्वीकार कर ले तो अब भी स्थिति सुधारी जा सकती है। फ़ेडरेशन की माँग यह है कि रेलवे बोर्ड ने अपनी स्वेच्छाचारी नीति से जिन तीस सहस्र कर्मचारियों को निकाला है, उन्हें पुनः भर्ती कर लिया जाय। फ़ेडरेशन की इस उचित माँग के भीतर वर्त्तमान मन्दी और देश की भीषण दरिद्रता का उपहासजनक अभिनय छिपा है। इस परिस्थिति में तीस हज़ार परिवार का निराश्रय एवं असहाय हो जाना, सार्वजनिक शान्ति किसी प्रकार क़ायम नहीं रह सकती। पेट की ज्वाला के कारण तीस हज़ार परिवार का हाहाकार न तो सरकार के लिए ही सन्तोष एवं कल्याण का विषय है और न जनता के लिए ही। इस कारण सरकार के लिए यह एक ईश्वरप्रदत्त अवसर है कि वह फ़ेडरेशन की इस उचित एवं न्यायपूर्ण माँग को स्वीकार कर, यश का भागी बने। सरकार की उस स्वीकृति का एक बहुत लाभदायक एवं महत्वपूर्ण परिणाम यह होगा कि सरकार और जनता, दोनों ही इस देशव्यापी रेलवे हड़ताल के दुखद अनुभवों से वञ्चित रहेंगी। देशव्यापी रेलवे हड़ताल से सरकार और जनता, दोनों को ही अपार कष्टों का सामना करना पड़ेगा, उन अपार कष्टों का, जिनका प्रतिकार कुछ भी नहीं हो सकता। हम हड़तालों को जनता अथवा सरकार की शान्ति के लिए सुविधाजनक नहीं समझते; पर जब एक ओर न्याय का आदर्श प्रतिष्ठित करना है और दूसरी ओर हज़ारों परिवारों को पेट की ज्वाला से तड़पते देखने का दुखद कर्त्तव्य है, तो ऐसे अवसरों पर हम फ़ेडरेशन के निर्णय का विरोध करना भी उचित नहीं समझते। इस स्थान पर केवल एक ही प्रश्न है और वह यह कि ऐसी समस्या उपस्थित ही क्यों हो, कि इस देशव्यापी हड़ताल की नौबत आवे। सरकार देश पर तथा अपने ऊपर आने वाली विपत्ति के इस बादल को सँभाल सकती है। अब भी उसके लिए पर्याप्त अवसर है।

❀ ❀ ❀

परिवर्त्तित मनोवृत्ति

हाल में ही काश्मीर के दस प्रतिष्ठित मुसलमानों का एक डेपुटेशन काश्मीर महाराज सर हरीसिंह की सेवा में उपस्थित हुआ था। डेपुटेशन ने महाराज की न्यायप्रियता एवं निष्पक्ष-नीति में अपना विश्वास प्रकट किया और साथ ही महाराज को अपनी वफ़ादारी और सहयोग का विश्वास दिलाया। तात्पर्य यह कि जिस प्रकार ब्रिटिश-भारत के कुछ मुल्लापन्थी मुसलमान काश्मीर महाराज के विरुद्ध 'हिन्दू पक्षीय नीति' का दोषारोपण कर, काश्मीर के हिन्दू राज्य के विरुद्ध घृणा के भाव फैलाने का आन्दोलन कर रहे हैं, उससे ठीक विपरीत काश्मीरी मुसलमानों के उक्त डेपुटेशन ने सर हरीसिंह की पक्षपातहीन नीति की प्रशंसा की है और महाराज में अपना विश्वास प्रकट किया है। फिर भी डेपुटेशन का कहना है कि काश्मीर की वर्त्तमान अशान्ति की जड़ में ग़ैर-मुस्लिम सम्प्रदाय का मुस्लिम-धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करना तथा सरकारी कर्मचारियों के द्वारा मुसलमानों के प्रति बुरा व्यवहार ही है। हम डेपुटेशन के उपरोक्त कथन में विश्वास नहीं करते। कारण, हमारा दृढ़ विश्वास है कि काश्मीर की वर्त्तमान अशान्ति में बाहरी शक्तियों का कुटिल प्रयत्न है। अस्तु—

डेपुटेशन के उत्तर में महाराज ने जो कुछ कहा है, वह उनकी भाँति योग्य एवं कुशल शासक के लिए ही उपयुक्त है। महाराज सर हरीसिंह ने कहा कि जब कभी मुसलमानों की ओर से उनके धार्मिक भावों को चोट पहुँचाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत हुई है, उसी समय उस मामले की उचित जाँच कर क़ानूनी कार्रवाई की गई। महाराजा ने अपने शासन-काल की थोड़ी अवधि की चर्चा करते हुए डेपुटेशन का ध्यान किसान-सहायक रेगुलेशन, तक़्क़िया बक़ाया, सहयोग समितियों का स्थापन, अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा तथा मुसलमान विद्यार्थियों को दिए जाने वाले विशेष वज़ीफ़ों की ओर आकर्षित किया है। साथ ही महाराज सर हरीसिंह ने डेपुटेशन के उत्तर में बेगार प्रथा रोकने तथा रियासत में अस्पतालों की वृद्धि की भी चर्चा की है। काश्मीर रियासत के शासन-सुधार की ये तथा इस प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण बातें, काश्मीर के सार्वजनिक-जीवन की उन्नति में उपेक्षणीय स्थान नहीं रखतीं। इन बातों से यह प्रमाणित होता है, कि महाराज सर हरीसिंह के हृदय में अपनी मुस्लिम-प्रजा के लिए उतना ही स्नेह है, जितना कि अपनी हिन्दू-प्रजा के लिए। और जब महाराज अपनी मुस्लिम प्रजा के लिए अपने हृदय में स्नेह तथा शुभ-भावना रखते हैं, तथा जब उन्होंने अपनी मुस्लिम-प्रजा की उन्नति के लिए इतना घोर परिश्रम किया है, तो यह कभी भी सम्भव नहीं कि वे मुसलमानों के प्रति अपने अधिकारियों के दुर्व्यवहारों को सह सकें।

सच बात तो यह है कि काश्मीरी मुसलमानों को ब्रिटिश भारत के मुल्लापन्थी मुसलमानों की भ्रामक एवं दूषित शिक्षा में पड़कर अपने पैर में आप ही कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहिए। ब्रिटिश भारत के कुछ स्वार्थी एवं देशद्रोही मुसलमान किसी विशेष उद्देश्य को सम्मुख रख कर देश में साम्प्रदायिकता की आग जलाने का दूषित प्रयत्न कर रहे हैं। काश्मीरी मुसलमानों को उनके इस विषैले प्रयत्न से सर्वथा सावधान रहना चाहिए। इस स्थान पर एक बात हम भारत-सरकार से कहे बिना नहीं रह सकते। वह यह कि ब्रिटिश भारत में साम्प्रदायिकता का विषैला वातावरण उपस्थित करने वालों को शीघ्र से शीघ्र क़ानूनी दण्ड देने का प्रबन्ध करे। साम्प्रदायिकता के विषैले वायुमण्डल से न तो किसी सम्प्रदाय-विशेष का और न भारत-सरकार का ही कल्याण हो सकेगा। इस वायुमण्डल में 'क़ानून और शान्ति' ख़तरे में हो जायगी। साथ ही हम भारत के प्रत्येक विचारशील मुसलमान का ध्यान काश्मीरी मुसलमानों की परिवर्तित मनोवृत्ति की ओर आकर्षित करते हैं और इस बात की अपील करते हैं कि वे उन शौकत पन्थियों के दूषित प्रचार से भोले-भाले मुसलमानों को बचाने का प्रयत्न करें। इसी में देश और धर्म दोनों का कल्याण है।

❀ ❀ ❀

राष्ट्रीय असन्तोष का कारण

हाल में ही 'स्टेंडर्ड' नामक एक अङ्गरेज़ी पत्र के सम्वाददाता से बर्लिन में भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन की चर्चा करते हुए श्री० विट्ठलभाई पटेल ने कहा था—

"भारत को न आवश्यकता थी और न उसे आज भी आवश्यकता है कि सोवियट रूस उसे क्रान्ति की शिक्षा दे। भूख, दुख, दरिद्रता, दमन और इनसे होने वाले लोगों के कष्ट — ये ही भारतीय आन्दोलन को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं; न कि बॉल्शेविज़्म—जैसा कि लोगों का विश्वास है।"

भारतीय एसेम्बली के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री० विट्ठलभाई पटेल के इन शब्दों में ऐतिहासिक सचाई है और उस सचाई के ज्वलन्त प्रमाण समाचार-पत्रों की वे फ़ाइलें हैं, जिनमें भूख और बेकारी के कारण की जाने वाली आत्म-हत्याओं की असंख्य दारुण कहानियाँ छिपी हैं। इस अभागे देश की भयानक दरिद्रता का वास्तविक रूप देश के गाँव हैं। आज भारत में करोड़ों ऐसे मनुष्य रहते हैं, जिन्हें तीन जून पर भी बड़ी कठिनाई से एक मुट्ठी अन्न नसीब होता है। मनुष्यों के शरीर धारण करने वाले इन असहाय मनुष्य-पशुओं को दारुण-दरिद्रता उन्हें भयानक से भी भयानक कार्य करने को विवश कर सकती है। सच बात तो यह है कि जिस देश में भूख की ज्वाला न सह सकने के कारण मनुष्य आत्म-हत्या की शरण में परम शान्ति ग्रहण करने के एकमात्र उपाय का अवलम्बन करते हैं, उन्हें क्रान्ति का पाठ पढ़ाने के निमित्त न तो किसी बाह्य देश और न किसी बाह्य प्रचारक की ही आवश्यकता है। उस देश में तो परोक्षरूपेण स्वयमेव ही क्रान्ति की ज्वाला जलती रहती है, जो थोड़ा ही आधार पाते ही ज्वालामुखी के एक भयानक प्रज्वलन का दारुण स्वरूप उपस्थित कर सकती है।

दूसरा प्रश्न सरकारी दमन से सम्बन्ध रखता है। जिन लोगों ने गत सत्याग्रह आन्दोलन में अहिंसात्मक सत्याग्रहियों के सिरों और पीठों पर पड़ने वाली लाठियों तथा उनकी छाती में लगने वाली गोलियों का दृश्य देखा है, जिन लोगों ने देश की प्रतिष्ठित महिलाओं को पुलीस की लाठियों के द्वारा घायल तथा अपमानित होते देखा है, जिन्हें यह बात स्मरण है कि जेलों में हमारी सुहागिन बहिनों की चूड़ियाँ बलपूर्वक तोड़ी गईं; जिन लोगों को वह दृश्य स्मरण है कि एक गलास पानी के निमित्त भारत-कोकिला सरोजिनी देवी को तीन घण्टे धूप में रहना पड़ा, तथा जिन लोगों ने लगभग एक लाख सत्याग्रही क़ैदियों के द्वारा नरक-तुल्य भारतीय जेलों के बनने का दुखान्त अभिनय देखा है, उन्हें श्रीमान विट्ठलभाई पटेल के उपरोक्त कथन की सच्चाई में अविश्वास एवं सन्देह नहीं हो सकता। सच बात तो यह है कि भारत की दरिद्रता और भारत-सरकार के द्वारा किए जाने वाले दमन की समस्याएँ ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को केवल भारत से ही नहीं, वरन् सम्पूर्ण एशिया-खण्ड से खोखली कर रही हैं। और इससे भी अधिक सत्य बात यह है कि दमन और दरिद्रता का यह नङ्गा नाच प्रति-पल भारत की उस सार्वजनिक क्रान्ति को प्रश्रय दे रहा है, जिसे निर्मूल करना ब्रिटेन की शक्ति के बाहर की बात है।

❀ ❀ ❀

स्वर्गीय पं० विष्णु दिगम्बर जी

'भविष्य' के पाठकों को यह जान कर हार्दिक दुख होगा कि हाल में ही सुप्रसिद्ध सङ्गीत-विद्या-विशारद पण्डित विष्णु दिगम्बर जी का स्वर्गवास हो गया। पण्डित जी सङ्गीत-विद्या के धुरन्धर आचार्य थे। इतना ही नहीं, आपने अपना सारा जीवन इस विद्या के प्रचार में अर्पित कर दिया था। कभी-कभी भगवान अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त अपने विशेष व्यक्तियों का आविर्भाव करता है और उनके जीवन-पथ में ऐसे कटु अनुभवों तथा दुखद स्मृतियों को उत्पन्न कर देता है, जिससे उनका जीवन-प्रवाह एक विशेष दिशा में प्रवाहित होकर, भगवान के किसी विशेष उद्देश्य की पूर्त्ति में लग जाता है। पण्डित विष्णु दिगम्बर जी से भी कदाचित भगवान को कुछ इसी प्रकार के उद्देश्य की पूर्त्ति करानी थी। अपनी बाल्यावस्था एवं तरुण-काल में पण्डित विष्णु दिगम्बर जी ने देखा कि उस समय का सङ्गीत-सम्बन्धी वातावरण अत्यन्त दूषित था, सङ्गीत-विद्या उस समय ऐसे लोगों के हाथ में थी, जिन्हें समाज प्रतिष्ठा की दृष्टि से नहीं देखता था। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात का स्पष्ट अनुभव किया कि देश के धनी, मानी, प्रतिष्ठित व्यक्तियों की इस विद्या के प्रति अपार विरक्ति के कारण देश की छाती से इसका प्रति दिन लोप हो रहा है। उस समय से अपने जीवन के अन्तकाल तक पण्डित जी ने अपनी सारी शक्ति सङ्गीत-विद्या की आराधना और उसके प्रचार में लगा दी। जिस समय हम पण्डित जी के जीवन के इतिहास पर दृष्टि डालते हैं, हम इस बात का निर्णय नहीं कर सकते कि पण्डित जी सङ्गीत-शास्त्र के विशारद के रूप में अधिक ऊँचे थे अथवा प्रचारक के रूप में। पर इतना अवश्य है कि सङ्गीत की आराधना और उसके निष्काम प्रचार में उन्होंने आजीवन कौमार्य-व्रत धारण किया। बम्बई, लाहौर तथा इस प्रकार अन्य स्थानों में गान्धर्व महाविद्यालयों का जन्म देकर पण्डित जी ने देश का असीम उपकार किया है, इस बात से कोई भी प्राणी इन्कार नहीं कर सकता। आज पण्डित जी के लगभग दो सौ शिष्य मौजूद हैं, जिनका सङ्गीत-शास्त्र में अच्छा प्रवेश है। इन सज्जनों का भी काम सङ्गीत-विद्या का प्रचार करना ही है।

इधर कुछ दिनों से पण्डित जी का सङ्गीत-प्रवाह धार्मिक स्रोत में मिल गया था और कुछ वर्षों से पण्डित जी केवल राम नाम के जप में ही सारे राग-रागिनियों को व्यक्त करते थे। सङ्गीत-विद्या भगवान की प्राप्ति का सब से सुन्दर एवं कल्याणप्रद मार्ग है। इस अमर सिद्धान्त को पण्डित जी ने अपने व्यक्तित्व में प्रदर्शित किया था। भाग्य के चक्र से इधर कुछ दिनों से पण्डित जी पक्षाघात रोग से पीड़ित थे और यही उनकी अकाल-मृत्यु का कारण हुआ। मृत्यु के समय पण्डित जी की अवस्था कुल ५९ वर्ष की थी।

पण्डित जी के निधन से देश को साधारण रूप से और सङ्गीत-विद्या को विशेष रूप से जो क्षति हुई है, उसे भगवान की इच्छा और समय का प्रवाह ही पूरा कर सकता है। पण्डित जी आज इस नष्ट होने वाली काया की सीमा से बहुत दूर देवताओं के अमर लोक में हैं, परन्तु भारत उनकी सेवाओं को कभी भी विस्मरण नहीं कर सकता। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे पण्डित जी की स्वर्गगत आत्मा को मुक्त करें।

* * *

विसर्जन

[श्री० शिवनाथ जी मिश्र]

रामदीन सारे गाँव का कृपा-भाजन था। लोगों में उसके प्रति सहानुभूति थी। सभी उससे प्रेम, करते और उस पर कृपा-दृष्टि रक्खा करते थे। क्योंकि वह दरिद्र था और साथ ही सब का आज्ञाकारी भी। संसार में ऐसे मनुष्यों के प्रति दया-भाव रखना मनुष्य-मात्र के लिए साधारण सी बात है।

रामदीन ग़रीब था। संसार में सुखी कहलाने के लिए उसके पास कुछ भी न था। कठिन परिश्रम की कमाई ही उसके जीवन-निर्वाह का एकमात्र आधार थी। घर के दो-चार टूटे-फूटे बर्तन ही उसकी सारी सम्पत्ति थी। कठिन धूप एवं शीत बिताने को एक भग्नावशेष झोपड़ी थी। वह रोज़ कमाता और उसे रोज़ खा जाता था।

परन्तु दरिद्र होकर भी रामदीन सुखी था। उसे किसी प्रकार की मानसिक व्यथा न थी। न कोई झञ्झट था, न झमेला। दुख में हाथ बँटाने वाली एवं सुख में आनन्द देने वाली थी, उसकी पति-परायणा पत्नी—निर्मला और उसके हृदयाकाश को उद्भासित करने वाला था, एक पुत्र—रामू! ईश्वर उसका मालिक था और सन्तोष उसका सहचर।

निर्मला युवती और अद्वितीया सुन्दरी थी। प्रकृति ने मानो उसे अपने हाथों सँवारा था। उसके पास शृङ्गार की सामग्री न थी। किन्तु उसका नैसर्गिक कुञ्चित कुन्तल इधर-उधर उसके कोमल कपोलों पर बिखर कर उसकी देव-दुर्लभ शोभा को बढ़ाया करते थे। जब उसके सुगन्ध-विहीन, उलझे हुए केश श्याम घन की भाँति उसके मुखचन्द्र पर फैल जाते तो उसकी सौन्दर्य-माधुरी दर्शनीय हो जाती थी।

रामदीन को भगवान ने पौरुष दिया था। वह एक हृष्ट-पुष्ट जवान था। वह दिन भर सविता के प्रखर उत्ताप में मेहनत-मज़दूरी करता, लोगों के खेतों में हल जोतता, कुदाल चलाता और मिट्टी गोड़ देता। इससे जो कुछ मिल जाता था, उसी से उसकी छोटी गृहस्थी का काम, चल जाता था।

निर्मला भी अपनी सहज सुकुमारता का कुछ ख़्याल न कर, मेहनत-मज़दूरी द्वारा कुछ पैसे कमा लाती थी। वह कार्यदक्षा थी--साहसी थी। प्रातःकाल तारों की छाँह में शय्या त्यागती, तो फिर रात्रि के द्वितीय प्रहर व्यतीत होने पर ही उस पर पैर रखती। गाँव की स्त्रियाँ उससे बहुत प्रेम रखतीं। इसका कारण उसके स्वभाव की सरलता एवं सहिष्णुता थी।

बालक रामू दिन-भर पड़ोस के बच्चों के साथ खेला करता। अन्यान्य घरों की बहू-बेटियाँ एवं माताएँ उसे अत्यन्त प्यार करतीं। दरिद्र का लाड़ला समझ कर खिलाती-पिलातीं तथा निर्मला के भाग्य को सराहा करतीं। रामू के भरण-पोषण का भार उसके माता-पिता पर बहुत कम था।

जब रात्रि का प्रथम प्रहर व्यतीत हो जाता और चन्द्रमा सोलहो कला से नील नभ-मण्डल में उग आते, तो निर्मला रसोई बनाती और पति-पुत्र को खिला, आप भोजन करती। तदुपरान्त कुछ देर तक पति की सेवा कर, सो जाती।

इन्हीं सब बातों से रामदीन अपने को सुखी समझता। वह निर्मला को पाकर अपने भाग्य को सराहा करता, किन्तु विधाता ने दरिद्र पर भी दया न की। एक ही आघात में उसके अनन्त सुख एवं असीम आनन्द को क्षार—खार कर डाला। निर्मला का अनिन्द्य सौन्दर्य और जवानी ही उसका काल हो गई। मानो—'इस घर को आग लग गई घर के चिराग़ से।'

२

पूर्णचन्द्र की निर्मल ज्योत्स्ना से सारी धरित्री उद्भासित हो रही थी। बासन्ती बयार नव-प्रस्फुटित कलियों के मधु सुवास से मस्त होकर प्रवाहित हो रही थी। आम्र की नव-मञ्जरियों की मनमोहक सुगन्ध मानव-हृदय को पुलकित कर रही थी।

इसी समय निर्मला स्नान करके, सिर पर कलसी धरे, सरोवर से निकली। आज वह अकेली थी। देर हो जाने के कारण सहेलियों का साथ छुट गया था। अभी वह दो-चार पग भी बढ़ने न पाई थी कि अकस्मात गाँव का ज़मींदार कैलास उसके दृष्टि-पथ के समक्ष आकर खड़ा हो गया। वह सहम कर कुछ पीछे हट गई। किन्तु उसका सहज सौन्दर्य कैलास के नेत्र-पट पर नाच गया। दिल पर साँप लोट गया। वह प्यासी आँखों से निर्मला की सौन्दर्य-माधुरी को पी रहा था। ओह! सौन्दर्य में भी कितनी मादकता है। शराब के नशे से इसकी तुलना नहीं हो सकती।

कैलास ने प्रेमपूर्वक पूछा—सुन्दरी! तुम कौन हो? क्या इस रात में इतना कष्ट उठाना तुम्हें शोभा देता है?

"क्या करूँ, किसके भरोसे घर का काम छोड़ कर बैठ जाऊँ? मुझ दरिद्रा का कौन सहायक है?"

रामदीन की ग़रीबी सब पर प्रकट थी। कैलास ने चौंक कर पूछा—क्या तुम रामदीन की स्त्री हो?

"हाँ।"—सङ्कुचित स्वर में उत्तर मिला।

"सचमुच, परमात्मा भी कितने निष्ठुर हैं कि तुम-जैसी कोमल-कलेवरा को इतना कष्ट देते भी उन्हें दया नहीं आती?"

"नहीं, इसमें परमात्मा का क्या दोष है? यह तो अपने कर्मों का फल है। जो जैसा करता है, उसे वैसा फल मिलता है।"

"यह ठीक है, पर मुझे तो तुम्हारा दुख देख कर बड़ी दया आती है। भला तुम जैसी कोमलाङ्गी को दुख-ज्वाला में झुलसते देख कर किसे दुख न होगा? अच्छा, तुम्हें कोई आवश्यकता पड़े तो मुझे सूचित करना। मुझसे जहाँ तक बन पड़ेगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम्हें इस असहनीय कष्ट से छुड़ाने की चेष्टा करूँगा। मैं गाँव का ज़मींदार हूँ; मेरा धर्म है, दुखी प्रजा का दुख दूर करना।"

कैलास की दयालुता निर्मला को अपमानजनक प्रतीत हो रही थी। इस निर्जन स्थान में उससे बातें करते उसे सङ्कोच होने लगा। निर्मला ठहर न सकी और कैलास के हृदय में काँटे चुभो कर वह आँखों से ओझल हो गई। कैलास अभिभूत-सा देखता रहा।

३

कैलास युवा था—सुन्दर था। उसके हृदय में उमङ्गें और वासनाएँ थीं। वह अपनी सुन्दरता, धन और शक्ति से नारी-हृदय को अपनाना चाहता था। वह प्रेमी था, किन्तु उस प्रेम में वासना की दुर्गन्ध थी, वह सौन्दर्योपासक था, किन्तु प्रकृति में निष्ठुरता थी। स्त्रियों को वह केवल विलास की सामग्री समझता था। अपने क्षणिक सुख के लिए नव-कामिनियों का अमूल्य-रत्न अपहरण करने और उनके भविष्य-जीवन को कण्टकाकीर्ण करने में ही उसे सुख मिलता था।

कैलास निर्मला के सौन्दर्य-सरसी में प्रविष्ट होने के लिए उन्मत्त हो उठा। उसके हृदय में वासना ताण्डव-नृत्य करने लगी।

अब निर्मला के लिए घर से निकलना भी कठिन हो गया। उसके सुख के दिन भागते नज़र आए। भविष्य-जीवन घोर कष्टकर प्रतीत होने लगा। कैलास की दुरभि सन्धि उसे मालूम हो गई। वह हृदय की विषम वेदनाओं को हृदय-अभ्यन्तर में छिपाए, ज्यों-त्यों कर, समय काटने लगी। रामदीन को सब बातें मालूम थीं। परन्तु वह भोला-भाला ग़रीब इसका क्या प्रतिकार कर सकता था? उसने निर्मला को कहीं भी जाने से रोक दिया।

कैलास का हृदय दिन प्रति दिन निर्मला की ओर आकर्षित होने लगा। कभी न कभी वह रोज़ इस तरफ़ को आ निकलता और अपनी वक्र दृष्टि निर्मला पर चला जाता। कभी उसकी दूतियाँ आकर निर्मला को अनेक भुलावे देतीं और सब्ज़ बाग़ दिखला जातीं। कोई उसके सामने धन का ढेर लगा जाती? कोई उसे स्वर्णालङ्कारों से लाद जाती और कोई पटरानी बना कर नूरजहाँ की अतीत कहानी सुनाती। निर्मला इन बातों से खीझ उठती—बौखला जाती। परन्तु क्या करती? बेबस होकर सब कुछ सुन कर रह जाती थी।

एक दिन सन्ध्या को रामू घर आया तो उसके हाथों कुछ अङ्गूर तथा दो-चार कचकड़े के खिलौने थे। निर्मला ने आश्चर्य से पूछा—रामू, यह सब तुमने कहाँ पाया? किसी का उठा तो नहीं लाए?

"नहीं माँ, मैं चोरी से नहीं लाया; मालिक बाबू ने दिया है।"

"आह रामू, तुमने क्या किया? मेरे सर्वनाश का द्वार क्यों खोला? जा, अभी लौटा आ"—कुछ क्रोध-पूर्ण स्वर में निर्मला बोली।

रामू कुछ समझ न सका। उसने डरते-डरते कहा—माँ, तुम नाराज़ क्यों होती हो? मैंने अपने मन से नहीं लिया। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे हाथों में रख दिया। इसमें मेरा क्या दोष है?

"जो कुछ हो रामू, मैं कहती हूँ, जाकर लौटा आओ। क्या मेरी बात नहीं मानोगे?"

"मानूँगा क्यों नहीं? अभी जाकर दे आता हूँ।" मगर मैंने चोरी नहीं की है।"

रामू चला गया। निर्मला अनेक चिन्ताओं में डूब गई। उसका मुख म्लान हो गया। आँखों में आँसू छलक आए। वह रो पड़ी।

४

कई दिन बाद।

गर्मी की कठिन दुपहरिया थी। निर्मला अपने फटे-पुराने वस्त्रों को सी रही थी। गाँव की वृद्धा श्यामा भी आकर उसके पास बैठ गई।

श्यामा कैलास के चिरन्तन की प्रेमिका और वर्तमान की कुटनी थी। उसकी उम्र कुछ ढल चुकी थी। बाल पकने लगे थे। शरीर-चर्म भी कुछ-कुछ ढीले पड़ गए थे। किन्तु, उसके बदन के अवयव से जान पड़ता है कि किसी समय वह भी सौन्दर्य की पुतली रही होगी।

जब तक यौवन था, शरीर में कुछ भी शक्ति थी, कैलास को वासनाग्नि को प्रशमित करती रही। बाद इसके जब जवानी बीत गई और शरीर शिथिल पड़ गया तब गाँव की युवतियों को फँसा कर उसके पास पहुँचाना उसका एक मात्र कार्य रह गया। कितनी नव-यौवनाएँ उसके माया-जाल में फँस कर अपना सर्वस्व खो चुकी थीं। कितनी अपना सतीत्व-रत्न को गँवा कर पाप-सागर में पतित हो चुकी थीं। ब्राह्मण और क्षत्रिय से लेकर चाण्डाल तक—किसी भी जाति की युवती इसके फन्दे से न बच सकी। घर-घर में उसकी पैठ थी। कोई भी इसकी बातों को न टाल सकता था। कारण, कैलास गाँव का मालिक—ज़मींदार था और श्यामा उसकी कुटनी। इसलिए श्यामा का निरादर करके मालिक से कौन विरोध करे? सारा गाँव कैलास के आतङ्क से थर्रा रहा था। पण्डित-प्रधान सभी उसके हाथ की कठपुतली हो रहे थे। सभी उसके इशारे पर नाच रहे थे। तब विरोध करता ही कौन?

निर्मला भी श्यामा की चालों से अनभिज्ञ न थी। इसलिए आज एकाएक उसे उपस्थित देख कर वह सहम गई। उसका हृदय थर्रा उठा। उसने अपने मन के भावों को छिपा कर पूछा—आज इधर कैसे चल पड़ीं? क्या कोई काम था?

"नहीं, काम क्या होगा! यों ही घूमते-फिरते चली आई। घर में जी न लगा, तो सोचा तुम्हारे पास चल कर ज़रा मन बहला आऊँ।"—श्यामा उदासीन भाव से बोली।

"आज इतना उदास क्यों हो रही हो?"

"क्या कहूँ बेटी, तेरा गुलाब-सा कोमल मुख देख कर हृदय फटा जाता है। परमात्मा भी कैसा खेल खेला करता है? क्या, यह सुकुमार हाथ इतना परिश्रम करने के लिए हैं? आज यदि तुम राजरानी होतीं तो दूसरों पर हुकूमत करतीं। स्वर्ण-भूषणों से सुसज्जित हो, कैसी शोभा पातीं।"

"नहीं अम्माँ, भगवान की कृपा से मुझे किसी बात की कमी नहीं है। सुख से दिन कटते हैं। संसार में इज़्ज़त-आबरू से निभ जाए, यही बहुत है।

"हाँ, वह तो ठीक है। किन्तु बेटी! सब इज़्ज़त-आबरू पैसे में है। पहले सुख है, इसके बाद इज़्ज़त-आबरू और धर्म-कर्म। चार दिन की ज़िन्दगी सुख करने के लिए बनी है, दुख सहने के लिए नहीं।"

"परन्तु जिसके भाग्य में सुख बदा ही नहीं, उसे उसकी आशा करना बौने का चाँद पकड़ने की लालसा रखने के समान है।"

"नहीं बेटी, यह तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तेरे एक इशारे पर सब कुछ हो सकता है। तुझे भगवान ने रूप दिया है, तुझे धन की कमी है।"—कहती हुई श्यामा ने उसके गले में एक बहुमूल्य हार डाल दिया।

हार हीरे-मोती का बना था। उसकी चमक से निर्मला की आँखें चौंधिया गईं। वह बड़े आश्चर्य से बोली—यह कहाँ से लाई?

"लाऊँगी कहाँ से। मालिक बाबू ने तुम्हारे लिए उपहार भेजा है। बेचारे तुम्हारी एक चितवन के लिए पागल से हो रहे हैं। जब से तुम्हें देखा है, न खाते हैं न पीते हैं; और न किसी से कुछ बोलते हैं। रात-दिन तुम्हें याद कर, रोया करते हैं।"

निर्मला के शरीर में मानो आग-सी लग गई। क्रोध से आपाद-पर्यन्त काँप गया। वह हार को फेंकती हुई बोली—क्या तुम गहने का लोभ दिखा कर मेरा सत्यानाश करने आई हो? क्या मुझे उन स्त्रियों में समझ रक्खा है जो तुम्हारी प्रवञ्चना में पड़ कर अपना सर्वस्व खो चुकी हैं। जाओ, मेरे सामने से चली जाओ। मुझ पर तुम्हारा जादू चलने का नहीं।

"निर्मला! तुम कैसी भूल कर रही हो। जिसके एक शब्द के लिए हज़ारों स्त्रियाँ लालायित रहती हैं, जिसके भय से सारा गाँव काँप उठता है, उसीका तुम अनादर कर रही हो। उसीसे बैर मोल ले रही हो। ज़रा इसका परिणाम सोच लो।"

"जा, अपने मालिक से कह दे, मैं उनसे नहीं डरती। प्राण रहते मैं अपना धर्म नहीं खो सकती। बस, तुम यहाँ से चली जाओ।

"अच्छा, जाती हूँ, पर फिर भी कहे जाती हूँ कि कैलासचन्द्र से बैर करना ठीक नहीं। ख़ूब सोच-विचार लेना। कहीं पीछे पछताना न पड़े। क्योंकि—गया वक़्त फिर हाथ आता नहीं।"

निर्मला ने घृणापूर्ण दृष्टि से श्यामा की ओर देखा। श्यामा चली गई।

५

"क्या, किसी तरह भी राज़ी नहीं हुई?"—कैलास ने कड़े स्वर में पूछा।

श्यामा कम्पित स्वर में बोली—बाबू, मैंने कोशिश तो भरपूर की, लेकिन.........।

"लेकिन का क्या अर्थ?"—बीच ही में कैलास बोल उठा।

"वह पतिव्रता है। उस पर विजय पाना सहज नहीं।"—श्यामा गम्भीर भाव से बोली।

"परन्तु क्या, यह सम्भव है कि मेरे कुल धन-वैभव की अधिकारिणी बनने से वह इन्कार कर दे। शायद तुमने मेरा प्रेम-सम्वाद उस तक पहुँचाया ही नहीं।"—कैलास एक साँस में कह गया।

"नहीं बाबू जी! मैंने सब कुछ किया। कितने प्रलोभन दिए। धन सम्पत्ति का लोभ दिखाया—स्वर्गीय सुखों का चित्र खींच कर दिखलाया और अन्त में आपके प्रभुत्व का भय दिखाया। परन्तु सब व्यर्थ। उसके सतीत्व के सामने एक भी न टिक सका। सबको उसने पैरों तले कुचल डाला। वह सती है, उसका हृदय सतीत्व के प्रखर आलोक से आलोकित हो रहा है। उसके सामने स्वर्ग-राज्य भी हेय है। आपका अनन्त वैभव क्या, यदि स्वयं देवराज इन्द्र भी अपने असीम वैभव को निछावर कर दें, तो निर्मला सत्पथ से विचलित नहीं हो सकती। आप उसे भूल जाइए।

कैलास क्रोध से काँप उठा। मुख आरक्त हो गया। तेवरों पर बल आ गए। आँखों से चिनगारियाँ निकलने लगीं। वह तैश में आकर कहने लगा—"दिन भर मेहनत-मज़दूरी करके एक मुट्ठी अन्न पर ज़िन्दगी बसर करने वाली स्त्री की इतनी हिम्मत, कि कैलास की प्रेम-पात्री बनने से इन्कार कर दे। बड़े-बड़े धनी-मानी भी जिसके आगे हाथ बाँधे खड़े रहते हैं, क्या एक दरिद्र औरत उसके विरुद्ध सर उठाएगी? उससे बैर मोल लेगी? मैं नहीं चाहता था कि एक दुखिया पर किसी तरह का अत्याचार करूँ—बलपूर्वक पेश आऊँ। लेकिन लाचार होकर अब उसी मार्ग का अवलम्बन करना पड़ता है। देखूँ, कब तक वह अभिमानिनी अपने सतीत्व को सुरक्षित रख सकती है। अब स्वयं परमात्मा भी उसकी रक्षा करना चाहें तो भी उसका बचना असम्भव है।" कह कर कैलास चुप हो गया। श्यामा भी यही चाहती थी। कैलास को उत्तेजित करके वह अपने घर चली गई।

६

निशीथ रात्रि में जब अन्धकार प्रगाढ़ हो जाता, चतुर्दिक निर्जन नीरवता फैल जाती, चन्द्रमा किरण-रथ पर बैठ कर विहँसने लगता और सारा विश्व निद्रा-देवी की गोद में निर्जीव सा हो जाता तब निर्मला जीर्ण-शीर्ण शय्या पर पड़ी अपने दग्ध हृदय को आँसुओं से सींचा करती थी। इन अश्रु-कणों से उसकी अन्तर्ज्वाला सदा के लिए नहीं, तो कुछ क्षण के लिए बुझ अवश्य जाती। जान पड़ता, स्वयं महामाया उसे सान्त्वना दे रही है। वह शान्त होती, पर कैलास का याद आते ही फिर रो पड़ती। यह प्रति रात की कार्यवाही थी।

बरसात की अँधेरी रात थी। चन्द्रमा काले बादलों की ओट से लुक-छिप कर ताक रहे थे। रामदीन और निर्मला पास ही पास सो रहे थे। बीच में बालक रामू भी सो रहा था। रामदीन और रामू ख़ुर्राटे ले रहे थे। परन्तु निर्मला को नींद कहाँ? वह अपने अन्तर्दावानल को शान्त करने में तल्लीन थी। किन्तु आज आँसू बेचारे भी लाचार थे। वे जितना अन्तर्दाह को बुझाने की कोशिश करते, वह उतना ही भीषण होता जाता था। निर्मला छटपटा रही थी।

सहसा हल्ला हुआ—रामदीन, निकलो, घर में आग लग गई है। भागो-भागो, जल्दी भागो। साथ ही बहुत से मनुष्य किवाड़ भी पीट रहे थे। रामदीन चौंक कर उठा। देखा घर के छज्जे पर अग्नि-ज्वाला लहरा रही है। जैसे-तैसे तीनों प्राणी घर से भाग निकले। बाहर बहुत से आग बुझाने वाले जमा थे। घड़ा का घड़ा पानी भगवान हुताशन पर चढ़ने लगा, पर उनकी लपटें कम न हुईं।

फूस का छप्पर बारूद के ढेर की तरह धधक उठा। लाख चेष्टाएँ करने पर भी सर्वभुक देव न शान्त हुए। देखते-देखते दरिद्र का राजमहल जल कर भस्म हो गया!

रामदीन निराश्र हो गया।

परन्तु इतने पर भी स्वार्थ-साधन होते न देख, कैलास ने अपने तरकस से दूसरा तीर निकाला। वह रामदीन को मार्ग का कण्टक समझ, उसे दूर करने का उपाय ढूँढ़ने लगा।

सन्ध्या हो रही थी। भगवान अन्शुमाली संसार से विदा ले रहे थे। गाँव का गोपी अहीर रामदीन को एक छोटी सी पोटली देता हुआ बोला—रामदीन, मैं एक कार्यवश मालिक के पास जा रहा हूँ। इसे रक्खो, अभी लौट कर ले जाऊँगा। ख़ूब सँभाल कर रखना, कहीं भूल न जाय।

गोपी चला गया। रामदीन ने उस पोटली को प्राणों के सहारे रख छोड़ा। परन्तु सारी रात व्यतीत हो गई, गोपी न आया।

(शेष मैटर १७वें पृष्ठ के पहले और दूसरे कॉलम में देखिए)

सोवियट के दो महत्वपूर्ण कार्य

[श्री० प्रभूदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसर्च-स्कॉल

विधान-विधायिनी सभा का प्रश्न सोवियट शासन के सम्मुख एक प्रधान प्रश्न था। पाठकों को स्मरण होगा कि जनता को पुनः-पुनः आश्वासन दिया गया था कि विधान-विधायिनी सभा शीघ्र बुलाई जावेगी। सोवियट शासन की प्रारम्भिक कठिनाइयाँ दूर होते ही सभा की प्रतीक्षा की जाने लगी। पर उपर्युक्त सभा के बारे में बोलशेविकों के विचार अब बदल गए थे। वे अब विधान-विधायिनी सभा को व्यर्थ समझते थे और उसे बुला कर समय नष्ट नहीं करना चाहते थे। बोलशेविकों के नेता लेनिन ने सुप्रसिद्ध 'प्रवदा' पत्र में इसी प्रश्न पर अपने विचार प्रकट किए थे। अपने लेख में लेनिन ने लिखा था कि विधान-विधायिनी सभा की अब कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अब तो जनता स्वयं शासन कर रही थी। सोवियट-शासन जनता का शासन था। किसी प्रश्न पर सोवियट की राय ही अन्तिम राय थी। अतः सोवियट के सामने विधान-विधायिनीय सभा की कोई हस्ती न थी। एक बात और थी। विधान-विधायिनी सभा के मेम्बर पहिले से निश्चित हो चुके थे। जिस समय मेम्बरों की सूची बनी थी, उस समय नरम दल का बोलबाला था। फलतः उपर्युक्त सूची में नरम दल के लोगों की भरमार थी। उस समय जनता में न तो इतनी जागृति ही थी और न कोई उसके सामने दूसरा चारा ही था। अब जनता निस्सहाय थी उस समय उसने उन मेम्बरों को स्वीकार कर लिया था। पर अब जनता वह पुरानी जनता न रह गई थी। इतने दिनों में रूस में ज़मीन-आसमान का अन्तर हो गया था। जनता की मनोवृत्ति अब बदल गई थी। वह बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अतः भला दक़ियानूसी विधान-विधायिनी सभा जनता के भाग्य का निर्णय कैसे कर सकती थी?

पर देश में अब भी एक ऐसा दल था, जो विधान-विधायिनी सभा को बुलाना चाहता था। इस दल में नरम विचार के लोग शामिल थे। उनका कहना था कि विधान-विधायिनी सभा ही जनता की सच्ची प्रतिनिधि सभा है। सभा की अवहेलना करके बोलशेविक दल देश पर अपना सिक्का जमाना चाहता था। परन्तु किसी भी एक दल को देश का भाग्य-विधाता बनाना वे पसन्द नहीं करते थे। इसीलिए वे सभा बुलाने को बहुत उत्सुक थे।

नरम दल की एक सभा हो रही थी। सभा में देश की वर्तमान स्थिति पर विचार हो रहा था। एक सदस्य ने कहा—"बोलशेविकों के बिना ही सभा प्रारम्भ कर दी जावे। हम अधिक आसरा नहीं देख सकते। हमें उनसे आगे बढ़ना चाहिए।" दूसरे ने कहा—"सब प्रयत्न निष्फल होंगे। वे हमारी बातें सुनते ही नहीं। वे हँसते हैं और कहते हैं, जब लेनिन आज्ञा देंगे, तभी हम सभा आरम्भ करेंगे। तब तक चुपचाप बैठे रहो।" "बड़े शर्म की बात है। कुछ न कुछ करना ही चाहिए।" उसने फिर कहा। उसे उत्तर मिला, "पर हम कर ही क्या सकते हैं?"

येन केन प्रकारेण एक दिन विधान-विधायिनी सभा की बैठक प्रारम्भ हुई। लेनिन सभा में एक कोने में चुपचाप बैठा था। सबसे पहिले ज़ेरेटली (Tseretelli) बोलने के लिए खड़ा हुआ। उसके उठते ही सभा में शोर-गुल मच गया। और हथियार भी चमकने लगे। इसके बाद एक से एक सुन्दर भाषण हुए। पर कोई भी भाषण ध्यानपूर्वक नहीं सुना गया। सभा का बहुमत नरम विचारों का था। अतः सभा ने जनता के मूल-अधिकारों की घोषणा को सभा के कार्य-क्रम में लेने से इन्कार कर दिया। सभा की उपर्युक्त मनोवृत्ति ने स्पष्ट कर दिया कि बोलशेविकों के लिए तथा उनके विचार के अन्य लोगों के लिए, सभा में कोई स्थान नहीं है। जिन लोगों का सभा में बहुमत था, वे सभा के बाहर भी बोलशेविकों के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे। उनके पत्र जनता को सोवियट के विरुद्ध भड़का रहे थे। विरोधियों की इस मनोवृत्ति को देख कर बोलशेविक अपने अनुयायियों सहित विधान-विधायिनी सभा से उठ कर चले गए। बोलशेविकों की केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी ने अपनी एक बैठक में निश्चय किया कि विधान-विधायिनी सभा तोड़ दी जावे। फलतः बोलशेविकों के जाते ही सभा में गड़बड़ी मच गई। लोग दर्शकों की गैलरी से आ-आ कर बीच सभा में बैठने लगे। प्रतिनिधियों के स्थानों पर बैठ कर उन्होंने हल्ला मचाना प्रारम्भ कर दिया। वे किसी की परवा ही न करते थे। अनेक प्रयत्न करने पर भी सभा में शान्ति स्थापित न की जा सकी। अन्त में स्थिति हाथ से बाहर होते देख, सभापति तथा अन्यान्य सदस्य सभा से उठ कर चल दिए।

दूसरे दिन नगर के अनेक स्थानों पर सभाएँ हुईं। फ़ैक्टरियों, बैरकों और बॉर्डों में सभाओं की धूम मच गई। बोलशेविक नेता इन सभाओं में भाषण देते थे। जनता की अपार भीड़ अपने नेताओं के भाषण ध्यान से सुनती थी। विरोधियों का कहीं पता भी न था। इन सभाओं में विधान-विधायिनी सभा की निन्दा की गई। विधान-विधायिनी सभा के पक्ष में किसी ने एक शब्द तक न कहा।

इस प्रकार विधान-विधायिनी सभा का अन्त हुआ। जिस सभा की चर्चा इतने दिनों से हो रही थी, जिस सभा की बाट उत्सुकता से देखी जा रही थी, बोलशेविकों के विरोध ने उसका अन्त कर दिया।

विधान-विधायिनी सभा का प्रश्न तो सोवियट सरकार ने बड़ी सरलता से हल कर डाला। पर अभी एक और प्रश्न था, जिसका उसे मुक़ाबला करना था और वह था शान्ति का प्रश्न। सोवियट-सरकार युद्ध का अन्त कर देना चाहती थी। वह चाहती थी कि शान्ति स्थापित हो जावे। पर युद्ध के लोलुप यूरोपीय-राष्ट्र रूस की शान्ति-चर्चा पसन्द नहीं करते थे। उनकी रक्त-पिपासा अभी शान्त नहीं हुई थी। मित्र-राष्ट्र समझते थे कि क्रान्ति के पश्चात् रूस उनके साथ कन्धे से कन्धा मिला कर युद्ध जीतने का प्रयत्न करेगा। इसीलिए उन्होंने क्रान्ति का विरोध नहीं किया था। अब, जब उन्होंने देखा कि बोलशेविक युद्ध का सिद्धान्तः विरोध कर रहे हैं तब वे रूस का विरोध करने लगे। उन्होंने रूस का आर्थिक तथा राजनीतिक बहिष्कार कर दिया। रूस से सारे राजनीतिक सम्बन्ध तोड़ दिए गए। उन लोगों ने अपने-अपने दूत रूस से वापिस बुला लिए। रूस के साथ व्यापार-वाणिज्य भी बन्द हो गया। वे सोवियट रूस को पनपने नहीं देना चाहते थे और उसके मार्ग में रोड़े अटकाना चाहते थे। ज़ार ने उन राष्ट्रों के साथ कुछ सन्धियाँ की थीं। उन सन्धियों में अन्य बातों के साथ-साथ युद्ध का समर्थन भी किया गया था। उन राष्ट्रों ने सोवियट रूस से तक़ाज़ा किया कि वह ज़ार की सन्धियों को कार्यान्वित करे। परन्तु रूस ने ज़ार की सन्धियों को मानने से एकदम इन्कार कर दिया। उसने अन्य राष्ट्रों को यह भी बता दिया कि वह साम्राज्य-विस्तार का विरोधी है। परन्तु कोई भी राष्ट्र रूस की शान्ति-चर्चा सुनने को तैयार न था। हाँ, जर्मनी अवश्य रूस के साथ सन्धि-चर्चा करने को राज़ी मालूम होता था। फ़लतः रूस ने जर्मनी से एक पृथक सन्धि करनी चाही।

ब्रेस्ट-लिटोवस्क (Brest-Litovsk) नामक स्थान पर बराबर तीन महीने तक जर्मनी के साथ सन्धि-चर्चा होती रही। दोनों तरफ़ से ख़ूब बहसें हुईं। ख़ूब बाल की खाल निकाली गई। पर परिणाम कुछ भी नहीं निकला। कभी-कभी अवश्य सफलता के कुछ चिह्न दिखाई पड़ जाते थे, पर जर्मनी की शर्तें इतनी कड़ी थीं, कि उन्हें मानना रूस के लिए एकदम असम्भव था। इसलिए सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर करना ट्रॉटस्की के लिए अत्यन्त कठिन हो गया। इस स्थिति से घबरा कर ट्रॉटस्की ने कहा था "हम लोग सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे; पर हम लोग युद्ध भी नहीं करेंगे। हम अपनी सेना लौटा लेंगे और जर्मनी और ऑस्ट्रिया-हङ्गरी के मज़दूरों तथा किसानों से क्रान्ति करने की अपील करेंगे।" ट्रॉटस्की का यह कथन भावी जर्मन-क्रान्ति के लिए एक खुल्लमखुल्ला न्योता था। "न युद्ध न शान्ति।" यह घोषणा ट्रॉटस्की ने ब्रेस्ट पहुँच कर की इस घोषणा ने रूस के शत्रुओं को चौंका दिया। क्योंकि शत्रु इसके लिए तैयार न था। अस्तु— जर्मनी ने पुनः युद्ध छेड़ दिया। उसकी सेना को किसी ने नहीं रोका। रूस ने अपनी सेना वहाँ से पहिले ही हटा ली थी। जर्मन-सेना एक के बाद एक रूसी नगरों पर अधिकार करती हुई आगे बढ़ने लगी। बहुत शीघ्र वह पेट्रोग्राड के समीप पहुँच गई। परन्तु न कहीं युद्ध हुआ और न किसी ने उसका मार्ग रोका।

परन्तु इस भयावह परिस्थिति के कारण रूस के कम्यूनिस्ट-दल में भीषण मतभेद पैदा हो गया। शान्ति के प्रश्न पर दो दल हो गए। एक दल तो उन लोगों का था, जो 'न युद्ध न शान्ति' की नीति को मानता था। इस दल का मुखिया था, ट्रॉटस्की। इस दल ने अपनी सारी आशाओं का केन्द्र जर्मन-क्रान्ति को ही

बना रक्खा था। इसका कहना था कि जर्मन-सेना का आगे बढ़ते जाना जर्मन-क्रान्ति के लिए एक शुभ लक्षण है। क्योंकि जब वह आगे बढ़ती जावेगी तो रूसी किसान और मज़दूर उसके साथ गोरिला-युद्ध (Guerrila War) आरम्भ कर देंगे। इससे पहले जर्मन-सेना में क्रान्ति फैलेगी और फिर जर्मन-जाति में। यह दल जर्मन-सेना के लिए मास्को और पेट्रोग्राड छोड़ने तक को तैयार था। उसकी धारणा थी कि इस चाल से हम क्रान्ति को शीघ्र बुला लेंगे। इस दल के विचार में जर्मनी के साथ सन्धि करना संसार की क्रान्तियों के साथ दग़ा करना था।

दूसरा दल लेनिन का था और वह समय चाहता था। परन्तु लेनिन की व्यक्तिगत राय थी कि जर्मनी के साथ सन्धि कर ली जावे। क्योंकि सन्धि में देर होने से रूस को हानि उठानी पड़ेगी और फिर जर्मनी की शर्तें और भी कड़ी हो जावेंगी, परन्तु लेनिन अब तक चुप था। क्योंकि वह अपने दल में फूट नहीं डालना चाहता था। पर अब वह ख़ामोश रहना घातक समझता था।

सन् १९१८ की २२वीं फ़रवरी को बोलशेविकों की केन्द्रीय कमिटी की बैठक हुई। इस बैठक में सात सभासदों ने सन्धि के पक्ष में राय दी। इन लोगों का कहना था कि जर्मनी की शर्तें फ़ौरन मान ली जावें। चार सदस्य सन्धि के विरुद्ध थे। इसलिए वे तटस्थ रहे। क्योंकि वे लेनिन का विरोध नहीं करना चाहते थे। स्वयम् ट्रॉटस्की भी तटस्थ था।

अन्त में बेतार द्वारा जर्मनी को सूचित किया गया—ब्रेस्ट की सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए रूस तैयार है। दो दिन पश्चात् जर्मनी का उत्तर आया। परन्तु उत्तर क्या था, अल्टीमेटम (चुनौती) था। सन्धि की शर्तें और भी कड़ी बना दी गई थीं और इन शर्तों को स्वीकार करने के लिए कुल ४८ घण्टे का समय दिया गया था। ख़ैर, इस अल्टीमेटम पर विचार करने के लिए उपयुक्त केन्द्रीय कमिटी और सोवियट की एक संयुक्त सभा हुई। इस सभा में सन्धि का ज़ोरों से विरोध किया गया। सन्धि के विरोधियों ने कहा—"हम युद्ध नहीं चाहते, शान्ति चाहते हैं। परन्तु बेइज़्ज़ती के साथ नहीं, और न देशद्रोही बन कर क्रान्ति की रक्षा के लिए लड़ने में देश की तमाम जनता हमारा साथ देगी।"

इस सभा में लेनिन ने एक अत्यन्त सुन्दर तथा प्रभावशाली भाषण दिया था। उन्होंने कहा, "हाँ, हम निस्सहाय हैं और जर्मन साम्राज्यवाद ने हम पर विजय प्राप्त की है। उसने हमारी छाती पर चढ़ कर हमारे सिर पर तमञ्चा तान रक्खा है और पश्चिम में ऐसी क्रान्ति कहाँ है जो जर्मन साम्राज्यवाद के कठिन चङ्गुल से हमें छुड़ावे। इसी क्षण आप हमें एक लाख सैनिकों की एक दृढ़ सेना दीजिए, जो शत्रु को देख कर कम्पित न हो, तो मैं सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं करूँगा। अभी तक मैंने आपको बाधा नहीं पहुँचाई है। मैं चुपचाप अलग हो गया था। मैंने आपको बातचीत करने के लिए पूरे दो महीने दे दिए थे। क्या आपने एक विशाल सेना खड़ी कर ली है? क्या आपने बातें बनाने और हल्ला मचाने के अलावा और भी कुछ किया है?

"अगर हम मास्को और पेट्रोग्राड छोड़ कर अरल प्रदेश चले जावें तो हमें जर्मनी से केवल दो-तीन सप्ताह के लिए छुट्टी मिलेगी। परन्तु क्या आप ज़िम्मेदारी लेते हैं, कि इन दो सप्ताहों में संसार में क्रान्ति हो जावेगी। मैं मानता हूँ कि यह सन्धि अत्यन्त अपमानजनक है। पर यदि आप आज सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं करते तो एक महीने पश्चात् जिस सन्धि पर आपको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, उसकी शर्तें इन शर्तों की अपेक्षा सौ गुनी बदतर होंगी।

"यदि आप संसार की क्रान्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं और यदि आप सोवियट प्रजातन्त्र को चिरजीवी रखना चाहते हैं तो आपको इस अपमानकारी सन्धि-पत्र पर अवश्य ही हस्ताक्षर कर देना चाहिए।

"आप समझते हैं कि क्रान्ति के मार्ग में गुलाब के फूल बिछे हैं और हम लोग सर्वदा झण्डा हिलाते हुए और अन्तर्राष्ट्रीय नारे लगाते हुए विजयी होते चले जावेंगे तब तो क्रान्ति होना सरल है। परन्तु क्रान्ति कोई खेल-तमाशा नहीं है, क्रान्ति के मार्ग में काँटे बिछे हैं। आपको घुटने तक कीचड़ में चलना होगा। आवश्यकता पड़ने पर ग़लीज़ के ढेर पर पेट के बल रेंगना पड़ेगा। तब इस युद्ध में हमारी विजय होगी।"

बोलशेविकों की निजी सभा में भी सन्धि की शर्तों के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न किए गए। सन्धि के विरोधियों ने लेनिन पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी।

स्टेकलोव (Steklov) ने लेनिन से पूछा—कॉमरेड लेनिन, आप सन्धि की उस शर्त को किस प्रकार पूरी करेंगे जिसमें कहा गया है कि उकरेन प्रान्त से रूसी सेनाएँ हटा ली जावें। क्या हम निशस्त्र प्रान्त को लुटेरे जर्मनों के हाथों में सौंप देंगे?

लेनिन ने उत्तर दिया—"सन्धि के अनुसार हम अपनी रूसी सेनाएँ उकरेन प्रान्त से हटा लेंगें। शैतान को यह पता ही नहीं है कि कौन सी सेनाएँ उकरेन की हैं और कौन सी रूस की। सम्भव है कि वहाँ रूसी सेनाएँ हों ही नहीं, सभी सेनाएँ उकरेन की हों और हमें वास्तव में कुछ हटाना ही न पड़े।" (हँसी)

"क्या हम फ़िनलैण्ड के साथियों की सहायता न करें और उन्हें प्रबल शत्रु से अकेले युद्ध करने दें?"

"हम उन्हें सहायता नहीं दे सकते। पर ज़रा सोचिए तो, कल क्या हुआ था! रेल के कुछ डब्बे, जिनमें गोला-बारूद आदि सामान भरा था और जो दक्षिण भेजे जाने को थे, रेलवे कर्मचारियों की 'लापरवाही' से फ़िनलैण्ड भेज दिए गए। ऐसी 'लापरवाही' सदा हो सकती है। जहाँ तक नाविकों का सम्बन्ध है, हमारे फ़िनलैण्ड के साथियों ने हमसे स्वयं उन्हें वापस बुला लेने को कहा है। क्योंकि वे नाविक इतने पतित हैं कि अपने शस्त्र तक शत्रुओं को बेच देते हैं।"

"पर हमें साम्राज्यवाद के विरुद्ध सारा आन्दोलन बन्द कर देना होगा और विश्वव्यापी क्रान्ति की तैयारी रोक देनी होगी?"

"मुझे पता न था कि आज राजनीति के बच्चों से पाला पड़ा है। मैं तो समझता था कि हम सब के सब पुराने ख़ुर्राट हैं। आप ज़ार के समय उसकी आज्ञा के विरुद्ध ज़ोरों से आन्दोलन कैसे करते थे? जर्मनी का क़ैसर रूस के निकोलस से अधिक होशियार नहीं है।"

"पर हमारी पार्टी के पत्र साम्राज्यवाद और क़ैसर के विरुद्ध कुछ नहीं छाप सकते। क्योंकि ऐसा करना ब्रेस्ट-सन्धि के विपरीत होगा।"

"केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी सन्धि पर हस्ताक्षर कर रही है। पर वह पार्टी की केन्द्रीय कमिटी नहीं है। केन्द्रीय कमिटी के बर्ताव के लिए सोवियट सरकार उत्तरदायी नहीं है।

इस प्रकार लेनिन ने सारी शङ्काओं का समाधान किया। लोगों का भय जाता रहा। वे समझ गए कि वे सन्धि को जितनी बुरी समझते थे, वास्तव में वह उतनी बुरी नहीं है। उन्हें विश्वास हो गया कि लेनिन—ऐसे नेताओं के हाथों में क्रान्ति सदा सुरक्षित है। फलतः बोलशेविकों ने अपनी सभा में निश्चय किया कि वे सन्धि का समर्थन करेंगे। इस पार्टी के जिन मेम्बरों की व्यक्तिगत राय सन्धि के विपरीत थी, उनसे भी साधारण सभा में सन्धि के पक्ष में राय देने को कहा गया। इस प्रश्न पर किसी को भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नहीं दी गई।

अन्त में साधारण सभा हुई। कुछ लोगों ने वहाँ भी सन्धि का विरोध किया। पर बहुमत से सन्धि का प्रस्ताव पास हो गया। कम्यूनिस्ट दल के प्रत्येक मेम्बर ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। विरोधियों ने कम्यूनिस्टों को देशद्रोही तथा जर्मन-जासूस आदि विशेषणों से याद किया। उनका अब भी विश्वास था कि सन्धि करके वे लोग रूस को जर्मन के हाथ बेच रहे हैं। अस्तु।

दूसरे दिन प्रातःकाल बेतार के तार द्वारा बर्लिन, वियेना, सोफ़िया और क़ुस्तुन्तुनिया को सूचना दी गई कि रूस ब्रेस्ट-सन्धि स्वीकार करने को तैयार है। उसी दिन सोवियट डेलीगेशन ब्रेस्ट के लिए रवाना हो गया। सोकोनिकोव उसका मुखिया था और जाफ़े राजनीतिक सलाहकार। जब वे लोग ब्रेस्ट पहुँचे तो उन्हें पता चला कि अल्टीमेटम और भी कड़ा बना दिया गया है, क्योंकि टर्की ने अपनी कुछ और नई माँगें बढ़ा दी थीं।

सोवियट डेलीगेशन ने इन माँगों का घोर विरोध किया। उन्होंने कहा, कि हम हस्ताक्षर करने को तैयार हैं, पर हम चाहते हैं कि संसार यह देख ले कि साम्राज्यवाद हम पर कितना अत्याचार कर रहा है।

तीसरी मार्च को दोनों तरफ़ से सन्धि पर हस्ताक्षर हो गए। कम्यूनिस्ट पार्टी की सातवीं कॉङ्ग्रेस के सामने उपरोक्त सन्धि को स्वीकार करने का प्रश्न आया। ३० वोट स्वीकार करने के पक्ष में थे और १२ वोट विरुद्ध। फलतः सन्धि स्वीकार कर ली गई।

१४वीं मार्च को इसी प्रश्न पर विचार करने के लिए सोवियट कॉङ्ग्रेस की विशेष बैठक हुई। बोलशेविक पार्टी के अलावा शेष अन्य पार्टियों ने सन्धि को स्वीकार न करने को कहा, फिर भी बहुमत से सन्धि स्वीकार कर ली गई।

जर्मन फ़ेडरल कौन्सिल ने भी १७वीं मार्च को सन्धि स्वीकार कर ली। जर्मन पार्लिमेण्ट ने भी सर्वसम्मति से सन्धि को स्वीकार कर लिया। पर जर्मनी में भी एक दल सन्धि का विरोधी था और वह था स्वतन्त्र साम्यवादी दल। लेनिन का विश्वास था कि बहुत शीघ्र जर्मनी में क्रान्ति होगी।

इसीलिए उसने सन्धि करने पर इसलिए ज़ोर दिया था कि वह समझता था कि क्रान्ति के फल-स्वरूप जर्मनी का शासन जनता के हाथ में आ जावेगा और फिर जर्मनी की जनता स्वयं सन्धि की कड़ी शर्तों को हटा कर रूस के साथ रियायत करेगी। इस तरह रूस का काम भी निकल जावेगा और हानि भी न उठानी पड़ेगी। साँप मर जावेगा और लाठी भी न टूटेगी। परन्तु लेनिन के विरोधी उसकी इस दूरदर्शिता पर विश्वास न करते थे।

परन्तु लेनिन कितना दूरदर्शी था और वह हवा का रुख़ कितना पहचानता था, इसका पता इसी से चलता है कि सचमुच कुछ महीनों के अन्दर ही जर्मनी में भीषण क्रान्ति हो गई। ९ नवम्बर को इस क्रान्ति का श्रीगणेश हुआ। देखते-देखते क़ैसरशाही का तख़्ता उलट दिया गया। जर्मनी की जनता जर्मनी की भाग्य-विधाता बन गई और ब्रेस्ट की सन्धि रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। लेनिन के विरोधी भी उसकी दूरदर्शिता के क़ायल हो गए और उसकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगे।

❀ ❀ ❀

विसर्जन

(१४वें पृष्ठ का शेषांश)

७

सवेरा होते ही गाँव में तहलका मच गया। ज़मींदार के घर चोरी हो गई है। किसी ने रात को उनके शयनागार से हीरे की अँगूठी चुरा ली है। सब घबड़ा उठे। नौकर-चाकर भय से थर-थर काँप रहे थे। कैलास ने क्रोधावेश में किसी को मारा, किसी को गालियाँ दीं। पर अँगूठी का पता न चला। थाने में इत्तला हुई। दारोग़ा जी स-दल-बल आ पहुँचे। कई घण्टों तक एक निर्जन कोठरी में कैलास तथा दारोग़ा जी बातें करते रहे। इसके बाद लोगों की तलाशी होने लगी। नौकर-चाकरों के घरों की तलाशी हुई। पर अँगूठी न मिली। अन्त में कई आदमियों के साथ रामदीन भी पकड़ा गया। उसकी भी तलाशी ली जाने लगी। खोजते-खोजते एक गठरी में हीरे की अँगूठी तथा फटे-पुराने कपड़े मिले। दारोग़ा जी कड़क कर बोले—रामदीन, यह काम कब से सीखा है? मैं तो जानता था, तुम दुखिया हो—सीधे-सादे हो।

"दोहाई सरकार की, यह पोटली मेरी नहीं है। कल सन्ध्या को गोपी मुझे रखने के लिए दे गया था, और अब तक नहीं ले गया।"—रामदीन ने डरते-डरते सारा हाल कह दिया।

"बदमाश, अब जान बचाने के लिए अपना पाप दूसरों के सिर मढ़ता है। सच-सच बतला, नहीं मारे ठोकरों के सीधा कर दूँगा। जानता नहीं, मैं कौन हूँ?"

"दोहाई दारोग़ा साहब की, मैंने चोरी नहीं की। सचमुच गोपी मुझे दे गया था। बुला कर उससे पूछ लिया जाय।"

"चोर का मुँह चाँद। मैं उससे पूछता फिरूँ। मुझे पढ़ाने चला है। भोलासिंह, बाँधो पाजी को। बिना चालान किए इसका दिमाग़ ठीक न होगा। दो-चार वर्ष बच्चू जेल में सड़ेंगे, तब चोरी करने का मज़ा मालूम होगा।"

निर्दोष रामदीन का चालान कर दिया गया। ३७९ दफ़ा के अनुसार मुक़दमा चला, गवाहों की कमी न थी। बड़े-बड़े धर्म-धुरन्धरों ने शपथपूर्वक रामदीन के विरुद्ध गवाहियाँ दीं। अपराध प्रमाणित था। रामदीन दो वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया, निर्मला मूर्च्छित होकर गिर पड़ी।

८

रामदीन को जेल भेज कर कैलास ने समझा, अब निर्मला अवश्य ही मेरी बातें स्वीकार कर लेगी। उसे मालूम न था कि निर्मला का हृदय कितना ऊँचा और उसका धर्म कितना अटल है।

निर्मला सती थी—पति-परायणा थी। पति-देवता से बिछुड़ते ही उसका जीवन असह्य हो उठा। विरह की भीषण ज्वाला से उसकी यौवन-श्री मुरझा गई, देह-लता झुलस गई और उसकी सारी सुन्दरता भस्मीभूत हो गई। वह सोचने लगी, इस व्यथित जीवन से मृत्यु का अनुगामी होना कहीं सुखकर है।

सवेरा हो रहा था। एक धुँधला प्रकाश सर्वत्र फैल चुका था। संसार अँगड़ाइयाँ लेता हुआ जाग पड़ा था। किन्तु निर्मला शय्या पर आँचल से मुख छिपाए अचेत पड़ी थी। रामू "माँ-माँ" की मधुर ध्वनि से पुकार रहा था।

धीरे-धीरे प्राची दिशा के प्राङ्गण में भगवान भुवन-भास्कर पूर्ण प्रभा के साथ प्रादुर्भूत हुए। उनकी सुवर्ण-किरणें तृण की टट्टियों से होकर निर्मला के अचैतन्य शरीर पर लोट गईं, मुर्झाए कुसुम का मधुर सुवास लेने लगीं। किन्तु निर्मला अब भी न जागी। रामू अभ्रभेदी स्वर से रो उठा। उसका कर्ण-भेदी स्वर सुन कर बहुत से लोग जमा हो गए। ख़बर पाकर कैलास भी आया और घबड़ाए हृदय से निर्मला की परीक्षा करने लगा। मुख का आँचल हटाया, उसके होश उड़ गए! देखा, मुख कान्ति-हीन हो रहा था। शरीर पर हाथ रक्खा, बिलकुल सर्द पाया। नाड़ी पकड़ी—गतिहीन थी। सहसा उसके पार्श्व-देश में पड़ी हुई एक पुड़िए पर नज़र पड़ी। ग़ौर से देखा, उसमें 'संखिया' थी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। हृदय धक् से हो गया। प्राण सूख गए। एक भीषण चीख़ मार कर निर्मला के चरणों में लोट गया और मूर्च्छित हो गया। एकत्रित लोगों में एक अजीब उदासी छा गई। सबकी आँखें सावन-भादों की नदी की तरह उमड़ पड़ीं। किसी प्रकार कैलास को उठा-पठा कर घर पहुँचाया और निर्मला के निर्जीव शरीर को श्मशान!

इसके दूसरे ही दिन कैलास ने अपनी सारी सम्पत्ति रामू के नाम लिख दी और उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया। यह ख़बर बिजली की भाँति नगर में फैल गई।

❀ ❀ ❀

मुसोलिनी का ईश्वर पर विश्वास

[अनुवादक—श्री० देवराज जी उपाध्याय]

श्वर ही तुम्हारे सारे कर्त्तव्यों का मूल-स्रोत है। उसीके विराट नियमों में तुम्हें अपने कर्त्तव्यों की सच्ची परिभाषा मिलेगी। उन्हीं विराट नियमों का उत्तरोत्तर उद्घाटन करना तथा उन्हें कार्य-रूप में लाना मानव-जीवन का ध्येय है।

'ईश्वर का अस्तित्व है'—इसे प्रमाणित करने की न तो मुझे आवश्यकता है और न मेरी इच्छा ही है। ऐसा प्रयत्न, मेरी दृष्टि में, उतना ही पापपूर्ण है जितना कि उसके अस्तित्व को अस्वीकार करना मूर्खतापूर्ण है। ईश्वर का अस्तित्व है, क्योंकि मेरा अस्तित्व है। ईश्वर निवास करता है, हमारी चेतना में, मानव-जाति की आत्मा में तथा उस विशाल विश्व की तह में, जिससे हम परिवेष्टित हैं। हमारी आत्मा उसे सम्पत्ति तथा विपत्ति की गम्भीर घड़ियों में याद करती है। मानव-जाति उसके नाम में परिवर्तन करने या उसके पवित्र नाम में कालिमा लगाने में कुछ काल के लिए भले ही समर्थ हो, पर उसके नाम पर सदा के लिए पर्दा डाल देना, उसकी सामर्थ्य के बाहर की बात है। विश्व की यह सुव्यवस्था, विश्व का प्रत्येक ताल, प्रत्येक स्पन्दन तथा प्रत्येक नियम उसका परिचय देता है। तुम्हारे मध्य में कोई नास्तिक नहीं है; यदि कोई ऐसा हो भी तो वह धिक्कार का पात्र नहीं, परन्तु दया का पात्र है। उसकी दशा पर हमें रोना चाहिए। जो मनुष्य तारावलियों से सुशोभित रजनी में, अथवा अपने प्राण-प्रिय परिचितों के क़ब्र के सामने अथवा आत्मोत्सर्ग के ज्वलन्त उदाहरणों के समक्ष भी ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करता है, वह सचमुच ही बड़ा अभागा या बड़ा ही दुष्ट है। निस्सन्देह, सर्व-प्रथम नास्तिक वही मनुष्य था, जिसने सब मनुष्यों से अपने दुष्कर्मों को छिपा कर सर्वदर्शी—जिससे कुछ भी गोपनीय नहीं रह सकता, उस ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार कर, उससे भी पीछा छुड़ाने की कोशिश की होगी। इस प्रकार उसने अपने पाप-जनित अनुताप के दशन के गला घोंट देने का प्रयास किया होगा। शायद वह एक अत्याचारी था, जिसने अपने भाइयों की स्वतन्त्रता के साथ-साथ उनकी आत्मा का भी ख़ून करके कर्त्तव्य-निष्ठा एवं चिरन्तन अधिकारों के स्थान पर पाशविक शक्ति की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न किया है। फिर एक शताब्दी के बाद दूसरी शताब्दी में ऐसे भी कुछ आदमी होते गए, जिनके दार्शनिक मस्तिष्क के विक्षेप के कारण नास्तिक-वाद का प्रचार हुआ। पर ऐसे आदमियों की संख्या बहुत थोड़ी रही और जो थे भी वे लज्जित से रहते थे। थोड़े ही दिन के बाद एक ऐसे जन-समूह की उत्पत्ति हुई, जिसने तत्कालीन किसी ख़ास सम्प्रदाय या पीड़क शक्ति द्वारा प्रतिष्ठित निर्जीव एवं भ्रामक विचारों से तङ्ग आकर ईश्वर को ही अस्वीकार कर दिया; पर यह क्षणिक था और उस समय भी उन्हें किसी ईश्वरत्व की इतनी कड़ी ज़रूरत पड़ी कि, उन्हें बुद्धिदेवी तथा प्रकृति देवी की पूजा करनी ही पड़ी। आज बहुत से ऐसे मनुष्य हैं, जो सारे मत-मतान्तरों से घृणा करते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि असली कार्यों में बुराइयों का प्राधान्य है, परन्तु उनमें से एक को भी नास्तिक बनने का साहस नहीं है। बहुत से ऐसे पुजारी हैं, जो अर्थ-लोलुपता की वेदी पर ईश्वर के नाम की हत्या किया करते हैं; ऐसे अत्याचारी भी हैं, जो ईश्वर को अपने अत्याचारों का रक्षक बता कर उसकी छीछालेदर करते हैं। परन्तु इससे क्या? बहुधा सूर्य-ज्योति गन्दे कुहरों से छन कर धीमे रूप में पहुँचती है; तो क्या हम इसीसे उस सूर्य तथा ज्योति विकीर्ण करने वाली उसकी किरणों को अस्वीकार कर देंगे? चूँकि बहुत से दुराचारी स्वतन्त्रता में उच्छृङ्खलता ला देते हैं, इसीसे क्या हम स्वतन्त्रता को दोषी ठहराएँगे? सारे कुत्सित विचारों तथा भ्रम के रहते हुए भी, जिनके द्वारा उसके नाम को कलुषित करने की चेष्टा की गई है, ईश्वर-विश्वास की चिरन्तन ज्योति देदीप्यमान रहती है। असत्य और बुराइयों का नाश अत्याचारों के नाश की तरह अवश्यम्भावी है। परन्तु ईश्वर तथा उसकी प्रतिकृति मानव-जाति सदा विद्यमान रहती है। जिस तरह मनुष्य दासता, दारिद्र्य तथा कष्टों की कँटीली राह को पार कर शक्ति और आत्म-स्वतन्त्रता के पास पहुँचता है, उसी तरह नामधारी मज़हबों की समाधि पर उसका पवित्र नाम और भी जाज्वल्यमान होकर, पवित्र होकर एवं पूज्य होकर उग आता है।

मैं आज ईश्वर-सम्बन्धी बातें उसके अस्तित्व को दर्शाने के लिए या यह कहने के लिए कि तुम्हें उसकी पूजा करनी चाहिए, नहीं कह रहा हूँ। तुम तो अपने तथा और जीवों के जीवन की प्रत्येक अनुभूति में उसकी पूजा करते हो, चाहे उसका नाम उच्चारण करो या न करो। परन्तु आज तुम्हें उसकी पूजा की विधि बताऊँगा। हम पर शासन करने वाली जाति के लोगों के मानस में भूल समा गई है और सम्पर्क से तुममें भी वह भूल बैठती जाती है, उसी भूल की ओर से तुम्हें सचेत करूँगा। वह भूल नास्तिकवाद से कम भयङ्कर तथा नाशकारी नहीं है।

मनुष्यों में यह प्रवृत्ति है कि वे ईश्वर और उसकी

महान कृति पृथ्वी, जिस पर हम जीवन का अंश व्यतीत करते हैं, दोनों में कुछ भी सम्बन्ध नहीं समझते; इन्हें दो पृथक-पृथक चीज़ समझते हैं। यही सब से बड़ी भूल है। एक ओर तुम्हें ऐसे मनुष्य मिलेंगे, जो कहेंगे कि सच है, ईश्वर का अस्तित्व है; पर केवल तुम्हें इतना ही करना है कि उसके अस्तित्व को स्वीकार करो और उसकी पूजा करो। ईश्वर और मनुष्य के सम्बन्ध को अच्छी तरह समझना तथा उसकी व्याख्या करना मनुष्य की समझ के बाहर की बात है। यह एक ऐसी बात है कि तुम्हारी आत्मा ही स्वयं इस सम्बन्ध में ईश्वर से तर्क-वितर्क कर सकती है। इस विषय पर तुम अपने इच्छानुसार विचार करने के लिए स्वतन्त्र हो। परन्तु साथियों पर उन्हें प्रकट करने की कोशिश करो। अथवा न तो उन्हें पार्थिव जगत के किसी बात में उपयोग करने का ही यत्न करो। राजनीति एक और चीज़ है और धर्म दूसरी। एक-दूसरे को मिश्रित मत करो। स्वर्ग की बातों को किसी सर्वमान्य आध्यात्मिक शासन के हाथ में छोड़ दो। परन्तु यदि वह शासन तुम्हें अपने कर्तव्यों से च्युत होता दीख पड़े, तो उसमें अविश्वास करने का अधिकार अपने पास रक्खो; सबको सोचने और विश्वास करने की स्वतन्त्रता दे दो। तुम्हें केवल सांसारिक बातों में ही एकता पर ज़ोर देना चाहिए। तुम आध्यात्मवादी रहो या अनात्मवादी, पर तुम मनुष्य की समानता, स्वतन्त्रता, बहुसंख्यक लोगों की भलाई, सार्वजनिक मताधिकारों के हामी तो हो न? तब इनकी प्राप्ति के लिए सङ्गठित हो जाओ; इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि तुम्हारे ईश्वर-सम्बन्धी विचार भी एक हों।

दूसरी ओर ऐसे भी मनुष्य मिलते हैं, जो तुमसे कहेंगे—ईश्वर है अवश्य, परन्तु वह इतना महान है, इतनी दूर है कि मानवीय शक्ति से उसके पास पहुँचना दुर्लभ है। पृथ्वी तुच्छ पदार्थ है; जीवन नश्वर है। प्रथम से हाथ खींच लो और दूसरे को उसकी उचित क़ीमत से अधिक मूल्यवान मत समझो। तुम्हारी आत्मा के अमर जीवन की तुलना में तुम्हारे सांसारिक स्वार्थों का मूल्य ही क्या है? सोचो, ईश्वर की ओर देखो। इसकी परवाह ही क्या कि तुम किस अवस्था में यहाँ जीवन-यापन कर रहे हो। मृत्यु अनिवार्य है। ईश्वर के दरबार में, तुमने उसके चिन्तन में जितना ध्यान दिया है, उसीके अनुसार तुम्हारा निर्णय होगा; सांसारिक बातों में दिए गए ध्यान की वहाँ क़तई पूछ नहीं है। यदि तुम पर विपत्तियाँ मँडरा रही हैं तो उस परमात्मा को धन्य-वाद दो, जिसने तुम्हारे पास इन्हें भेजा है। पार्थिव जीवन तुम्हारी परीक्षा का समय है; इस पृथ्वी पर तुम्हारा देश-निकाला हुआ है। इसे हेय दृष्टि से देखो तथा इससे ऊपर उठने की कोशिश करो। दुख, दारिद्र्य और दासता में रहते हुए भी तुम ईश्वर की शरण में जा सकते हो, और उसकी पूजा द्वारा सांसारिक चीज़ों को हेय दृष्टि से देख कर और भविष्य के विश्वास द्वारा तुम अपने को पवित्र बना सकते हो।

इन दोनों में प्रथम पक्ष ईश्वर से प्रेम नहीं करता और दूसरा उसको पहचानता ही नहीं।

प्रथम दल वालों से कहो कि मनुष्य एक है, तुम उसको दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते। यह सम्भव नहीं कि समाज-सञ्चालन के सिद्धान्तों में वह तुमसे सहमत हो, परन्तु उसकी उत्पत्ति, ध्येय और जीवन के नियमों के सम्बन्ध में तुमसे मतभेद रखता हो। जब भारतीयों ने यह सिद्धान्त माना कि किसी की उत्पत्ति ब्रह्मा के सिर से, किसी की भुजा से, किसी की चरण से हुई है। और प्रथम को मानसिक सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनाया, दूसरे को युद्ध का भार दिया, तीसरे को सेवा-कार्य दिया, तब उन्होंने अपने सङ्गठन में एक ऐसी स्थिरता प्रदान की, जो तब तक क़ायम रहेगी जब तक उनका विश्वास उस सिद्धान्त पर रहेगा। जब क्रिश्चियनों ने संसार के सामने यह घोषित किया—"हम सब ईश्वर की ही सन्तान हैं और इस नाते सब भाई-भाई हैं।" मानव-जाति के इतिहास में हम तुम्हें यह दिखला सकते हैं कि प्रत्येक धार्मिक विकाश के साथ-साथ सामाजिक उन्नति हुई है। परन्तु धर्म के प्रति उदासीनता के विकाश के साथ सिवा अराजकता के और कुछ भी नहीं दिखा सकते। तुम नाश करने में समर्थ हो सके हो, पर सृजन करने में नहीं। प्रोटेस्टेण्टिज़्म के एक सिद्धान्त की अत्युक्ति कर देने की वजह से और जिसे आज प्रोटेस्टेण्टिज़्म भी परित्याग करने की ज़रूरत महसूस कर रहा है—वैयक्तिक स्वतन्त्रता के सिद्धान्त के आधार पर सारे विचारों की नींव डालने से हम किस अवस्था पर पहुँच गए हैं। इसका तुम्हें कुछ ख़याल है? व्यापार में धाँधली मची हुई है, अर्थात् निर्बलों की लूट हो रही है; राजनीति में स्वतन्त्रता की छीछालेदर हो रही है, अर्थात् उन निर्बलों पर, जिनके पास अपने अधिकारों के उपयोग करने का न तो साधन है, न समय है और न ज्ञान है; धर्म में अहम्वाद का बोल-बाला है। अर्थात् असहाय दीनों को पृथक कर उनके नाश का उपक्रम हो रहा है। हम एक सङ्घ के इच्छुक हैं, परन्तु ऐसे भाइयों के सहयोग के बिना, जो एक ही पथ-प्रदर्शक सिद्धान्तों में विश्वास करते हों, एक ही सिद्धान्त-सूत्र में आबद्ध हों तथा एक ही नाम का साक्षी देते हों, इस सङ्घ की प्राप्ति कैसे हो सकती है? हम एक प्रकार की शिक्षा चाहते हैं, पर इस शिक्षा का प्रचार कैसे हो सकता है, जब तक इसके 'आदि-मध्य-अवसान' सम्बन्धी सिद्धान्त एक न हों। हम एक सर्वदेशीय शिक्षा चाहते हैं, पर यह एक साधारण विचार के अभाव में कैसे सम्भव हो सकता है? हम एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, परन्तु इसमें सफल कैसे हो सकते हैं, जब तक हमारा लक्ष्य एक न हो, हमारे कर्तव्य-पथ में एकता न हो? यदि हमारे ईश्वर-सम्बन्धी विचारों में विभिन्नता है, तब हम एक कर्तव्य का निश्चय कैसे कर सकते हैं। निस्सन्देह, सार्वजनिक मताधिकार बड़ी अच्छी चीज़ है; यही एक साधन है, जिसके द्वारा कोई देश अपना शासन समय-समय पर होने वाली भयानक उथल-पुथल के बिना भी सञ्चालित कर सकता है। पर सार्वजनिक मता-धिकार उसी देश में समूचे राष्ट्र की मनोवृत्ति तथा इच्छा का परिचय हो सकता है, जहाँ पर एक विश्वास की प्रधानता हो; पर जहाँ पर इस साधारण विश्वास का अभाव है, वहाँ पर यह सिवा बहुसंख्यक दल के स्वार्थ का रक्षक तथा औरों के पीसने के साधन के सिवा और हो ही क्या सकता है? उस देश में, जहाँ पर धार्मिक भावनाओं का अभाव हो या उसके प्रति लोग उदा-सीन हों, वहाँ पर सब राजनीतिक सुधार तभी तक स्थिर रह सकते हैं, जब तक वे कुछ व्यक्तियों के 'मरज़ी' (Whim) के अनुकूल हों। गत पचास वर्षों के अनुभव से हम इस विषय पर काफ़ी सीख चुके हैं।

दूसरे दल वाले जो, पृथ्वी और स्वर्ग के पृथकत्व के पोषक हैं, उनसे कहो कि पृथ्वी और स्वर्ग, मार्ग और उसके छोर की तरह एक ही हैं, दो नहीं। ऐसा मत कहो कि पृथ्वी तुच्छ है; ईश्वर ने इसका निर्माण किया है कि हम इसके सहारे उसके पास पहुँच सकें। संसार विलासिता और प्रलोभन के पीछे मरते रहने की जगह नहीं है, पर यह वह जगह है, जहाँ हमें आत्मोन्नति के लिए परिश्रम तथा उच्च-जीवन पर अग्रसर होने के लिए श्रम करना चाहिए। तुम कहते हो कि सभी सांसारिक चीज़ों से घृणा करनी चाहिए, पार्थिव चीज़ों पर ठोकर मारना चाहिए, ताकि हम उस आध्यात्मिक जीवन में लग सकें। परन्तु यह पार्थिव जीवन उस आध्यात्मिक जीवन-नाटक का विष्कम्भक तथा उसकी प्राप्ति का एक मञ्ज़िल मात्र नहीं तो और क्या है? क्या तुम यह नहीं समझते कि अन्तिम सीढ़ी, जिससे हमें कोठे पर चढ़ना है, उसकी सराहना कर और प्रथम सीढ़ी की अवहेलना कर तुम लोगों को पथ-भ्रष्ट कर रहे हो? आत्मिक जीवन प्रत्येक अवस्था में सांसारिक या उससे आगे आने वाली अवस्था में पवित्र है; अतएव प्रत्येक अवस्था आगे आने वाली अवस्था की तैयारी मात्र है, प्रत्येक साधारण उन्नति उस ईश्वर-प्रदत्त चिरन्तन जीवन की विकाश-प्रगति में एवं मनुष्य-जाति के सामूहिक जीवन में सहायता देने वाली है।

ईश्वर ने तुम्हें इस पृथ्वी पर रक्खा है; उसने तुम्हारे चारों तरफ़ तुम्हारे सदृश लाखों मनुष्य पैदा किए हैं, जिनके मस्तिष्क की पुष्टि तुम्हारे विचारों से होती है, जिनकी उन्नति तुम्हारी उन्नति के साथ होती है, जिनका जीवन तुम्हारे जीवन से पुष्पित तथा पल्लवित होता है। एकान्तवास की विपत्तियों से बचाने के लिए उसने तुम्हारे साथ-साथ ऐसी ज़रूरतें जोड़ दी हैं, जिसकी पूर्ति तुम अकेले कर नहीं सकते। तुममें सामाजिक जीवन व्यतीत करने की स्वाभाविक प्रेरणा है, जो तुम्हें पशुओं से अलग करती है, जिनमें यह भाव प्रसुप्त रहता है। उसने तुम्हारे सामने एक विशाल दुनिया खोल रक्खी है, जिसे तुम पार्थिव कहते हो। पर जो रमणीय है तथा जिसमें जीवन का स्फुरण है, वैसा जीवन जिसे तुम भूल नहीं सकते, ईश्वर के स्मारक-रूप में जिसका पग-पग पर दर्शन होता है। परन्तु तो भी उसमें तुम्हारे परिश्रम की ज़रूरत है। उसकी विविध उद्भावनाओं में तुम्हारी ज़रूरत तथा है जिसकी शक्ति में तुम्हारी कर्तव्य-शक्ति के अनुपात में ही वृद्धि होगी, उसने तुम्हारे हृदय में असंख्य भावों का बीज डाल रक्खा है—दुखियों के लिए करुणा, हँसने वालों

आप क्या सचमुच हमारे हो गए !

[नाख़ुदाए सख़ुन हज़रत "नूह" नारवी]

आज झगड़े ख़त्म सारे हो गए,
हम तुम्हारे, तुम हमारे हो गए !
कुछ मेरे उनके इशारे हो गए,
दिल ही दिल में, वारे-न्यारे हो गए !
हमको जिनकी दोस्ती पर नाज़ था,
लो वही दुश्मन हमारे हो गए !
मुझको तनहा बहरे[१] ग़म में छोड़ कर,
रफ़्ता-रफ़्ता सब किनारे हो गए !
दिल को रोऊँ या जिगर[२] का ग़म करूँ,
सैकड़ों ऐसे ख़िसारे[३] हो गए !
चूकते हैं, वह लगावट से कहीं,
लड़ गईं आँखें इशारे हो गए !
हमको इस का एतबार आता नहीं,
आप क्या सचमुच हमारे हो गए !
बस तेरे लुत्फ़ो[४] करम की देर थी,
"नूह" से हम "नूह" प्यारे हो गए !

१—दुख का समुन्दर, २—कलेजा, ३—नुक़सान, ४—कृपा।

❀ ❀ ❀

के लिए प्रसन्नता, सहयोगियों पर अत्याचारियों के लिए क्रोध, सत्य के लिए अमित प्यास, उस प्रखर बुद्धि के लिए प्रशंसा, जो सत्य का उद्‌घाटन करता है; उनके लिए प्रशंसा, जो इस सर्व-हितकारी बात को काम में लाते हैं; उनके लिए धार्मिक श्रद्धा, जो सत्य की विजय में असमर्थ रहने पर भी उसी की खोज में शहीद हो जाते हैं और ख़ून की छींटों को ही उसका साक्षी छोड़ जाते हैं। परन्तु तो भी ईश्वर ने जो तुम्हारे लिए मिशन ठीक कर रक्खा है और जिसकी ओर ये भाव इशारा कर रहे हैं, उस पर तुम कुछ भी ध्यान नहीं देते।

ऐसा जो करने का प्रयत्न करता है, क्या ईश्वर उसे दण्ड नहीं देता? क्या ग़ुलाम पतन के गढ़े में सदा पड़ा नहीं रहता? एक मज़दूर को देखो, जब तक वह अपने शारीरस्थ ईश्वरीय जीवन को ज्ञान की ज्योति से हीन, शारीरिक कार्य में ही संलग्न रखता है। तब तक क्या उसकी आत्मा वासना की भूख, तथा पार्थिव (Instinct) की तृप्ति की भूलभुलैया में पड़ कर घुटती नहीं रहती? क्या देश तथा उसकी स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वाले पोलों से रूसियों में धार्मिक भावना अधिक जागृत है? "जहाँ पर ईश्वर की भावना काम करती है वहीं पर स्वतन्त्रता है"—यह बात एक बड़े पैग़म्बर द्वारा कही गई है। तुम्हारा तो कोई धर्म नहीं; यह तो कुछ आदमियों का एक गुट्ट है, जिन्हें अपने मूल का ज्ञान नहीं; जो यह बात भूल गए हैं कि उनके पूर्वजों ने एक बिगड़े समाज के लिए कितना युद्ध किया है, उस पर विजय प्राप्त की है और इस संसार को, जिससे वे घृणा करते हैं, बनाने में कितनी मिहनत की है। वे विचार, जो प्राचीन रीतियों की समाधि पर उत्पन्न होते हैं, समाज को तत्कालीन अवस्था में परिवर्तन करते हैं; क्योंकि प्रत्येक सच्चा विचार और विश्वास मानव-जाति के प्रत्येक भाग में कार्यकर्ता है, क्योंकि संसार एक स्वर्ग में विश्वास करता है और उसीके अनुरूप भी अपने को बनाना चाहता है। क्रिश्चियनों की प्रार्थना है—"ऐ परमात्मन्! तुम्हारा स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पर उतर आवे।" मानव-जाति का इतिहास भिन्न-भिन्न रूपों में तथा विविध प्रकारों में इसी की पुनरावृत्ति करता है। 'स्वर्ग का साम्राज्य इस पृथ्वी पर उतर आवे'। भाइयो, पहले से भी अच्छी तरह से याद करो और अच्छे रूप से काम में लाओ, यही तुम्हारे विश्वास की आवाज़ हो। इसकी पुनरावृत्ति करो और ऐसा आचरण करो कि इसका उद्देश्य पूरा हो। तुम उन लोगों की बात पर क़तई मत ध्यान दो, जो तुम्हें निष्क्रिय समर्पण, सांसारिक चीज़ों के प्रति उदासीनता, अन्यायपूर्ण लौकिक सत्ता के सामने झुकाने की सलाह देते हैं और तुमसे कहते हैं कि 'ज़ार की चीज़ ज़ार को दो और ईश्वर की चीज़ ईश्वर को'। क्या वे एक भी चीज़ बता सकते हैं, जो ईश्वर की नहीं? ज़ार की चीज़ ज़ार की तभी तक है, जब तक वह ईश्वरीय नियम का पालन करती है। ज़ार अर्थात् लौकिक सत्ता या कोई सरकार परमात्मा की इच्छा को कार्यरूप में लाने का अस्त्र-मात्र है। जब कभी वह इस इच्छा के विरुद्ध आचरण करे, तो उसे बदल देना तुम्हारा हक़ ही नहीं, वरन् धर्म भी है। तुम इस पृथ्वी पर रहते ही क्यों हो, यदि तुम अपने साधन के मुताबिक़ अपने सरहद के भीतर ईश्वर की इच्छा को कार्यरूप में लाने का प्रयत्न नहीं करते। मानव-जाति की एकता, जो ईश्वर की एकाई का परिणाम है, विश्वास रखने का बहाना ही क्यों करते हो, यदि तुम मानव-जाति को विभक्त करने वाले भिन्न-भिन्न मनमौजी विभागों को और शत्रुता को दूर करने का प्रयत्न भी नहीं करते? तुम स्वतन्त्रता में, जो मनुष्य के उत्तरदायित्व का मूल है, क्यों विश्वास करते हो, यदि तुम उन अड़चनों को दूर नहीं कर देते, जो पहले (स्वतन्त्रता) में रोड़ा अटकाते हैं और दूसरे (उत्तरदायित्व) को दूषित कर देते हैं। क्यों तुम बन्धुत्व में विश्वास करते हो, यदि तुम प्रतिदिन अपने भाइयों को पद्दलित, पतित और घृणित होते देखते हो। पृथ्वी हमारी मिहनत का क्षेत्र है; इसे हमें कोसना नहीं चाहिए, इसे पवित्र करना चाहिए। ये पार्थिव शक्तियाँ, जिनसे हम परिवेष्ठित हैं, हमारे परिश्रम के साधन हैं, इन्हें अस्वीकार नहीं करना चाहिए, परन्तु उनका सदुपयोग करना चाहिए।

परन्तु ईश्वर के बिना तुम यह कर ही नहीं सकते। मैंने तुमसे कर्तव्यों के विषय में कुछ कहा है। मैंने तुमसे कहा है कि केवल स्वत्वों (Rights) का ज्ञान ही सर्वदा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए काफ़ी नहीं है; अपनी अवस्था में क्रमिक उन्नति करने में समर्थ नहीं है। बिना ईश्वर के हम कर्तव्य का ज्ञान ही कहाँ से पा सकते हैं। ईश्वर के अभाव में कोई भी राजनीतिक सत्ता, जिसे तुम पसन्द करो, वह अन्ध, पाशविक, अत्याचारपूर्ण शक्ति पर अवलम्बित है। इससे पीछा छुड़ाने का कुछ भी उपाय नहीं है। मानवीय चीज़ों का विकाश दो ही बातों पर निर्भर है—या तो उस ईश्वरीय नियम पर, जिसका हमें पता लगा कर कार्यरूप में लाना होगा, या तो सुयोग पर, उस क्षणिक अवस्था पर और उस आदमी के चातुर्य पर, जिसके द्वारा वह उन सुयोगों का उपयोग कर सके। हमें या तो ईश्वर की आज्ञा माननी होगी या मनुष्य (एक हों या बहुत, इससे मतलब नहीं) की। जब सब मस्तिष्कों पर राज्य करने वाला 'वृहद् मस्तिष्क' न हो, तब तक बलवान द्वारा निर्बलों पर होने वाले अत्याचारों को रोक ही कौन सकता है? जब तक कोई एक पवित्र, शुद्ध नियम वर्तमान न हो और जो मनुष्य-निर्मित नहीं हो, तब तक हम किसी कार्य के न्याय और अन्याय की जाँच ही कैसे कर सकते हैं? किसके नाम पर हम अत्याचार और असमानता के विरोध में आवाज़ उठा सकते हैं? ईश्वर के अभाव में सिवा Fact के कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो राज्य कर सके—वही Fact चाहे उसे क्रान्ति या 'बोनापार्ट' के नाम से पुकारो, जिसके सामने आज पदार्थवादी सर झुकाते हैं। वही Fact जिसको इटली या कहीं के पदार्थवादी आज हमारे सिद्धान्तों से सहमत रहने पर भी अपने अकर्मण्यता के लिए बहाना बनाते हैं। हम आपसी व्यक्तिगत रायों के नाम पर ही मनुष्यों से आहुति या शहीद हो जाने के लिए कैसे कह सकते हैं। भला हम अपने स्वार्थों के आधार पर ही उन गूढ़ सिद्धान्तों को कार्यरूप में लाने के लिए लोगों से कैसे कह सकते हैं। जब तक हम व्यक्तिगत-रूप में अपनी प्रखर बुद्धि द्वारा निश्चित किए गए सिद्धान्तों की बातें करेंगे, तब तक केवल, आज की तरह, बात के साथी मिलेंगे, काम के नहीं। "ईश्वर की इच्छा है! ईश्वर की इच्छा है!!" यही आवाज़ सदा सब क्रान्तियों में गूँजती रही है और यही आवाज़ है, जो सोते को जगा सकती है, कायरों में साहस का सञ्चार कर सकती है, कृपणों में भी त्याग का भाव भर सकती है, और मानव-सिद्धान्तों पर अविश्वास करने वालों में भी विश्वास का भाव भर सकती है। लोगों को बता दो कि जिस मुक्ति या क्रमिक विकाश की ओर तुम उनका आह्वान कर रहे हो, वह ईश्वरीय इच्छा का एक अङ्ग है, कोई भी उसका विरोध नहीं करेगा। लोगों को यह समझा दो कि जिस कार्य में तुमने हाथ लगाया है, वह मनुष्य के अमर जीवन का एक अङ्ग है और वर्तमान के सब दुख उज्ज्वल भविष्य के सामने कुछ नहीं हैं। ईश्वर के बिना तुम शासन कर सकते हो, हृदय को नहीं जीत सकते; तुम एक अत्याचारी बन सकते हो, पर शिक्षक तथा पैग़म्बर नहीं।

"ईश्वर की इच्छा! ईश्वर की इच्छा!!" भाइयो! यही तुम्हारे आदमियों की, इटली-राष्ट्र की आवाज़ है। राष्ट्र के सच्चे पुजारी! तुम उन लोगों के धोखे में मत पड़ो, जो कहते हैं कि इटली में राजनीतिक प्रवृत्ति नहीं है और धार्मिक भाव उससे कूच कर गए हैं। जब तक इटली आपस की फूट के रहते हुए भी महान और कर्तव्यशील रहा, तब तक धार्मिक भावना दूर नहीं हुई थी; परन्तु यह दूर उस समय हो गई थी, जब फ़्लॉरेन्स का पतन हो गया था, और इटली की आज़ादी को चार्ल्स की विदेशी तलवार और पोप की धोखेबाज़ियों ने कुचल दिया था और हम राष्ट्रीय रूप परित्याग कर ऐसा जीवन व्यतीत करने लगे थे, मानो हम एक स्पेनियर्ड हैं, दूसरा जर्मन और तीसरा फ़्रेन्च है। हमारे यहाँ के विद्वान राजकुमारों के यहाँ हँसोड़ों का काम करने लगे और अपने मालिकों को प्रत्येक वस्तु की दिल्लगी उड़ा कर उत्तेजित करना ही उनका कर्तव्य हो गया। पुरोहित लोग यह देख कर कि सत्य को व्यावहारिक रूप में लाना असम्भव है, धर्म के साथ 'बनिअई' करने लगे; उन लोगों से उन्होंने ध्यान हटा लिया, जिनको सुशिक्षित करना उनका धर्म था और ख़ुदग़र्ज़ बन बैठे। साधारण जनता विद्वानों से घृणा पाकर, पुरोहितों की धोखेबाज़ी से तङ्ग आकर, सार्वजनिक बातों से हर प्रकार वञ्चित हो, प्रतिहिंसा के भावों से प्रेरित हो, विद्वानों की दिल्लगी उड़ाने लगी; पुरोहितों में अविश्वास करने लगी। जनता प्राचीन क्रीड (Creed) के विरुद्ध बग़ावत करने लगी। क्योंकि उसने देखा कि वे दूषित हो गए हैं। तब से आज तक हम अपने को पतन तथा अकर्मण्यता के गढ्ढर में गिराते चले गए हैं। परन्तु अब हम फिर भी उठना चाहते हैं। हमें अपनी राष्ट्रीय परिपाटी याद करनी होगी। हमें यह याद रहना चाहिए कि बारहवीं शताब्दी में लम्बैर्डों ने अपने होठों पर ईश्वर का नाम रख कर तथा अपने युद्धों के बीच ईश्वर-विश्वास की प्रतिमूर्ति रख कर जर्मनों को परास्त किया और अपनी खोई हुई आज़ादी को उनके हाथों से छीन लिया। हमें याद रखना होगा कि टस्कैनी-निवासी के प्रजातन्त्रवादी अपनी पार्लामेण्ट की बैठक गिरजों में करते थे। हमें उन फ्लोराएटाइन के राजगीरों को भी न भूलना चाहिए, जिन्होंने अपनी स्वतन्त्रता को मेडीकी के ख़ान्दान के हाथ में (House of medici) देने से इन्कार कर दिया और क्राइस्ट को अपने प्रजातन्त्र का प्रधान चुना। हमें उस सन्त 'Savonarala' को नहीं भूलना चाहिए, जो एक ही साँस में ईश्वर में विश्वास और जनता के अधिकार का प्रचार करता था। हमें उन जेनेवा के भाइयों को भी याद रखनी चाहिए, जिन्होंने पत्थर के अस्त्रों के सहारे अपने देवता मेरी के नाम पर अपने देश को जर्मनों के हाथ से स्वतन्त्र किया। ऐसे ही और बहुत से कार्यों को नहीं भूलना चाहिए, जहाँ धार्मिक भावों ने इटली की विचार-धारा की रक्षा तथा वृद्धि की है। हमारे आदमियों में धार्मिक भाव प्रच्छन्न-रूप में है, केवल उसे जाग्रत करने की आवश्यकता है। जिसे इस भाव को जाग्रत करने की कला मालूम है, वह बीसों राजनीतिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन से भी अधिक देश-सेवा कर सकता है। शायद विदेशी एकच्छत्र शासन-विधान के पक्षपातियों के अनुयायीगणों में, जिन्होंने पूर्व इटली की जागृति में नेतृत्व ग्रहण किया था, इसी भाव का अभाव था; यही कारण है कि इटली-निवासियों ने अभी तक उन प्रयत्नों में पूरा साथ नहीं दिया है। भाइयो, ईश्वर के नाम पर प्रचार करो। जिसके पास एक इटली का हृदय है, वह तुम्हारा अनुसरण करेगा।

*   *   *

कविता-कुञ्ज

पथिक से—

[श्रीमती शान्तिदेवी]

पथिक जाने की क्या जल्दी
अभी ठहरे ही कितनी देर,
कहो ! जाना है और कहाँ
कह रहे हो क्यों हुई अबेर।

❀

ठहरते हो जो मेरे सङ्ग
कहाओगे तो पथिक ! उदार,
नहीं तो ले जाओगे साथ
पथिक, बेसुध पीड़ा का हार।

❀

अभी तो वर्षा-ऋतु आई,
बाद आएगा शिशिर-वसन्त,
सुनोगे जब बरसाती गीत
तभी होगा क्लेशों का अन्त।

व्यवहार

[श्री० शिवदर्शन जी]

कहो रवि, कैसा यह व्यवहार ?
जान पड़ता है अत्याचार !
रहता एक तुम्हारा बस नलिनी को प्रेमाधार,
सन्तत रहती मग्न, तुम्हारा ध्यान हृदय में धार।
खिल जाती, हो जाता उसमें जीवन का सञ्चार,
सुन करके आगमन तुम्हारा, देती नेत्र उघार॥
जग कहता है-'दिया सभी कुछ उसने तुम पर वार।'
किन्तु विरह-वेदना सहाते उसको बारम्बार॥

अभिलाषा

[श्री० गुरुप्रकाश जी गुप्त, 'मुकुल']

जलधि में उठ जाए तूफ़ान,
धरा पर आ जाए भूचाल।
हृदय भूधर के फट जाएँ,
काँप उठे सारा पाताल॥

❀

आसन ब्रह्मा का हिल जाए,
स्वर्ग में भी होवे हलचल।
उगले सूर्य अनल की ज्वाल,
सुमन त्याग दें निज परिमल॥

❀

शान्ति मिट जाए जग से,
उर में लगें बला से तीर।
युक्ति बस ऐसी हो भगवान,
जाग उठें भारत के वीर॥

होड़

[श्री० सूर्यदेवप्रसाद जी वर्मा]

तूने ठान लिया है मुझको,
जितना ही ठुकराना—
मैंने ठान लिया है तुझको,
उतना ही अपनाना।

❀

बरसाएगा तू जितना ही,
तिरस्कार की आग—
बरसाऊँगा मैं उतना ही,
सुधा-सलिल अनुराग !

❀

जीवन की बाज़ी पर मैंने,
है यह होड़ लगाई।
देखूँ, कैसे, कब तक रहती
तेरी यह निठुराई।

अनुरोध !

[श्री० कपिलदेव नारायणसिंह जी "सुहृद"]

चित्रकार ! इन कलियों के,
यौवन पर हृदय लुटाओ !
कविवर ! इनके अल्हड़पन पर,
कविता अमर बनाओ !
गायक ! इनके नवविकास का,
गीत मनोहर गाओ।
प्रेमी ! आज प्रेम से बढ़ कर,
इनको गले लगाओ !
नटवर ! अखिल-विश्व-रचना को,
इनमें आज मिला दो !
और प्रलय के बीच इन्हीं सी,
कलिका एक खिला दो !

गुरु-दीक्षा

[श्री० राजाराम जी खरे]

गुरुवर उन्हें बनाऊँगा मैं,
देश-प्रेम जिनका है मन्त्र।
जो सुधार के बने उपासक,
जिन्हें न भाते झूठे तन्त्र॥

❀

जाति-भेद का भूत न जिनके,
सिर पर बैठा रहता है।
कर्म-योग के कठिन मार्ग पर,
जिनका मन दुख सहता है॥

❀

दीन-दुखी जन की सेवा ही,
जिनकी प्रभु की पूजा है।
पूज्य वही हैं जग में मेरे,
और न कोई दूजा है॥

ऊषा

[श्री० जनककिशोरी देवी जी 'नवीना']

निर्जन अगम सघन कानन में,
बिखराती हो तुम मोती।
किसे जगाती हो बन-देवी,
लाल पहन करके धोती ?
विहँगों के कलरव के सँग तुम,
वंशी मुदित बजाती हो।
किसे सुनाने के हित बनिते,
मधुर भैरवी गाती हो ?
जल-तरङ्ग के सङ्ग शुभे,
तुम कर क्रीड़ा इठलाती हो।
मणिमाला समान जल करके,
शोभा नित्य बढ़ाती हो !
निर्मल आभा प्रकृति नटी की
एक मात्र तुम भूषा।
शोभा की चिर-सङ्गिनि सुललित,
एक मात्र तुम ऊषा॥

सुमन

[श्री० "लहरी"]

फूल रहा हूँ फुलवाड़ी में,
किरणों का वैभव लेकर।
इतराता हूँ उनके बल पर
मारुत को मदिरा देकर॥
इसी कटीली झुरमुट में,
भय है, झड़ पड़ूँ न धन खोकर।
ले न सकूँगा सिसकी भी,
पथिकों की मैं खाकर ठोकर॥
दे शशि-बाला मधुर थपकियाँ,
पय-पीयूष पिला कर।
कौन जानता, प्यार-प्यार में,
देगी पटक शिला पर॥
मधुपों का ममत्व ही कितना,
स्यार्थमयी जगती में।
लेंगे लूट सुरभि बहुरुपिए,
स्नेह न उनके जी में॥
मालाकार, न निष्ठुर बन,
चुन लेना, बिखर न जाऊँ !
उग्र-झकोरों से क्षण में,
अन्तिम घड़ियाँ दुलराऊँ॥
"उपयोगी जीवन, जीवन है",
स्वर्ग-सौख्य से बढ़ कर !
अभी बनूँगा उस शहीद की,
जड़-समाधि पर चढ़ कर॥

❀ ❀ ❀

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

स्वर्गीय सुधीरचन्द्र गुप्त—कर्नल सिम्पसन के हत्याकारी स्व० दिनेशचन्द्र गुप्त के अन्यतम साथी, जिन्होंने हत्या-काण्ड के बाद ही आत्म-हत्या कर ली थी।

स्वर्गीय विनयकृष्ण बोस—कर्नल सिम्पसन हत्याकारी स्व० दिनेशचन्द्र गुप्त के अन्यतम साथी, जिन्होंने हत्या-काण्ड के बाद ही आत्म-हत्या कर ली थी। कहा जाता है कि ढाका में पुलीस-इन्स्पेक्टर जनरल मि० लोमेन को इन्होंने ही मारा था।

चटगाँव के सुप्रसिद्ध विप्लवकारी नेता—श्री० गणेश घोष—जिन पर चटगाँव की विशेष अदालत में मामला चल रहा है।

श्री० लोकनाथ बॉल के भाई—स्वर्गीय प्रोवाशनाथ बॉल—जो १८वीं एप्रिल, १९३० को जलालाबाद पहाड़ी पर फ़ौज से लड़ते हुए मारे गए।

चटगाँव-विद्रोह के विप्लवकारी नेता—श्री० अम्बिका चक्रवर्ती—जिन पर चटगाँव की विशेष अदालत में अभियोग चल रहा है।

श्री० शङ्करलाल अग्रवाल (उम्र १६ वर्ष) आप जबलपुर के उत्साही कार्यकर्ता हैं और चार मास की सज़ा भोग चुके हैं।

स्वर्गीय श्री० दिनेशचन्द्र गुप्त, जिन्हें कलकत्ता के राईटर्स बिल्डिङ्ग में जेलों के इन्स्पेक्टर-जनरल कर्नल सिम्पसन की हत्या करने के अभियोग में फाँसी की सज़ा दी गई है।

यदि अवसर दिया जाय तो स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकतीं ?

योतमाल (मध्य-प्रान्त) के म्युनिसिपैलिटी की सदस्या—श्रीमती आनन्दाबाई दामले—आप उच्च-कोटि की शिक्षिता महिला-रत्न हैं।

मट्टनचेरी (कोचीन स्टेट) के महिला हस्पताल की सिविल सर्जन—मिसेज़ आर० ई० कोहलॉफ़।

सैदपेट (मद्रास) म्युनिसिपैलिटी की सदस्या—श्रीमती सी० कृष्णम्मा—आप अपने प्रान्त में स्त्री-शिक्षा का ज़ोरों से प्रचार कर रही हैं।

कुर्ग में कॉफ़ी (क़हवा) की सफलतापूर्वक खेती करने वाली—श्रीमती डी० सकम्मा—आपने गत वर्ष मैसूर की 'कुरूलिना सेटी एसोसिएशन' को ३० हज़ार रुपयों का दान दिया था। समाज-सेवा के कार्य में आपकी विशेष अभिरुचि है।

अमरेली (काठियावाड़) की महिला-समिति की प्रधाना—श्रीमती यशोदाबाई भाटे—जिन्होंने समाज की सेवा करना ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया है।

लखनऊ के सुप्रसिद्ध समाज-सेवी स्वर्गीय जस्टिस गोकरणनाथ की पुत्री—श्रीमती फूलमती शुक्ला, एम० ए०, जो अपने सुललित एवं सारगर्भित व्याख्यान देने के लिए विख्यात हैं।

बेलगाम (बम्बई) के महिला-क्लब की प्रधाना—श्रीमती एम० डी० मोडक—आप महिलाओं की उन्नति के लिए विशेष रूप से प्रयत्न कर रही हैं।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

रेशमी कपड़े बुनते हुए बालि द्वीप की वन्य-जाति (Balinese) की कुछ महिलाएँ—इस जाति की स्त्रियाँ सूती तथा रेशमी कपड़े बुनने के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या भारतीय देवियाँ अपनी इन 'असभ्य' बहिनों से शिक्षा ग्रहण करेंगी ?

अमेरिका की एक नवयुवती, जो सर्कस के खेलों में अपना सानी नहीं रखती। इस नवयुवती ने ख़ास कर घुड़सवारी में विशेषता प्राप्त की है। इस चित्र में पाठक 'अलिफ़' घोड़े पर महिला को सवार देखेंगे।

अमेरिका का कलियुगी कुत्ता—जिसके ज़िम्मे बिल्ली के बच्चे को प्रेमपूर्वक दूध पिलाने जैसा नाज़ुक काम सौंपा गया है।

लाख और मोम की रँगाई के काम में प्रसिद्ध जावा द्वीप की महिलाएँ बड़ी सफलतापूर्वक अपनी जीविका उपार्जन कर लेती हैं ; इनके रँगाई के काम दूर-दूर तक जाते हैं, फिर भी सभ्य कहने वाली जातियाँ इन्हें न जाने क्यों 'असभ्य' बतलाती हैं ?

जर्मनी की सुप्रसिद्ध गोल्फ़ तथा पोलो की खिलाड़िन—मिस हेलेन मेयर—जिन्हें हाल ही में समस्त यूरोप में सब से अच्छा खिलाड़ी मान कर पुरस्कृत किया गया है।

मिसेज़ बख़्शी (लखनऊ) सिरसागञ्ज (मैनपुरी) की महिला कॉन्फ़्रेन्स में भाषण दे रही हैं।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

बनारस बम-केस की अन्यतम अभियुक्ता—श्रीमती राधारानी सेन—जिन पर दौरा अदालत में मामला चल रहा था और जो सर्वथा निर्दोष पाकर मुक्त कर दी गई।

बम्बई के सुप्रसिद्ध व्यवसायी श्री० कोठावाला की तीन आदर्श कन्याएं—(बाँई ओर से) कुमारी के०, कुमारी आर० तथा कुमारी एन० कोठावाला।

कैलिफ़ोर्निया (अमेरिका) की कुछ महिलाएँ, जिन्हें फ़ौजी शिक्षा दी जा रही है। इस चित्र में पाठक इन्हें परेड करते हुए देखेंगे।

श्रीमती यमुनाबाई—आप जबलपुर के "महाकोशल प्रान्तीय महिला सेवा-सङ्घ" की अध्यक्षा हैं।

रूस के स्त्री-पुरुषों में आजकल जीविकोपार्जन के क्षेत्र में बड़ी प्रतिद्वन्दिता हो रही है। फल-स्वरूप महिलाएँ पुरुषों के प्रत्येक कार्यक्षेत्र पर आक्रमण कर रही हैं। इस चित्र में पाठक ढलाई के कार्य में सफलता प्राप्त करने वाली एक रूसी महिला को देखेंगे।

सोवियट (प्रजातन्त्र) रूस की उन महिलाओं में से तीन—जो मूँगे और मोती के व्यापार में अपना सानी नहीं रखतीं। इस चित्र में पाठक इन्हें मोती परखते हुए देखेंगे।

और आए वह हमारी चश्मे तर के सामने, पानी-पानी होगई काली घटा बरसात की।
सारा आलम शाद हो सारा ज़माना शाद हो, झूम कर बरसे अगर काली घटा बरसात की।

सब्ज़ए[1] मीना का आलम दीदनी[2] है आजकल,
मैकदे[3] को दौड़ी जाती है घटा बरसात की।

—"आतिश" लखनवी

बढ़ती है रोने से मस्तों के फ़िज़ा[4] बरसात की,
आ गई क्या घट के आँखों में घटा बरसात की।
आठ-आठ आँसू रुलाती है तेरे होठों की याद,
ऐ परी मिस्सी है या ओदी घटा बरसात की।
आँसुओं में डूब जाएँ बदलियाँ ऐ चश्मेतर,
अब तो ज़ोर अपना बढ़ा कुअत घटी बरसात की।
साक़िया जामो[5] सुबू से ऐसी आराइश बढ़े,
आके मैख़ाने पे सदक़े हो घटा बरसात की।
बर्क़[7] चमकाती हुई कुहसार से उट्ठी नहीं,
नीमचे[8] खींचे हुए आई घटा बरसात की।
जब चमन में आ गया मस्तों को सावन का ख़याल,
सावनी गाती हुई आई घटा बरसात की।
शोख़ियाँ हैं दुख़्ते-रिज़ की या कि बिजली की चमक
बोतलें हैं मै की या काली घटा बरसात की।

—"अमीर" लखनवी

है दिलाती यादे मै-नोशी फ़िज़ा बरसात की,
दिल बढ़ा जाती है आ-आ कर घटा बरसात की।
बँध गई है रहमते हक़ से हवा बरसात की,
नाम खुलने का नहीं लेती घटा बरसात की।
हो शरीके बज़्मेमै[9] ज़ाहिद भी तोबा तोड़ कर,
झूमती क़िब्ले[10] से उट्ठी है घटा बरसात की।
वह पपीहों की सदाएँ और वह मोरों का रक़्स[11]
वह हवाएँ सर्द वह काली घटा बरसात की।
अस्ल तो यों है मै वो माशूक़ का जब लुत्फ़ है,
चाँदनी हो रात को दिन को घटा बरसात की।

—"चकबस्त" लखनवी

अब मेरे साक़ी तअम्मुल[12] है तुझे किस बात का,
वह उठी, वह आई, वह छाई घटा बरसात की।
फ़ुर्क़ते[13] जानाँ में था पहले ही से यह अश्कबार
और ले डूबी मेरे दिल को घटा बरसात की।
और आए वह हमारी चश्मे तर के सामने,
पानी-पानी होगई काली घटा बरसात की।

—"नूह" नारवी

ले उड़ी इसको भी अब शायद हवा बरसात की,
झूमती-फिरती है मस्ती में घटा बरसात की।
मैं तो जब समझूँ मुआफ़िक़ है हवा बरसात की,
दौरे मै हो, वह हों, छाई हो घटा बरसात की।
क्यों न माँगें हर कसो-नाकस दुआ बरसात की,
रिज़्क़[14] पहुँचाती है दुनिया को घटा बरसात की।
मैकदे की सिम्त रिन्दों[15] के क़दम उठने लगे,
क्या पयामे[16] मैकशी लाई घटा बरसात की।

बरसात में पीने का मज़ा आता है

(नाख़ुदाए सख़ुन हज़रत "नूह" नारवी)

बरसात में पीने का मज़ा आता है,
दरिया में सफ़ीने[1] का मज़ा आता है।
ऐ "नूह" जो क़िस्मत से हो पहलू में कोई,
मरने में भी जीने का मज़ा आता है।

१—नाव।

पीने वालो दौर पर अब दौर चलना चाहिए,
वह उमड़ कर आई वह छाई घटा बरसात की।
बाद-ख़्वारों[17] की नज़र में क्यों न कौंदें बिजलियाँ,
जामे-ज़र्री[18] है लिए काली घटा बरसात की।

—"शातिर" इलाहाबादी

देखते बनती है अब तो हर अदा बरसात की,
हुस्न की दुनिया लिए आई घटा बरसात की।
जो कभी खुलकर न बरसे जो बरसकर खुल न जाय,
रिन्द कहते हैं वही बस है घटा बरसात की।
रात-दिन में फ़र्क़ अब कुछ भी नज़र आता नहीं,
क्या नया अन्धेर करती है घटा बरसात की।
पीने वाले मस्त हो जाते हैं इसको देख कर,
ओदी-ओदी, काली-काली यह घटा बरसात की।
बन्दा-परवर आपके बीमारे फ़ुर्क़त के लिए,
बन गई है एक बला काली घटा बरसात की।
सब्र ऐ दिल जल्द होगा बारिशे अब्रे-करम[19],
छा रही है फिर नए सर से घटा बरसात की।

—"ज़ाहिद" इलाहाबादी

चलते-चलते रुक गई ठण्डी हवा बरसात को,
टूट कर बरसेगी अब काली घटा बरसात को।
कह गई बिजली चमक कर यह अँधेरी रात में,
देखने वालो ज़रा देखो घटा बरसात की।

—"ग़ाफ़िल" इलाहाबादी

आज साक़ी बादए ख़ुश[20] रङ्ग दे जी खोल कर,
कल ख़ुदा जाने कहाँ जाए घटा बरसात की।
आगया ज़ाहिद को भी पीने-पिलाने का ख़याल,
इस अदा से छाई है काली घटा बरसात की।
आज ज़ाहिद भी शरीके बज़्मेरिन्दाँ[21] हो गया,
अल्ला-अल्ला इस तरह छाई घटा बरसात की।

—"हुनर" गयावी

बाम[22] पर आकर अगर वह अपनी ज़ुल्फ़ें खोल दें,
तो बलाएँ क्यों न ले काली घटा बरसात की।
आस्माँ से अब शराबे नाब[23] बरसे क्या अजब,
कह गई रिन्दों से यह काली घटा बरसात की।
पीने वाले सब से पहिले माँगते हैं यह दुआ,
मैकदे पर टूट कर बरसे घटा बरसात की।
बादाकश इस पर नहीं करते ज़रा भी एतबार,
चलती-फिरती छाँव है काली घटा बरसात की।
सारा आलम शाद[24] हो सारा ज़माना शाद हो,
झूम कर बरसे अगर काली घटा बरसात की।
देख कर इसको तड़प उट्ठा दिले पुर-आरज़ू,
क्या कोई माशूक़ है ओदी घटा बरसात की।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

१—हरे रङ्ग का शीशा, २—देखने योग्य, ३—शराबख़ाना, ४—रौनक़, ५—पियाला, ६—सिंगार, ७—बिजली, ८—शराब, ९—शराब की सभा, १०—पच्छिम, ११—नाच, १२—देर,

१३—प्रेमी का वियोग, १४—रोज़ी, १५—शराबियों, १६—शराब पीने का निमन्त्रण, १७—शराबियों, १८—सोनहला प्याला,

१९—दया के बादल, २०—अच्छी शराब, २१—शराबियों की सुहबत, २२—कोठा, २३—ख़ालिस, २४—प्रसन्न।

❋ ❋ ❋

स्फुलिंग

[लेखक—अध्यापक ज़हूरबख़्श जी 'हिन्दी-कोविद']

'स्फुलिङ्ग' विद्याविनोद-ग्रन्थमाला की एक नवीन पुस्तक है। आप यह जानने के लिए उत्कण्ठित होंगे, कि इस नवीन वस्तु में है क्या? न पूछिए कि इसमें क्या है! इसमें उन अङ्गारों की ज्वाला है, जो एक अनन्त काल से समाज की छाती पर धधक रहे हैं, और जिनकी सर्व-संहारकारी शक्ति ने समाज के मन-प्राण निर्जीव-प्राय कर डाले हैं। 'स्फुलिङ्ग' में वे चित्र हैं, जिन्हें हम नित्य देखते हुए भी नहीं देखते और जो हमारे सामाजिक अत्याचारों का नग्न प्रदर्शन कराते हैं। 'स्फुलिङ्ग' देख कर समाज के अत्याचार आपके नेत्रों के सामने सिनेमा के फ़िल्म के समान घूमने लगेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 'स्फुलिङ्ग' के दृश्य देख कर आपकी आत्मा काँप उठेगी, और हृदय? वह तो एक-बारगी चीत्कार कर मूर्च्छित हो जायगा। 'स्फुलिङ्ग' वह वैतालिक रागिनी है, जो आपके सदियों के सोए हुए मन-प्राणों पर थपकियाँ देगी। 'स्फुलिङ्ग' में प्रकाश की वह चमक है, जो आपके नेत्रों में भरे हुए घनीभूत अन्धकार को एकदम विनष्ट कर देगी।

'स्फुलिङ्ग' में कुशल-लेखक ने समाज में नित्य घटने वाली घटनाएँ कुछ ऐसे अनोखे ढङ्ग से अङ्कित की हैं, कि वे सजीव हो उठी हैं। इन्हें पढ़ने से ऐसा बोध होता है, जैसे हमारे नेत्रों के सामने दीनों पर पाशविक अत्याचार हो रहा हो तथा हमारे कानों में उनकी करुण चीत्कार-ध्वनि गूँज रही हो। भाषा में ओज, माधुर्य और करुणा की त्रिवेणी लहरा रही है। हमारा अनुरोध है, कि यदि आपके हृदय में अपने समाज तथा देश के प्रति कुछ भी कल्याण-कामना शेष है, तो आज ही 'स्फुलिङ्ग' की एक प्रति ख़रीद लीजिए। शीघ्रता कीजिए, नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी पड़ेगी!

महात्मा ईसा

ईसाई-धर्म के प्रवर्तक महापुरुष ईसा का उज्ज्वल चरित्र स्वर्ग की विभूति है, विश्व का गौरव है और मानव-जाति का पथ-प्रदर्शक है। इस पुस्तक में उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ तथा उनके अमृतमय उपदेशों का वर्णन बहुत ही सुन्दरतापूर्वक किया गया है। पुस्तक का एक-एक शब्द विश्व-प्रेम, स्वार्थ-त्याग एवं बलिदान के भावों से ओत-प्रोत है। किस प्रकार महात्मा ईसा ने कठिन से कठिन आपत्तियों का मुक़ाबला धैर्य के साथ किया, नाना प्रकार की भयङ्कर यातनाओं को हँसते हुए झेला एवं बलिदान के समय भी अपने शत्रुओं के प्रति उन्होंने कैसा प्रेम प्रदर्शित किया—इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिलेगा। केवल एक बार के पढ़ने से आपकी आत्मा में दिव्य-ज्योति उत्पन्न हो जायगी।

दुर्भाग्यवश आज महापुरुष ईसा का चरित्र साम्प्रदायिकता के सङ्कीर्ण वायु-मण्डल में सीमित हो रहा है। वह जिस रूप में साधारण जनता के सामने चित्रित किया जाता है, वह अलौकिक तो है, परन्तु आकर्षक नहीं। प्रस्तुत पुस्तक में सुयोग्य लेखक ने इन भावनाओं से भी दूर, ईसा के विशुद्ध चरित्र को चित्रण करने का प्रयास किया है।

पुस्तक की भाषा अत्यन्त मधुर, मुहावरेदार एवं ओजस्विनी है। भाव अत्यन्त उच्च कोटि के, सुन्दर और मँजे हुए; शैली अभिनव, आलोचनात्मक और मनोहारिणी; विषय चरम, चित्रण प्रथम श्रेणी का है। मूल्य २॥); स्थायी ग्राहकों से १॥।=)

ग्रह का फेर

यह बङ्गला के एक प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है। लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह में असावधानी करने से जो भयङ्कर परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें अङ्कित की गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस प्रकार ठुकराई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार ईसाई लोग अपने चङ्गुल में फँसाते हैं। पुस्तक पढ़ने से पाठकों को जो आनन्द आता है, वह अकथनीय है, साथ ही अनुवाद भी ऐसा है कि मूल-लेखक के भाव कहीं विनष्ट नहीं होने पाए हैं। छपाई-सफ़ाई सब सुन्दर होते हुए भी पुस्तक का मूल्य केवल ॥।) है।

मणिमाला

यह वह गल्प-गुच्छ है, जिसे हाथ में लेते ही आप आनन्द से गद्गद हो जायँगे! इसकी प्रत्येक कहानियाँ अमूल्य हैं। कहानियों में आप देखेंगे सामाजिक कुरीतियों का ताण्डव-नृत्य, बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, कन्या-विक्रय, दहेज, स्त्रियों का घरेलू कलह, वेश्या-गमन तथा पतिव्रत और पत्निव्रत आदि-आदि महत्वपूर्ण विषयों का मार्मिक तथा मनोरञ्जक वर्णन! प्रत्येक कुरीतियों का ऐसा नग्न-चित्र खींचा गया है तथा उनसे होने वाले अनर्थों का ऐसा हृदय-विदारक वर्णन किया गया है कि पढ़ते ही आपके रोंगटे खड़े हो जायँगे। इन विनाशक कुरीतियों ने आज हमें कितना पतित, कायर तथा अन्ध-भक्त बना दिया है कि इनके विरुद्ध सिर उठाने का हममें साहस ही नहीं रह गया है। अस्तु—प्रत्येक कहानी समाज की रङ्ग-भूमि है और उसमें उसका सारा मैल आपको जलता हुआ दिखाई देगा। कहीं-कहीं पर हास्य-रस का ऐसा प्रवाह मिलेगा कि पढ़ते ही आप लोट-पोट हो जायँगे। मूल्य केवल ३); स्थायी ग्राहकों से २।)

☞ व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

सरकारी गवाह कैसे गढ़े जाते हैं ??

प्रथम लाहौर कॉन्सपिरेसी केस के सरकारी गवाह ब्रह्मदत्त ने, जिस पर अपना बयान वापस लेने के कारण, मुक़दमा चलाया जा रहा है अदालत के सामने नीचे लिखा बयान दिया है :—

"मैं अपने गाँव महाराजपुर में, जो ज़िला कानपुर में है, २ मई को गिरफ़्तार हुआ था। दो महीने तक मुझे पुलीस ने क़ानून-विरुद्ध हवालात में रक्खा। उसके बाद मुझे उनकी इच्छानुसार बयान देने को मजबूर किया गया। पहले एक महीने तक जब मुझे लाहौर के पुराने क़िले में रक्खा गया था, ख़ुफ़िया पुलीस के अफ़सर लोग, जैसे सय्यद अहमदशाह डि० सु० पु०, ख़्वाजा ताजदीन इ० पु०, मुमताज हुसेन इ० पु०—आ-आ कर मुझे फुसलाते-समझाते और दबाते कि मैं इस षड्यन्त्र के मामले में गवाह बन जाऊँ, लेकिन मैं बराबर इन्कार करता। इसके पश्चात् मुझे अनारकली पुलीस स्टेशन में हटाया गया और फिर वहाँ से चारिङ्ग क्रॉस पुलीस स्टेशन में, जहाँ कि मैं ३० अगस्त, १९३० तक रहा और ख़ास अदालत के सामने बयान देने के लिए खड़ा किया गया।

हवालात में मैं अपनी बूढ़ी माँ और अत्यन्त वृद्ध पितामह की याद में रिहाई के लिए चिन्तित रहता, क्योंकि उनको मेरे सिवा और कोई न था, इसलिए उनका मेरी गिरफ़्तारी पर दुखी होना स्वाभाविक बात थी। पुलीस वालों ने मेरी इस चिन्तित अवस्था का अनुचित लाभ उठाया और यह समझ कर कि मैं उनके हाथ की अच्छी कठपुतली बन सकूँगा, मुझे सरकारी गवाह बनाने की फ़िक्र में लगे।

तीन अवस्थाएँ

भौतिक जगत में प्रत्येक चीज़ की तीन अवस्थाएँ होती हैं। पुलीस के लिए वह अवस्थाएँ हैं लालच देना, धमकाना और सताना। पुलीस एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर कैसे उतरती है, यह एक मनोरञ्जक बात है। जब मुझे कानपुर से लाहौर लाया गया तो ख़ुफ़िया पुलीस वाले स्वागत के लिए स्टेशन पर तैयार खड़े थे। क़िले पहुँचते ही मुझे नियाज़अहमद ख़ाँ डी० एस० पी० के कमरे में ले गए। मेरा चेहरा कपड़े से ढका था। सुपरिण्टेण्डेण्ट साहब ने मुँह से कपड़ा हटाने को कहा और बोले—"हम लोग, पञ्जाब के पुलीस अफ़सर, यू० पी० के पुलीस अफ़सरों की तरह नहीं हैं—वह तो निहायत ही बेईमान होते हैं।" इसके बाद कहने लगे कि "मैंने कई आदमियों को उनके बयान देने के बाद ही छोड़ दिया, क्योंकि कोई अपराधी ठहराने वाली बात मुझे नहीं मिली। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है, अगर अपना पूरा बयान दे दोगे तो मैं तुम्हें भी ज़ाती ज़मानत पर छोड़ दूँगा।" इतनी बात हो चुकने के बाद मुझे कोठरी में बन्द कर दिया गया। जब मैं अपनी कोठरी में पड़ा था, सय्यद अहमद शाह डी० एस० पी० मेरी तरफ़ होकर निकले। मुझे धरती पर लेटा हुआ देख कर हेड-कॉन्स्टेबिल और कॉन्स्टेबिल को झिड़क कर कहने लगे—"हरामज़ादो, तुम नहीं देखते कि यह कितना सीधा बाबू है। यह षड्यन्त्रकारी नहीं हो सकते, इनको बिस्तर और कम्बल दे दो।" वह मेरे पास आकर कहने लगे—"अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मिलेगी।" उन्होंने और दो सब-इन्स्पेक्टरों को मेरे पास बातचीत करने भेजा। इन सब-इन्स्पेक्टरों ने ख़ान नियाज़अहमद ख़ाँ को ईश्वर-भक्त कह कर उनकी बड़ी तारीफ़ की और कहा कि इन्होंने बहुत लोगों को छोड़ दिया है, हर एक आदमी पर वह दया करते हैं और अगर तुम अपना बयान दे दोगे, तो तुम्हें भी वह छोड़ देंगे। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी ख़ूब पड़ रही थी। सायङ्काल के समय शाहजी नाम के एक हेड-कॉन्स्टेबिल ने आकर मुझसे कहा कि तुम्हें ख़ाँ साहब ताज़ी हवा खाने के लिए ऊपर बुला रहे हैं। जब मैं ऊपर गया तो ख़ाँ साहब ने खड़े होकर मुझसे हाथ मिलाया और मुझे सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठने को कहा। इस समय वहाँ उनके और मेरे सिवा और कोई न था। इन्होंने अलिफ़लैला का हवाला देकर अपनी ख़ूब प्रशंसा की और मुझे फल और दूध खाने को दिया। फिर बातचीत होने लगी आपने मुझसे कहा कि तुम मुझसे अपना सारा क़िस्सा बतला दो, मैं उसे किसी दूसरे से न कहूँगा, बल्कि तुम्हारे छुड़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि तुम्हें देख कर मेरा हृदय विचलित हो उठा है। ऐसा अनेक दिनों तक होता रहा। मुझ पर इसका कुछ असर न हुआ, क्योंकि मैं कुछ जानता ही नहीं था। पाँच आदमी सरकारी गवाह बन चुके थे। ख़ुफ़िया वाले मुझे भी सरकारी गवाह बनाने की फ़िक्र में थे। कहने लगे कि देखो, देहली-षड्यन्त्र में दीनानाथ को १९,०००) दिया गया है। वह सरकारी गवाह बना था। ६,०००) रुपया और एक पिस्तौल देने का वादा जयगोपाल से है और चार-चार हज़ार रुपया दूसरे सरकारी गवाहों को मिलेंगे। आपको भी ४,०००) रुपया मिलेगा और बाद में इन्स्पेक्टर-पुलीस या तहसीलदार बना दिए जाओगे। देखो, ख़ानबहादुर अब्दुल अज़ीज़ जो चाहे कर सकते हैं। वह अपने कर्तव्य के यथावत पालन करने से सरकार के बड़े कृपा-पात्र हो गए हैं। अगर तुम सरकारी गवाह न बनोगे तो समझ लो कि पुलीस को सब ताक़त है, तुम्हें कई मुक़दमों में फँसा देगी, तुम्हारी जायदाद ज़ब्त करा लेगी। तुम्हारे घर में चोरी करा देगी।

अत्याचार का आरोप

जब पुलीस ने देखा कि लालच और धमकी की दोनों अवस्थाएँ निकल गईं, मुझ पर उनका कुछ भी असर न हुआ, तब उसने मुझे प्रतिहिंसा की धमकी दी और निर्लेप यातना पर तुल गई। कई दिन मुझे भोजन न दिया, कई रातों मुझे हथकड़ी डाल कर खड़ा रक्खा, क्षणभर भी आराम न करने दिया। सर्वोपरि यह किया कि मेरे मुँह पर प्रखर बिजली की रोशनी, मेरी आँखों के सामने करके, इस बात का ख़याल रखती—कि कहीं मैं तनिक भी आँखें तो नहीं झपकाता और जब कभी स्वतः आँख झपक जाती तो मुँह पर तमाचा लगाती। एक पुलीस का आदमी इस बात के लिए नियत कर दिया गया कि वह आँख झपकने पर मेरे तमाचा लगाता रहे। सोना तो एकदम असम्भव था, क्योंकि मुझे खड़ा रक्खा जाता था। इन सब अमानुषिक यातनाओं का फल यह हुआ कि मैं बीमार हो गया, आँखों में पीड़ा उत्पन्न हो गई और दृष्टि भी कमज़ोर पड़ गई। जब मेरी आँखें ज़्यादा ख़राब हुईं तब पुलीस को मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा और वह मुझे चक्षु-रोग निष्णात डॉक्टर के पास ले गई, जिसका नाम मुझे बाद में मालूम हुआ कि दौलतराम है। डॉक्टर से मेरा नाम सिकन्दरलाल, डी० ए० वी० कॉलेज का छात्र बतलाया गया। डॉक्टर ने देख कर, मेरी आँखों को कमज़ोर, बुरी दशा में, बतला कर मेरे लिए दवा और चश्मा तजवीज़ किया। जो चश्मा मैं लगा रहा हूँ वही चश्मा है। इसे मुझे पुलीस ने अपने ख़र्च से लाकर दिया था। जब मेरी आँखों की परीक्षा करने के लिए डॉक्टर मुझे अँधेरे कमरे में ले जाने लगा तो एक पुलीस के सिपाही ने भी मेरे साथ जाना चाहा, परन्तु डॉक्टर ने कहा कि अँधेरी कोठरी में बहुत कम जगह है और मुझे किसी की सहायता की दरकार नहीं, तब पुलीस का आदमी बाहर खड़ा रहा और मैं डॉक्टर के साथ अँधेरे कमरे में नेत्र-परीक्षा के लिए गया, अन्दर जाकर मैंने डॉक्टर से अपना असली नाम और पुलीस-कृत अत्याचारों को बतलाया। जिन दिनों पुलीस मुझे दारुण-यन्त्रणा दे रही थी, उन दिनों मुझे अपने नाते के भाई से नहीं मिलने दिया गया; यद्यपि जब मैं क़िले या अनारकली की हवालात में था, मुझे बराबर उससे मिलने दिया जाता था। कारण प्रकट है, पुलीस वाले डरते थे कि कहीं मेरे रिश्तेदारों के साथ मिलने-जुलने से या किसी अन्य बाहरी के प्रयोग से मुझे सरकारी गवाह बनाने वाली उनकी व्यवस्था ख़राब न हो जाय।

बयान रचा गया

इन लगातार यन्त्रणाओं से बचने के लिए, निर्बल व दुर्बल हो जाने के कारण, मैंने अपना विरुद्धाचरण छोड़ दिया। जान गया कि पुलीस सर्वशक्तिमान है और न्याय की कोई आशा नहीं। फिर भी मैंने दृढ़ विचार कर लिया था कि जब कभी वह मुझे बयान देने के लिए या माफ़ी दिलाने के लिए डिप्टी कमिश्नर के सामने ले जायँगे तो मैं उनके सामने माफ़ी लेने से इन्कार कर दूँगा। सरकारी गवाह बनने की मेरी मूक सम्मति पाकर, सी० आई० डी० के अफ़सरों ने मेरा एक ऐसा लम्बा बयान रच डाला, जिसकी कुछ थोड़ी सी बातों को छोड़ कर शेष सब मेरे लिए एक नई गाथा थी। पुलीस वालों ने यह भी कहा कि दूसरे सरकारी गवाहों के लिए भी ऐसा ही किया गया था। सब से अच्छी गवाही का सब से अच्छा इनाम मिलता है। इस बयान को मुझे कण्ठस्थ करने के लिए कहा गया। लाला मल्लिकराज मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने से पहले सय्यद मुहम्मद शाह और मलिक बरख़ुरदार ख़ाँ ने मेरे बयान को मुझसे कई बार सुना। यहाँ तक कि मैं पक्का पढ़ने वाला तोता बन गया। इस प्रकार गवाहों का पढ़ाना बहुत सामान्य बात है; ख़ासकर जब कि गवाह को अदालत में पेश कर के गवाही दिलानी होती है। जब मैं अदालत में गवाही देने के लिए पेश होने वाला था, मुझे रोज़ चारिङ्ग क्रॉस पुलीस स्टेशन से फ़ोर्ट जाना पड़ता था। दिन में सय्यद अहमद शाह डी० एस० पी०, मलिक बरख़ुरदार ख़ाँ सब-इन्स्पेक्टर, सिद्दीक़अली शाह इन्स्पेक्टर मुझे बयान याद कराया करते और मुझसे उसी बयान को बारम्बार सुनते। सायङ्काल में रायसाहब लाला गोपालदास सरकारी वकील उसी बयान के आधार पर मुझसे जिरह करते। रायसाहब ने मुझसे कहा था कि अदालत में जब तुम किसी प्रश्न का उत्तर न दे सको तो कह दिया करना कि 'मुझे याद नहीं है।' मैंने रायसाहब गोपालदास को इसी मुक़दमे के सरकारी गवाह ललितमोहन जी को भी सिखलाते देखा है।

गवाहों को बयान सिखलाते मैंने देखा

बहुत से झूठे गवाहों को गवाही देने के लिए मजबूर किया गया था। अक्टूबर, १९२९ में एक दिन मुझे उन कपड़ों के लेने के लिए फ़ोर्ट ले गए, जिन्हें मेरे लिए ख़ाँ साहब नियाज़ अहमद ख़ान ने तैयार कराया था। दिन ठण्डा था इसलिए मुझे नीचे ही धूप में एक कमरे के सामने बैठाल दिया। जिस कमरे के सामने मैं बैठाया गया था उसके भीतर एक सब-इन्स्पेक्टर किसी ग्रामीण को धमका कर यह कह रहा था कि तुम अदालत में

कहना कि जब 'मैं तहसील की दीवार के पीछे पेशाब कर रहा था, मुझे पिस्तौल के छूटने की आवाज़ सुन पड़ी। जब मैंने उठ कर देखा तो वास्तव में मिस्टर सॉण्डर्स पर सरदार भगतसिंह को गोली चलाते पाया, सब-इन्स्पेक्टर ने कहा कि अगर तुम यह गवाही न दोगे, तो तुम्हारी नम्बरदारी छीन ली जायगी और दफ़ा ११० में तुम्हारा चालान कर दिया जायगा। यह बात हो ही रही थी कि किसी ने सब-इन्स्पेक्टर को मेरी मौजूदगी की ख़बर दी। वह तुरन्त उस आदमी को अपने साथ ले, दूसरी राह से निकल गया।

पहचान की परेडें

अनेक झूठी शिनाख़्त की परेडें फ़ोर्ट में हुआ करती थीं। एक बार मुझे श्री० 'एम०' और श्री० कुन्दन लाल को पहचानने के लिए बुलाया गया, यद्यपि मैंने इनको पहले कभी नहीं देखा था। पुलीस अफ़सरों ने उनका पूरा ढाँचा और चेहरे की विशेष बातें बतला कर कहा कि तुम पहचान लेना। जब मैं कमरे में गया तो उन्हें न पहचान सका। इसी तरह पी० एन० घोष, मनमोहन और ललितकुमार तीनों सरकारी गवाहों ने अदालत में मेरी झूठी पहचान की। घोष और मनमोहन ने कहा कि मुझे उन्होंने दिल्ली वाली क्रान्तिकारियों की सभा में श्री पाँडे के साथ देखा था। ललितकुमार ने मुझे यह कह कर पहचाना कि मैं ही कानपुर से इलाहाबाद को मिस्टर सान्याल के लिए पत्र लेकर उनके पास गया था। सच तो यह है कि न मैं कभी दिल्ली में क्रान्तिकारियों की सभा में गया, न और कहीं, न मैं कभी इलाहाबाद पत्र वाहक बन कर गया। पुलीस के पास इन बयानों का कोई अनुमोदन नहीं है। यह पुलीस की नितान्त मनगढ़न्त है। उन्होंने मुझे क्रान्तिकारी-दल का आदमी सिद्ध करने के लिए यह बनावट की। क्योंकि बिना इसके मेरा बयान उनके लिए व्यर्थ हो जाता। इन लोगों ने मुझे अदालत में पहचान लिया, क्योंकि इन्होंने मुझे अनेक बार पहले क़िले में देखा था और यह पुलीस की पहले की सधी-सधाई बात थी।

सरकारी गवाहों को मेरी पहचान करा दी गई थी

लाहौर कॉङ्ग्रेस की बैठक के पहले, ललित के साक्षी होने के पश्चात मैं पण्डित श्रीकृष्ण की अदालत में पेश किया जाने वाला था। इसी कारण मुझे अपना बयान देने के लिए रोज़ फ़ोर्ट में बुलाया जाता था। पहले दिन जब मैं फ़ोर्ट पहुँच कर ऊपर की मञ्ज़िल में डी० एस० पी० सय्यद अहमद शाह के पास बैठा था, तो इन्स्पेक्टर ख़्वाजा ताजदीन और सब-इन्स्पेक्टर करीशाह भी पास ही थे। इसी समय डी० एस० पी० ने मेरे लिए कुछ मिठाई मँगवाई और पी०एन० घोष और मनमोहन को भी साथ में खाने के लिए बुलवाया। वे लोग बुलाने के अनुसार आ गए और हम लोगों के पास अनुमान आध घण्टे बैठे रहे और विभिन्न विषयों पर बातें होती रहीं, इसके बाद उन्होंने मुझे कई बार देखा था। दूसरे दिन मैं नीचे धूप में बैठा था, मेरे पास उपर्युक्त आदमियों के अतिरिक्त इन्स्पेक्टर सिद्दीक़अली शाह और सब-इन्स्पेक्टर बाख़ुरदार ख़ान थे। मैं अपने बयान की पुनरावृत्ति कर रहा था, तब ललितकुमार अदालत जाने के लिए तैयार होकर नीचे उतरा। लेकिन पुलीस की मोटर उस समय नहीं आई थी। इसलिए वह आकर मेरे पास मोटर की प्रतीक्षा में बैठ गया और मोटर आ जाने पर अदालत में गवाही देने गया। इसके उपरान्त भी उसने मुझे अनेक बार फ़ोर्ट में देखा था। इसलिए अगर उसने मुझे पहचान लिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह शिनाख़्त या पहचान का कैसा सुन्दर तमाशा है। इन तमाम बातों को दृष्टि में रख कर मैंने यह नतीजा निकाला कि किसी भी मुक़दमे में प्रतिवाद किया ही न जाय। पुलिस सर्व-शक्तिमान है, वह झूठे गवाह देती है, गवाहों को पढ़ा कर पेश करती है और झूठे पहिचान की परेडें कराती है। पुलिस जो चाहती है; करती है।

मैं निर्दोष हूँ

असली मुक़दमे में मेरे विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं था, मिस्टर सुरेन्द्रनाथ पाण्डे, जिन पर ऐसा दोषारोपण किया गया था, छोड़ दिए गए। मैं पुलिस को ललकार कर कहता हूँ कि वह मुझे मौलिक मामले में अपराधी सिद्ध करे। १२१ दफ़ा में तो चौदह वर्ष तक की सज़ा है, १९२ में तो ज़्यादा से ज़्यादा ७ साल की ही सज़ा है। किसी को झूठी गवाही में उसी पर अभियोग चलाया जाता है, जबकि मौलिक मामले में अपराध की सज़ा कम हो। वह जान-बूझ कर मुझ पर असली अपराध का मुक़दमा नहीं चला रहे थे, क्योंकि उनके पास मेरे विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है। उन्हें उन अपराधों का प्रमाण अदालत में देना चाहिए, जिनको मैं आरोप करने वाले के कहने के मुताबिक़ जानता हूँ और असली अपराध का ही मुझे दोषी निर्धारित करना चाहिए। अगर वह स्वतन्त्र प्रमाण दे सकते हैं—उन सरकारी गवाहों से नहीं, जिनके मुँह उन्होंने इन बातों को रख दिया है—तो मैं बिना प्रतिवाद किए ही अदालत जो दण्ड देगी उसे शिरोधार्य करूँगा। मेरे विचार में यह कदापि नहीं आया कि मुझे स्वेच्छा-विरुद्ध सरकारी गवाह बनने के अपराध में सज़ा दे देंगे।

अतः परमौलिक अभियोग में उस पर जो अपराध लगाए गए थे, उनका सङ्केत करने के पश्चात् अभियुक्त ने फिर कहना आरम्भ किया—लाला मलिकराज मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान है, उससे यह बात स्पष्ट प्रकट होती है कि बयान मेरा नहीं है बल्कि पुलिस ने बनाकर तय्यार किया है और उसे मुझे इसलिए याद कराया गया है कि मैं उसे मजिस्ट्रेट के सामने दोहरा दूँ। मैंने अभियोक्ता की इच्छानुसार अदालत के सामने झूठी गवाही नहीं दी। मुझ पर अभियोग चलाया जाता है। सत्य तो यह है कि सचाई को दण्ड दिलाने की तदबीर हो रही है। भगवन्! क्या इस चर-विभाग के उच्च अधिकारियों का ऐसा काम करना ईमानदारी है? क्या उनका यह सब उपर्युक्त काम न्यायसङ्गत है? इन सब बातों के देखते हुए क्या जो दण्ड सरदार भगतसिंह और उनके साथियों को दिया गया है, न्यायसङ्गत कहा जा सकता है? क्या अदालत के माननीय जजों का मेरे उस बयान को, जिसमें मुक़दमे की सच्ची घटनाओं का मैंने उल्लेख किया था और जेल से जिन बातों की शिकायत की थी, वह अदालत के सामने पेश होने पर पूरा-पूरा न लिखना, न्याय और सत्य से हटना नहीं है? जो बयान मैंने जेल से भेजा था, उसमें इस बात का सूक्ष्म विवरण था कि पुलीस ने किस तरह मुझे झूठा गवाह बनने के लिए मजबूर किया और मुझ पर कितने भारी अत्याचार किए, उसे सबूत में नहीं लिया गया।

क्षमा कैसे किया गया

भगवन्! अब मैं आप से कह देना चाहता हूँ कि क्यों मैंने लाला मलिकराज से अपनी सरकारी गवाह बनने की अनिच्छा प्रकट नहीं की, न यह कहा कि मेरा सम्बन्ध क्रान्तिकारियों से कुछ भी नहीं है और क्यों मैं डिपुटी कमिश्नर के सामने सच-सच बात नहीं कह सका। मैं जानता था कि उन दिनों मिस्टर 'एकिल' लाहौर के डिपुटी कमिश्नर थे, क्योंकि उनके सामने एक बार मुझे रिमाण्ड लेने के लिए पहले पेश किया गया था। मुझे मिस्टर 'एकिल के सामने ले जाने के बदले किसी दूसरे अफ़सर को दिखलाया गया, जिसे मैंने उस वक्त पुलीस-अफ़सर समझा था। वहाँ से लौटने पर पुलीस ने मुझे बतलाया कि ऐडीशनल डिपुटी मैजिस्ट्रेट ने मुझे माफ़ी दे दी। इसलिए मैं उनसे कुछ न कह सका। मैंने मिस्टर 'लेविस' ए० डी० एम० को कभी नहीं देखा, न मुझे उनकी कोर्ट में कभी ले जाया गया, न मुझसे उनसे कभी बात हुई। अगर मुझे मिस्टर 'लेविस' के पास क्षमा दिलाने के लिए ले जाते और वह मुझसे स्पष्टतया बतलाते कि मुझे सब बात सत्य-सत्य कहनी होगी, तो मैं निश्चय ही उनसे कहता कि किस तरह पुलीस मुझे अपनी इच्छा के अनुसार गवाही देने को ज़ोर डाल रही है और मैं नहीं चाहता। वास्तव में मैंने क्षमा स्वीकार ही नहीं की।

उसी दिन या उसके दूसरे दिन मुझे मिस्टर मलिकराज मैजिस्ट्रेट के सामने मेरा बयान लिखाने ले गए। जो सब-इन्स्पेक्टर मुझे ले गया था, उसने मुझसे कहा कि वह मैजिस्ट्रेट का रिश्तेदार है। मैं डर गया और समझा कि अगर मैं अपना बयान न लिखाऊँगा तो मैजिस्ट्रेट सब-इन्स्पेक्टर का नातेदार होने के कारण, मुझे जुडीशल हवालात में न भेज कर फिर पुलीस के हवाले कर देगा और वहाँ मुझे अनेक प्रकार की यातनाएँ भोगनी पड़ेंगी। यही कारण हैं, जिनसे प्रेरित होकर मैंने पुलीस के तैयार किए हुए बयान को अपना बयान कह कर लिखाया।

पुलिस का सरकारी गवाह पर सन्देह

यद्यपि मैंने अपना बयान दे दिया था, फिर भी पुलिस को सन्देह था कि मैं अपना बयान वापस कर लूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे अदालत के सामने सच्ची गाथा कह देने के लिए धोखा दिया था। इसीलिए उन्होंने मुझे पण्डित श्रीकृष्ण के सामने नहीं पेश किया, यद्यपि दूसरे पाँच सरकारी गवाहों की साक्षी हो चुकी थी, लेकिन मेरी पेशी २० अगस्त सन् १९३० तक रोक रक्खी गई। अदालत (ट्रिब्यूनल) के सामने भी मुझे सबके बाद पेश किया गया था। यह बात पुलीस ने जान-बूझ कर की थी कि कहीं ऐसा न हो कि दूसरे सरकारी गवाह भी अपने बयान वापस कर लें। जब मुझे अदालत के सामने पेश किया गया, तो मैंने सब सच-सच कह दिया, क्योंकि तभी मैं अदालत के सामने पहुँचा था और तभी उससे इस बात की प्रार्थना कर सकता था कि मुझे पुलीस की हवालात से हटाकर जुडीशल हवालात में रक्खा जाय और मेरी रक्षा की जाय। मैं क्षमा की शर्त तोड़ने का दोषी होता और ईश्वर और मनुष्य दोनों के सामने अपराधी ठहरता, अगर मैं उसी बयान पर अड़ा रहता, जो मैंने अत्याचार से दब कर लाला मलिकराज मैजिस्ट्रेट के सामने दिया था। मिस्टर मलिकराज ने ६ बजे सायङ्काल में मेरा बयान पुलीस की इच्छा के अनुसार लिख कर मेरे भय को परिपुष्ट कर दिया, इसके बाद उन्होंने मुझसे पुलीस के सिखलाए बयानों की कई बातों पर जिरह की, जिसके लिए मैं निस्सन्देह ज़िम्मेवार नहीं हो सकता। फिर मैजिस्ट्रेट ने मुझे पुलीस सब-इन्स्पेक्टर के हवाले कर दिया, साथ ही उसे दोनों बयान दे दिए। उनमें एक तो वह था, जो पुलीस से उन्हें मिला था, जिसके आधार पर उन्होंने जिरह की थी और दूसरा वह था, जो इन्होंने स्वयम् लिखा था। भगवन्! अब आप को ज्ञात होगा कि मैं लगातार अदालत के सामने आने तक भयभीत रहा। अदालत में मैंने तीन जज बैठे देखे, उन्होंने मुझसे निर्भय होकर सत्य बोलने को कहा और श्रीमन्! मैंने ऐसा ही किया। अब मुझे दण्ड देना सत्य

(शेष मैटर २९वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

लाहौर षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

ता० ६ अगस्त को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त सुखदेवराज के अन्य क़ैदियों के साथ रहने के सम्बन्ध में फिर बहस हुई।

अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि अभियुक्त सुखदेवराज को षड्यन्त्र केस के अन्य अभियुक्तों के साथ रहने की इजाज़त देने में क्या हानि है?

सरकारी वकील ने कहा कि मैं गवर्नमेण्ट की आशङ्काओं को नहीं बतला सकता, परन्तु यह कह सकता हूँ कि अभियुक्त सुखदेवराज को अन्य अभियुक्तों से अलग रखना जेल की विनयन की रक्षा के लिए आवश्यक है। जेल-मैनुअल के ६८ और ६९ पैरा का हवाला देते हुए, आपने कहा कि सुपरि०टे०डेण्ट इस प्रकार की आज्ञा दे सकता है। आपने कहा कि जेल स्वतन्त्र व्यक्ति का मकान नहीं है। क़ैदियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है।

सुखदेवराज अपने साथी क्रान्तिकारियों के साथ रहने की आवश्यकता पेश कर सकते हैं, परन्तु जेल के विनयन की दृष्टि से उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती।

साथ रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि साथ रहने वालों की रुचियों में समानता हो। यह आवश्यक नहीं है कि अच्छी श्रेणी के विचाराधीन क़ैदी केवल अच्छी ही श्रेणी के क़ैदियों के साथ रक्खे जायँ।

अभियुक्त सुखदेवराज ने सरकारी वकील की बहस का उत्तर देते हुए कहा कि सरकारी वकील ने जेल-मैनुअल के ६८ और ६९ पैराग्राफ़ों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह ठीक नहीं है। सुपरिण्टेण्डेण्ट उन पैराग्राफ़ों के अनुसार तब तक कोई हुक्म नहीं निकाल सकते, जब तक कि उस हुक्म का जेल-मैनुअल की अन्य दफ़ाओं से सामञ्जस्य न हो।

गवर्नमेण्ट की आशङ्का के प्रश्न के सम्बन्ध में अभियुक्त सुखदेवराज ने कहा कि जब तक सरकारी वकील उस विषय में पूरी बात अदालत के सामने न पेश कर दें, तब तक अदालत का कर्तव्य है कि वह सरकारी वकील की कही हुई बातों पर कोई ध्यान न दे। गवर्नमेण्ट को स्पष्ट होकर सामने आना चाहिए और उन सब बातों को अदालत के सामने प्रकट कर देना चाहिए जो कि उसके पास हों। अभियुक्त सुखदेवराज ने कहा कि मैं जीवन में प्रथम बार सेण्ट्रल जेल में लाया गया हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे विरुद्ध जेल के विनयन भङ्ग होने की आशङ्का किस आधार पर की जा रही है। सरकारी वकील ने अदालत से कहा है कि अभियुक्त सुखदेवराज को क्रान्तिकारी साथियों के साथ रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यह बात स्पष्ट है कि राजनीतिक कारणों से हम लोग साथ रहने की बात नहीं सोचते। मैं राजनीतिक कारणों के आधार पर किसी सुविधा की प्रार्थना नहीं करता। मेरा कहना यह है कि गवर्नमेण्ट ऐसे कारणों के आधार पर हुक्म निकाल रही है जो कि उसके उपयुक्त नहीं हैं। सुखदेवराज ने गवर्नमेण्ट के बनाए नियमों का हवाला देकर यह दिखलाया कि साथ रहने का अर्थ यह है कि साथियों में रुचि की समानता हो। साथ रहने वालों में परस्पर साथ रहने की इच्छा हो। जो तीन 'सी' क्लास के विचाराधीन क़ैदी मेरे साथ रोज़ रहने के लिए भेजे जाते हैं, वे मेरे पास आने से इन्कार कर सकते हैं। सम्भव है वे मेरा साथ न चाहते हों।

अभियुक्त सुखदेवराज ने कहा कि सरकारी वकील ने कई दिन तक अदालत की कार्रवाई स्थगित रहने के बाद, अदालत के सामने आज जो बात बतलाई है वह कोई विशेष बात नहीं है। वास्तव में गवर्नमेण्ट ने इस विषय में कुछ बतलाने से इन्कार कर दिया है। यही बात हाईकोर्ट के सामने और इस अदालत के सामने आज से बहुत दिन पहले कही जा चुकी है। उस बात के कहने पर भी हाईकोर्ट ने और स्पेशल ट्रिब्यूनल ने अपने फ़ैसलों में अभियुक्त की हिरासत ग़ैर-क़ानूनी बतलाया था।

प्रेज़िडेण्ट ने सुखदेवराज से पूछा कि क्या तुम 'सी' क्लास के विचाराधीन क़ैदियों के साथ रहना स्वीकार करोगे?

सुखदेवराज ने कहा कि यह बात पहले की अपेक्षा क़ानून के अधिक अनुकूल मालूम होती है।

अदालत से मेरी प्रार्थना है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं बोर्स्टल जेल में भेज दिया जा सकता हूँ, जहाँ अच्छी श्रेणी के विचाराधीन क़ैदी मिल सकते हैं।

अदालत ने फ़ैसला स्थगित रक्खा है।

ता० ७ अगस्त को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त सुखदेवराज के मामले में सबूत-पक्ष की ओर से गवाहों की गवाहियाँ हुईं।

अभियुक्त सुखदेवराज ने सबूत की ओर के गवाह शेख़ मोहम्मदरशीद मैजिस्ट्रेट से जिरह की, अभियुक्त ने अदालत से कहा कि—"मैं यह दिखलाना चाहता हूँ कि ऐसे भी मैजिस्ट्रेट हैं जो सरकार के हाथ के अस्त्र हैं और वे उसके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। उपस्थित गवाह वैसे ही मैजिस्ट्रेटों में एक हैं।" मैजिस्ट्रेट की गवाही दो मिनट में समाप्त हो गई थी, परन्तु जिरह में आधा घण्टा से अधिक लग गया।

अदालत की कार्रवाई के प्रारम्भ होने पर पहले स्पेशल ट्रिब्यूनल ने अभियुक्त सुखदेवराज की उस अर्ज़ी पर फ़ैसला सुनाया। जिसमें अभियुक्त सुखदेवराज को अच्छी श्रेणी के क़ैदियों के साथ रहने की आज्ञा देने की प्रार्थना की गई थी। फ़ैसला इस प्रकार था :—

"अभियुक्त सुखदेवराज ने एक अर्ज़ी पेश की है, जिसमें कहा है कि ट्रिब्यूनल के २० जुलाई के हुक्म के पालन करने के लिए जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट ने मेरी ग़ैर-क़ानूनी हिरासत के सम्बन्ध में जो उपाय ग्रहण किए हैं, वे ग़ैर-क़ानूनी हैं। अभियुक्त ने प्रार्थना की है कि या तो मुझे अच्छी श्रेणी के क़ैदियों के साथ रहने की आज्ञा दी जाय या ज़मानत पर छोड़ दिया जाय।

"हम लोगों ने अभियुक्त और सरकार दोनों ओर की बहस सुन ली है। हमारी राय में जेल-अधिकारियों की कार्रवाई जेल के किसी क़ानून के किसी नियम के विरुद्ध नहीं है। न्याय की दृष्टि से कुछ कहा जा सकता है कि जेल-अधिकारियों ने जिस ढङ्ग से क़ानून का पालन किया है, वह शाब्दिक अधिक है। परन्तु २० जुलाई के हुक्म के अनुसार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त की हिरासत केवल क़ानून के शब्दों के अनुसार ग़ैर-क़ानूनी थी। वास्तव में परिस्थितियों के अनुसार उसमें कोई विशेष कठिनाई नहीं थी। इस वक़्त अभियुक्त की स्थिति पहले से अच्छी हो गई है, क्योंकि जेल में अब वह षड्यन्त्र के अन्य अभियुक्तों से सप्ताह में क़रीब चार बार मिल सकता है।

दो मुख्य बातें

"अभियुक्त की ओर से दो मुख्य बातें कही गई हैं। पहली बात यह है कि अभियुक्त को अच्छी श्रेणी के क़ैदियों के साथ रहने का अधिकार है। दूसरी बात यह है कि अभियुक्त के रहने के स्थान पर प्रतिदिन कुछ साधारण क़ैदियों को साथ रहने के लिए ले आने से क़ानून के अनुसार साथ रहने की पूर्ति नहीं होती। अभियुक्त का दावा है कि उसे चौबीस घण्टा स्वतन्त्र और अबाधित साथ रहने का अधिकार होना चाहिए।

"दूसरी बात से हम असहमत हैं। जेल-मैनुअल के ५७७ नियम के अनुसार यह स्पष्ट है कि साधारणतया क़ैदी सूर्यास्त से सूर्योदय तक अपनी कोठरियों या बैरकों में बन्द रक्खे जाते हैं। इस वक़्त के बीच में एकान्त कोठरियों में रहने वाले क़ैदी स्वभावतः अकेले रहते हैं। अभियुक्त किसी भी विचाराधीन क़ैदी के साथ रहने के लिए दावा नहीं पेश कर सकता। ऐसा असम्भव होगा, क्योंकि मुझे ख़बर मिली है कि तीन बैरकों में ५०० विचाराधीन क़ैदी हैं। हमारी राय में यह मानते हुए भी कि साधारण विचाराधीन क़ैदियों के साथ रहना क़ानून से उचित है। अभियुक्त के रहने के स्थान पर तीन-चार क़ैदियों को उसके साथ सूर्योदय से सन्ध्या तक रहने के लिए भेज देने का नियम ग़ैर-क़ानूनी नहीं है। इस सम्बन्ध में अभियुक्त की अर्ज़ी में ३रे पैराग्राफ़ में लिखी बातों का सरकारी वकील ने ज़िक्र किया है, जिनको अभियुक्त ने स्वीकार किया है कि वे सुनी हुई बातें हैं और उन हुक्मों को व्यावहारिक रूप नहीं दिया गया।

"अब हम अभियुक्त की पहली बात पर विचार करते हैं। प्रिज़न ऐक्ट की ६० दफ़ा के अनुसार बने हुए विशेष नियमों की दफ़ा दो के आधार पर अभियुक्त ने कहा है कि मेरी हैसियत 'ए' क्लास के क़ैदियों की है। हम इस बात को निश्चित रूप से मानने के लिए तैयार नहीं हैं, परन्तु बहस के लिए माने लेते हैं। अभियुक्त का कहना है कि मैं दूसरे क़ैदियों से अलग, परन्तु अपनी श्रेणी के क़ैदियों के साथ रक्खा जाऊँ। इसका अर्थ यह है कि अभियुक्त एकान्त कोठरी में अच्छी श्रेणी के क़ैदियों के साथ रहना चाहता है। सेण्ट्रल जेल में अच्छी श्रेणी के क़ैदी केवल इस षड्यन्त्र केस के क़ैदी हैं। इसका अर्थ यह है कि अभियुक्त उनके साथ रहे।

"परन्तु जेलों के इन्स्पेक्टर-जनरल ने जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट के उस हुक्म को बदल दिया है, जिसके अनुसार अभियुक्त को अन्य क़ैदियों के साथ रहने की इजाज़त मिल गई थी। जेलों के इन्स्पेक्टर-जेनरल ने हुक्म दिया है कि अभियुक्त सुखदेवराज उनसे अलग रक्खा जाय। अगर यह हुक्म ठीक है तो अभियुक्त के लिए जेल में अच्छी श्रेणी के क़ैदियों का प्रश्न ही नहीं रहता। ग़ैर-क़ानूनी हिरासत से बचाने के लिए अभियुक्त को साधारण विचाराधीन क़ैदियों के साथ रहने की इजाज़त रहनी चाहिए।

(२८वें पृष्ठ का शेषांश)

बोलने के लिए दण्ड देना होगा और मैं समझता हूँ, क़ानून का यह मन्तव्य नहीं है।

जो बयान मुझसे पुलीस दिलवाना चाहती थी, वह दो आदमियों के विरुद्ध होता था अर्थात् विजयकुमार सिंह और सुरेन्द्र पाण्डे। सरकारी वकील ने अदालत के सामने बयान किया था कि सुरेन्द्र पाण्डे के विरुद्ध मेरे पास और कोई प्रमाण नहीं है और पाण्डे बरी किया गया। इनके छूटने के समय तक मेरा बयान नहीं हुआ था। इससे भी ज़ाहिर है कि अभियोक्ता-पक्ष को स्वयम् मेरे बयानों पर भरोसा न था।"

❀ ❀ ❀

इन्स्पेक्टर-जनरल का हुक्म

"हम नहीं समझते कि इन्स्पेक्टर-जनरल के हुक्म का विरोध करना कहाँ तक क़ानून की दृष्टि से उचित हो सकता है। सरकार की ओर से कहा गया है कि ऐसे निश्चित कारण मौजूद हैं, जिनसे सन्देह होता है कि अभियुक्त सुखदेवराज को अन्य अभियुक्तों के साथ रखने से जेल का विनयन भङ्ग होने की आशङ्का है। हमें इस बात से मतलब नहीं है, कि सरकार उन कारणों को या जहाँ से वे मालूम हुए हैं, उन ज़रियों को बतलाना नहीं चाहती। अभियुक्त-पक्ष की ओर से ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है, जिससे सरकारी वकील के इस कथन में कि इन्स्पेक्टर-जनरल ने जो कुछ किया है वह क़ानून के अनुसार किया है, हम कोई सन्देह कर सकें। मैनुअल के ६८ नियम में "आवश्यक और उपयुक्त" शब्द लिखे हुए हैं। उन शब्दों का तात्पर्य यह है कि जिस अधिकारी ने हुक्म निकाला हो उसकी दृष्टि में वह आवश्यक और उपयुक्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और दूसरा उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं हो सकता। हमारी राय में जेल-अधिकारी द्वारा निकाले गए हुक्म में अदालत तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि यह न प्रमाणित कर दिया जाय कि वह हुक्म अधिकारी ने मन की तरङ्ग में आकर निकाल दिया है या उस हुक्म को उसने अपनी सम्मति से नहीं निकाला। यह बात इस मामले में प्रमाणित नहीं की गई। हम समझते हैं कि सरकार ने जिन कारणों से अभियुक्त को अन्य अभियुक्तों से अलग रक्खा है, उनको प्रकट करने के लिए ज़ोर देने और उनके आधार पर यह निर्णय करने से कि अधिकारी के सामने हुक्म निकालने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ मौजूद थीं या नहीं, कोई मतलब न सिद्ध होगा। वैसा करने का तात्पर्य यह होगा कि इस अदालत की सम्मति में उस हुक्म का निकालना आवश्यक नहीं था। परन्तु अधिकारी को अपनी सम्मति के अनुसार हुक्म निकालने का अधिकार है, अदालत की सम्मति के अनुसार नहीं। किसी भी अदालत को ऐसे हुक्म को केवल इस कारण से नामञ्ज़ूर कर देना चाहिए कि यदि उसे सरकार की ओर के कारण मालूम होते तो उसने उस हुक्म का निकालना उचित न समझा होता।

क़ानूनन् उचित है

"इसलिए हमारे पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इन्स्पेक्टर-जनरल ने सरकार की ओर के कारणों के जाने बिना हुक्म निकाल दिया है या उन्होंने ६८ नियम के अनुसार हुक्म निकालना आवश्यक नहीं समझा। हम इन्स्पेक्टर-जनरल के हुक्म को क़ानूनन् उचित समझते हैं। विशेषकर ऐसी परिस्थिति में जब कि यह नहीं प्रमाणित किया गया कि वह किस क़ानून के विरुद्ध है।

"इसलिए हमारा निर्णय है कि जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट ने हमारे २१ जुलाई के हुक्म को जिस तरह से पालन किया है, वह किसी प्रकार ग़ैर-क़ानूनी नहीं है और पहले क़ानून के शब्दों के अनुसार जो ग़ैर-क़ानूनीपन था, वह भी दूर कर दिया जा चुका है।

"निस्सन्देह अभियुक्त के अन्य अभियुक्तों के साथ रखने के लिए अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए वह साधारण विचाराधीन क़ैदियों के बैरक में रक्खा जा सकता है, परन्तु यह देखते हुए कि जो उपाय ग्रहण किया गया है उसमें कोई ग़ैर-क़ानूनीपन नहीं है, हमें कोई आदेश देने का अधिकार नहीं है।

"ज़मानत के विषय में ज़ोर नहीं दिया गया। हम ज़मानत के लिए कोई कारण नहीं देखते।

"इसलिए हम अर्ज़ी नामञ्ज़ूर करते हैं।"

अर्ज़ी पर फ़ैसला सुना देने के बाद ट्रिब्यूनल ने सबूत के गवाहों की गवाहियाँ दर्ज करना प्रारम्भ किया।

सनातन-धर्म कॉलेज के प्रोफ़ेसर कैलाशनाथ की गवाही के बाद लाहौर के फ़र्स्ट क्लास के मैजिस्ट्रेट मि० मोहम्मदरशीद ने कहा कि १६ मई, सन् १९३१ को एडिशनल मैजिस्ट्रेट ने मुझे अभियुक्त सुखदेवराज की शनाख़्त की कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। लाहौर के कर्तारसिंह ने अभियुक्त की शनाख़्त की थी और कहा था कि मैंने अभियुक्त को मुख़बिर इन्द्रपाल के यहाँ आते हुए देखा था।

जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि शनाख़्त के लिए मुझे एडिशनल मैजिस्ट्रेट के पास से टेलीफ़ोन से ख़बर मिली थी या लिखा हुआ हुक्म मिला था। अगर टेलीफ़ोन से ख़बर मिली होगी तो या तो मैं अदालत में रहा हूँगा या घर से लाहौर फ़ोर्ट चला गया हूँगा। शनाख़्त की परेड के पहले मैंने अभियुक्त के पास शनाख़्त के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं भेजी थी। मैं यह नहीं कह सकता कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एडिशनल मैजिस्ट्रेट ने ऐसी कोई सूचना भेजी थी या नहीं। मुझे यह मालूम नहीं कि अभियुक्त ने शनाख़्त के समय अपने वकील की उपस्थिति के लिए प्रार्थना की थी। अगर अभियुक्त ने ऐसी प्रार्थना की होती तो यह सम्भव नहीं है कि मैंने उसे नामञ्ज़ूर कर दिया होता।

गवाह ने कहा कि जिन व्यक्तियों के साथ अभियुक्त मिला दिया गया था वे बाद में लाए गए थे। मैंने उन व्यक्तियों और पुलीस के आदमियों के बीच बातचीत रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया। मैं कह नहीं सकता कि उन व्यक्तियों के भी अभियुक्त की तरह छोटी-छोटी मूँछें और दाढ़ियाँ थीं या नहीं।

गवाह ने कहा कि लाहौर में उसी कमरे में मैंने पुलीस को अभियुक्त की हिरासत के लिए १५ दिन की मोहलत दी थी। गवाह ने कहा कि मुझे वह केस नहीं मालूम, जिसमें मैंने अभियुक्त को पुलीस की हिरासत में रखने के लिए मोहलत दी थी। अभियुक्त के यह बतलाने पर कि वह केस ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा ३०७ और आर्म्स-ऐक्ट का था। गवाह को केस की याद आ गई। गवाह ने कहा कि एक सी० आई० डी० अफ़सर के साथ मैं अभियुक्त की कोठरी में मोहलत देने के लिए गया था।

दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस की सुनवाई आज ता० १० अगस्त को स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने फिर पेश हुई।

अभियुक्तों की ओर से मि० श्यामलाल ने अदालत से कहा कि अभियुक्तों को जेल में अर्ज़ी लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती। इसलिए उन्हें अदालत में लिखने की इजाज़त दी जाय। अदालत ने इजाज़त दे दी।

अभियुक्तों ने अदालत से यह भी शिकायत की कि हम लोग कोठरियों में बन्द कर दिए गए हैं और सफ़ाई देने की सम्पूर्ण सुविधाएँ हटा ली गई हैं।

इस पर ट्रिब्यूनल ने जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को लिखा कि जहाँ तक सम्भव हो, अभियुक्तों को सफ़ाई की सुविधा देनी चाहिए।

इसके बाद अभियुक्तों ने जेल की शिकायतों के सम्बन्ध में शपथ-पत्र पेश किए। अर्ज़ी पहले ही दी जा चुकी थी। अदालत ने सरकारी वकील को सूचना देते हुए अर्ज़ी पर बहस करने के लिए ता० १५ अगस्त नियत की।

भागराम ने बीमार होने के कारण अपनी तरफ़ से पैरवी के लिए किसी को नियुक्त करने से इन्कार कर दिया और अपने लिए उपयुक्त रीति से औषधि के प्रबन्ध करने के लिए प्रार्थना की।

इसके बाद डॉक्टरी के विशेषज्ञों की रिपोर्ट का विरोध किया गया। अभियुक्त-पक्ष ने अदालत से कहा कि भागराम का एक पैर और एक हाथ लक़वे के कारण बेकाम हो गया है, ऐसी हालत में यह नहीं कहा जा सकता कि भागराम बीमार नहीं है। भागराम की डॉक्टरी-परीक्षा किसी दूसरे डॉक्टरी के विशेषज्ञ से कराई जाय।

निश्चय हुआ कि अभियुक्त की जाँच करने के लिए डॉ० निहालचन्द सीकरी नियुक्त किए जायँ।

इसके बाद सरकारी वकील से जाँच के लिए इजाज़त प्राप्त करने के लिए कहा गया। अभियुक्त भागराम की अनुपस्थिति में मामले की कार्रवाई प्रारम्भ न हो सकने के कारण ता० १५ अगस्त के लिए अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

ता० १० अगस्त को सय्यद बशीर हैदर मैजिस्ट्रेट के सामने दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्त भागराम का मामला पेश हुआ। अनशन करने के अपराध में अभियुक्त भागराम के विरुद्ध सेण्ट्रल जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट मेजर एम० डो० सोंधी ने प्रिज़न एक्ट की दफ़ा ५२ के अनुसार यह मामला चलाया है।

जबकि मैजिस्ट्रेट रायबहादुर पण्डित ज्वालाप्रसाद और सी० आई० डी० के डी० एस० पी० सरदार प्रतापसिंह मेजर सोंधी से बातचीत करने में लगे हुए थे, उसी समय सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल, अमोलकराम कपूर और अमरनाथ मेहता भागराम से मुलाक़ात कर रहे थे। मामले की कार्रवाई डिप्टी-सुपरिण्टेण्डेण्ट के कमरे में प्रारम्भ हुई।

प्रारम्भ में अभियुक्त-पक्ष ने क़ानून का हवाला देते हुए कहा कि मैजिस्ट्रेट प्रान्तीय गवर्नमेण्ट की आज्ञा के बिना जेल के अन्दर अदालत की कार्रवाई नहीं प्रारम्भ कर सकता।

सरकारी वकील ने कहा कि यह बात ठीक है, परन्तु डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछना चाहिए कि इस प्रकार की कोई आज्ञा आई है या नहीं।

इसी समय मेजर सोंधी अदालत से चले गए और कुछ मिनटों के बाद वापस आ गए, आपने मैजिस्ट्रेट से कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने टेलीफ़ोन से आवश्यक इजाज़त दे दी है।

मि० अमोलकराम कपूर ने कहा कि मेजर सोंधी द्वारा लाई गई टेलीफ़ोन की ख़बर प्रान्तीय गवर्नमेण्ट की उपयुक्त और क़ानूनी आज्ञा नहीं है।

मैजिस्ट्रेट ने कहा कि यह बिल्कुल काफ़ी है।

इस पर सफ़ाई के वकील ने एक अर्ज़ी पेश की, जिसमें इस प्रकार से प्राप्त प्रान्तीय गवर्नमेण्ट की आज्ञा के औचित्य का विरोध किया गया और टेलीफ़ोन द्वारा उपरोक्त आज्ञा के सम्बन्ध में मेजर सोंधी से शपथ लेकर गवाही देने के लिए कहा गया। यह भी कहा गया कि मि० सोंधी से शपथ लेकर पूछा जाय कि अभियुक्त अदालत में हाज़िर होने लायक़ है या नहीं।

(क्रमशः)

दिल्ली षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

ता० ३० जुलाई को दिल्ली षड्यन्त्र केस में मि० बोस की जिरह के उत्तर में मुख़बिर कैलाशपति ने कहा कि मैं दिल्ली से कानपुर जनवरी के तीसरे सप्ताह में गया था। आज़ाद रामसिंह के मकान पर आए थे और मुझे सिविल अस्पताल ले गए थे। वहाँ मैं हामिद के कमरे में पहुँचाया गया था। आज़ाद ने हामिद को वीरभद्र तिवारी को लाने के लिए भेजा। वे आधा घण्टा में आ गए। मैंने तिवारी से लाहौर कॉङ्ग्रेस और प्रतुल गाङ्गुली के विषय में बातचीत की। वीरभद्र तिवारी ने हामिद को कुछ पर्चे लाने के लिए भेजा, जोकि वह पन्द्रह या बीस मिनट में ले आया। तिवारी ने कहा था कि हामिद दल में कार्य कर रहा है। किसी ने हामिद से मेरा परिचय नहीं कराया था। मुझे मालूम है कि हामिद गिरफ़्तार करके दिल्ली लाया गया था। मैं लाहौर फ़ोर्ट में उसकी शनाख़्त करने के लिए गया था। मैं उस समय फ़ोर्ट में बैरक में रहता था।

मुख़बिर ने कहा कि असली घी-स्टोर्स के मालिक चम्पालाल और जोतीप्रसाद दो भाई मेरे परिचित थे। मैं अपने पत्र आदि हमेशा असली घी-स्टोर्स के पते पर मँगाया करता था। चम्पालाल मेरा असली नाम नहीं जानता था। वह मुझे शीतल के नाम से जानता था।

इसी बीच में रुद्रदत्त ने कहा—लाला शङ्करलाल को मालूम था, जिन्होंने तुम्हें अपने दफ़्तर से निकाल दिया था।

इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि मैं जोतीप्रसाद से भारत की स्वाधीनता सरीखे साधारण राजनीतिक प्रश्नों पर बातचीत किया करता था। मैं और जोतीप्रसाद इस बात में सहमत थे कि हिन्दुस्तान को स्वाधीन होना चाहिए। एप्रिल, मई या जून, सन् १९३० में मैंने जोतीप्रसाद से षड्यन्त्र सम्बन्धी बातें की थीं। दोनों इस बात से सहमत थे कि हिन्दुस्तान को क्रान्तिकारी उपायों से स्वतन्त्र करना चाहिए। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने उनसे दिल्ली में षड्यन्त्रकारी दल होने की बात कही थी या नहीं, परन्तु जोतीप्रसाद षड्यन्त्रकारी दल होने की बात जानते थे। मैं जोतीप्रसाद से दल की बातें किया करता था, परन्तु उन्हें दल के रहस्य कभी नहीं बतलाए। जोतीप्रसाद सदस्यों के नाम नहीं जानते थे, परन्तु वे यह जानते थे कि मैं दिल्ली के दल का प्रधान हूँ।

प्र०—क्या यह बतलाना दल के नियमों के विरुद्ध नहीं है और क्या यह गुप्त बात नहीं है ?

उ०—यह दल के विरुद्ध है, परन्तु यह बात मैंने नहीं बतलाई थी। मेरा ख़्याल है कि यह बात विमल ने जोतीप्रसाद से बतलाई होगी।

गाडोदिया स्टोर की डकैती

भवानीसिंह, भवानीसहाय, आज़ाद, हज़ारीलाल, काशीराम, एन० के० निगम, विमलप्रसाद जैन और सम्भवतः कुछ अन्य सदस्य जोतीप्रसाद को जानते थे। जोतीप्रसाद उनको हमारे दल के सदस्य होने का सन्देह करते थे। जोतीप्रसाद गाडोदिया स्वदेशी स्टोर डकैती के विषय में जानते थे। मैंने उन्हें दल के कार्य के विषय में बतलाया था।

प्र०—क्या यह दल के नियमों के विरुद्ध नहीं है ?

उ०—नहीं, क्योंकि ऐसी ख़बरें देकर मुझे उनकी सहानुभूति अपनी ओर आकर्षित करनी थी।

प्र०—क्या दल के लूट आदि के कार्य गुप्त कार्य नहीं हैं ?

उ०—परन्तु उन कार्यों का महत्व कार्य हो जाने पर कम हो जाता है।

प्र०—क्या दल के नियमों में यह बात लिखी हुई है ?

उ०—यह साधारण समझ की बात है।

प्र०—क्या तुमने जोतीप्रसाद को दल का सदस्य बनाने का प्रयत्न किया था ?

उ०—मैंने उन्हें इसके लिए उपयुक्त नहीं समझा।

प्र०—क्यों ?

उ०—क्योंकि वे गृहस्थी के मामलों में व्यस्त थे।

मुख़बिर ने कहा कि मैं जोतीप्रसाद से आर्थिक सहायता की आशा करता था। मैंने उनसे २५० रुपए लिए थे और अन्य अवसरों पर भी बहुत रुपया लिया था। मैं अक्सर जोतीप्रसाद के पास उनकी दूकान पर जाया करता था और षड्यन्त्रकारी विषयों पर बातें किया करता था।

इसके बाद अदालत जलपान के लिए स्थगित हो गई।

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर मि० बोस की जिरह के प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि हम लोगों ने नालगढ़ा में रामचन्द्र शर्मा से एक बन्दूक़ ख़रीदने के लिए दिल्ली आने के लिए कहा था। नालगढ़ा को हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का केन्द्र बनाने का निश्चय शर्मा की राय से किया गया था। शर्मा से कहा गया था कि दल का उद्देश्य सशस्त्र विप्लव द्वारा सोशलिस्ट प्रजातन्त्र स्थापित करने का था। शर्मा खड़ी बावली में असली घी स्टोर में ठहरे थे। मुख़बिर ने कहा कि संयोग से मैं विमलप्रसाद के घर गया और वहाँ शर्मा से मिला। मैंने शर्मा से कहा कि दूसरे दिन मैं बन्दूक़ ख़रीदने के लिए रुपया लाऊँगा। दूसरे दिन मैंने बन्दूक़ ख़रीदने के लिए शर्मा को १५० रुपया दिए थे। उस दिन बन्दूक़ ख़रीदने का कार्य स्थगित कर दिया गया, क्योंकि बन्दूक़ ख़रीदने के लिए शर्मा के साथ आज़ाद भी जाना चाहते थे। बन्दूक़ ख़रीदी जाने के बाद मैंने उसे देखा था। नालगढ़ा में शर्मा के पास तीन बन्दूक़ें थीं। दो देश की बनी हुई थीं और एक हैमरलेस थी।

जब बी० एस० ए० मोटर साइकिल के हिस्से, जो कि वायसरॉय की ट्रेन उड़ाने के कार्य में इस्तेमाल की गई थी, शर्मा को दिए गए तब वे जानते थे कि वे हिस्से उसी मोटरसाइकिल के थे। उस समय तक वे दल के सदस्य नहीं थे। मैं दल के सभी मामलों को शर्मा के साझीदार ब्रह्मानन्द से गुप्त रखता था। मोटरसाइकिल के सम्बन्ध की सब बातें ब्रह्मानन्द से गुप्त रक्खी गई थीं।

गोली-बारूद की ख़रीद

मुख़बिर ने कहा कि मुझे याद नहीं है कि दल के इस्तेमाल के लिए कितनी बार गोली-बारूद ख़रीदी गई थी। दिल्ली केन्द्र में आठ या दस बार गोली-बारूद ख़रीदी गई थी। मुझे ठीक तारीख़ें या उनकी तादाद याद नहीं है। मेरी मौजूदगी में कभी गोली-बारूद नहीं ख़रीदी गई। मैंने गोली चलाने के अभ्यास में दो बार भाग लिया था, एक बार अजमेर में और एक बार नालगढ़ा में।

इसी बीच में मि० बोस ने मुख़बिर द्वारा १० नवम्बर को पुलीस के सामने दिए गए बयान को पढ़ कर सुनाया और पूछा कि उस बयान में तुमने निम्नलिखित शब्द कहे थे या नहीं, "ब्रह्मानन्द से कोई बात गुप्त नहीं रक्खी जाती थी।" मुख़बिर ने कहा कि मुझे याद नहीं है। मि० बोस ने कहा कि मुख़बिर के बयानों में परस्पर विरोधी बातें हैं। मि० बोस ने मुख़बिर की कही हुई अन्य बातों के सम्बन्ध में भी यह दोष प्रमाणित करने की चेष्टा की। आपने कहा कि मुख़बिर ने आज अपने बयान में कहा है कि शर्मा के अतिरिक्त दल के किसी सदस्य के पास लाइसेन्स नहीं था। मुख़बिर ने पुलीस के सामने दिए गए बयान में कहा था कि अभियुक्त विमलप्रसाद जैन के पास बन्दूक़ का लाइसेन्स था, जिससे वह बम बनाने के लिए गनकाटन ख़रीद लिया करता था। मुख़बिर ने कहा कि मैंने ऐसा बयान दिया था।

आगे जिरह के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि मैं यशपाल से अभियुक्त निगम के मकान पर २ जनवरी को मिला था। भगवतीचरण उस दिन नहीं आए थे, लेकिन आज़ाद मौजूद थे। यशपाल ने वायसरॉय की ट्रेन उड़ाने का विवरण बतलाया। अभियुक्तों में बड़ी हँसी हुई, जब मुख़बिर ने कहा कि बटन पुराने क़िले की तरफ़ से दबाई गई थी। मुख़बिर ने कहा कि मुझे याद नहीं है कि मैंने यशपाल से ज़मीन के अन्दर लगाए गए तारों और बम के फ़िट करने वाले व्यक्ति के विषय में पूछा था या नहीं। जिस बम का प्रयोग किया गया था वह विशेष प्रकार का था, परन्तु मैं उस बम या बिजली के बटन के विषय में विशेष विवरण नहीं जानता।

मुख़बिर ने कहा कि पूर्व निर्णय के अनुसार मैं ४ जनवरी को कुदसिया बाग़ में यशपाल से फिर मिला था। उस दिन शाम को भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में विचार करने के लिए दल की एक सभा की गई थी। सभा में आज़ाद, भगवतीचरण, मैं और यशपाल उपस्थित थे। और दूसरे सदस्यों को निमन्त्रण नहीं दिया गया था। भगवतीचरण ने प्रस्ताव किया कि लाहौर कॉङ्ग्रेस के प्रस्ताव के उत्तर में २६ जनवरी को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर पर्चे वितरित किए जावें।

ता० १३ जुलाई को दिल्ली षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने एक सनसनीदार बात हो गई। इन्स्पेक्टर लिनट ने "हिन्दुस्तान टाइम्स" के प्रतिनिधि मि० चमनलाल के विरुद्ध दोष लगाया कि वे सफ़ाई के वकील मि० बलजीतसिंह के द्वारा अभियुक्त से बातचीत कर रहे हैं।

अभियुक्त और सफ़ाई के वकील ने इस दोषारोपण का घोर विरोध किया और अदालत से कहा कि इन्स्पेक्टर पर अदालत की तौहीन करने का मामला चलाया जाय।

वास्तविक बातें

"हिन्दुस्तान टाइम्स" के प्रतिनिधि के कथनानुसार वास्तविक घटना इस प्रकार थी। मि० बलजीतसिंह ने मि० चमनलाल से कहा कि मुझे बम्बई के लेमिङ्गटन रोड गोली काण्ड की कार्रवाई देखने के लिए दिसम्बर सन् १९३० और जनवरी सन् १९३१ के "हिन्दुस्तान टाइम्स" की फ़ाइलों की ज़रूरत है। मि० चमनलाल ने सुजनता के ख़्याल से "हिन्दुस्तान टाइम्स" के ऑफ़िस में इसकी ख़बर भेज दी और फ़ाइलें आ गईं। ऑफ़िस में टेलीफ़ोन करने के बाद ही पुलीस इन्स्पेक्टर मि० लिनट ने धमकी के रुख़ से कहा कि, "तुम मि० बलजीतसिंह के द्वारा" अभियुक्त से बातचीत कर रहे हो। मि०

चमनलाल ने मैत्री भाव से इस झूठे अभियोग का विरोध किया, जिस पर इन्स्पेक्टर ने कहा कि "मैं देखूँगा।"

इन्स्पेक्टर ने अदालत के सामने इस विषय में एक लिखित रिपोर्ट पेश की। मि० चमनलाल ने ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट को अपनी रक्षा करने के लिए लिखा।

इसी बीच में अदालत जलपान के लिए स्थगित हो गई।

अनुचित झूठ

जलपान के समय अभियुक्त गाना गाने में व्यस्त थे। ३ बजे जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर सफ़ाई के वकील मि० बलजीतसिंह ने ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुझे अत्यन्त खेद के साथ जलपान के पहले की घटना का ज़िक्र करना पड़ा है। यूरोपियन पुलीस अफ़सर मि० सिनट ने "हिन्दुस्तान टाइम्स" के प्रतिनिधि मि० चमनलाल से कहा कि "तुम मि० बलजीतसिंह के द्वारा अभियुक्त से बातचीत कर रहे हो।"

मि० बलजीतसिंह ने कहा कि "यह कथन अनुचित झूठ है।" आपने कहा कि "यह क़ानूनी सलाहकार पर आक्षेप है, जिसे अदालत के अफ़सर की हैसियत से अदालत की रक्षा पाने का अधिकार है।"

आगे चल कर आपने कहा कि इन्स्पेक्टर पर अदालत की तौहीन करने का मामला चलाना चाहिए। अगर अदालत इस बात पर ध्यान न देगी तो मैं यह मामला हाईकोर्ट के सामने पेश करूँगा।

अभियुक्त का विरोध

श्री० विद्याभूषण एम० ए० ने इन्स्पेक्टर सिनट के कथन का ज़बरदस्त विरोध किया और कहा कि मि० चमनलाल से बातचीत कर सकना अत्यन्त असम्भव है। वास्तव में पुलीस हम लोगों में भय उत्पन्न करने में असफल होकर हमारे क़ानूनी सलाहकार पर भय उत्पन्न करना चाहती है।

आपने कहा कि अगर पुलीस का रुख़ ऐसा ही बना रहा तो हम लोग सफ़ाई नहीं दे सकेंगे। हम लोग आज ही कोई भी सज़ा स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

श्री० विद्याभूषण ने कहा कि इन्स्पेक्टर से अपने शब्दों को वापस करने के लिए कहना चाहिए।

इसके बाद आपने अदालत में मि० सिनट के व्यवहारों के सम्बन्ध में बातें बतलाईं। आपने कहा कि "हम लोगों ने डरना नहीं सीखा और इस कठघरे में भी हम लोगों को डर सीखना नहीं है।" कठघरे में हम लोगों की आपस की बातचीत पुलीस सुन लिया करती है। हमने पुलीस के हटाने की प्रार्थना की थी, परन्तु वह स्वीकार नहीं की गई। हम लोगों को जलपान के समय लोगों से मिलने की भी इजाज़त नहीं मिलती थी।

विमलप्रसाद जैन के सम्बन्धी श्री० फूलचन्द से कह दिया गया कि वे अभियुक्त से नहीं मिल सकते।

दूसरा विरोध

अभियुक्त रुद्रदत्त ने भी बड़ी ज़बरदस्त भाषा में विरोध किया।

ट्रिब्यूनल के सदस्य ख़ाँ बहादुर अमीरअली ने कहा—कोई भी व्यक्ति किसी के दबाव में नहीं है।

रायबहादुर कुँवर सेन ने कहा कि हम लोग प्रत्येक प्रश्न पर अपनी स्वतन्त्र राय देते रहे हैं। एक अभियुक्त ने जो शब्द कहे हैं, वे अनुचित हैं।

अभियुक्त पक्ष के बड़े वकील

डॉ० किचलू ने कहा कि हाँ, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ।

सिनट के दोषारोपण के सम्बन्ध में डॉ० किचलू ने कहा कि अगर, कही हुई बातें सच हैं तो बहुत गम्भीर हैं और उस व्यक्ति के विरुद्ध अदालत की तौहीन का मामला चलना चाहिए।

सरकारी वकील ने कहा कि 'बार' के सदस्य की हैसियत से मुझे ट्रिब्यूनल के सदस्यों के विरुद्ध दोषारोपण सुन कर बहुत कष्ट पहुँचा है।

अदालत की कार्रवाई स्थगित होने के बाद ट्रिब्यूनल के सदस्य प्रेज़िडेण्ट के कमरे में एकत्र हुए और उन्होंने मि० चमनलाल, डॉ० किचलू, मि० बलजीतसिंह और इन्स्पेक्टर को बुलाया। यह मालूम नहीं हुआ कि इस मामले में ट्रिब्यूनल ने क्या कार्रवाई करने का विचार किया है।

अभियुक्त पक्ष की ओर से अर्ज़ी

आज ट्रिब्यूनल के सामने उस अर्ज़ी पर बहस हुई, जिसमें ट्रिब्यूनल से भिन्न-भिन्न षड्यन्त्रों की मिसिलें मँगाने के लिए कहा था। अभियुक्त-पक्ष के सीनियर वकील डॉ० किचलू ने इस सम्बन्ध में मुख़बिर कैलाशपति के बयान के उन अंशों का हवाला दिया, जिनमें इस षड्यन्त्र केस का अन्य षड्यन्त्र केसों से सम्बन्ध बतलाया गया था।

सरकारी वकील ने कहा कि इस षड्यन्त्र से एसेम्बली बम केस, काकोरी ट्रेन-डकैती केस, अहमदाबाद ट्रेन-डकैती केस, चटगाँव शस्त्रागार केस और लैमिङ्गटन रोड गोली-काण्ड केस से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। उनकी मिसिलों से इस केस से कोई सम्बन्ध नहीं है।

बाक़ी तीन केसों के सम्बन्ध में, जो कि प्रथम लाहौर षड्यन्त्र केस, दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस और भूसावल बम-केस हैं, आपने कहा कि केवल उन गवाहों की गवाहियों की नक़ल मँगा लेनी चाहिए जो कि इस मामले में हैं और उपरोक्त तीनों मामलों में भी रह चुके हैं।

आपने कहा कि इस अर्ज़ी के कारण मामले की कार्रवाई रुकी रहेगी। अभियुक्त पक्ष इसके लिए एप्रिल के तीसरे सप्ताह में अर्ज़ी पेश कर सकते थे। ख़ाँ बहादुर अमीरअली ने कहा कि अभी मुक़द्दमे का प्रारम्भ ही है, अभियुक्त-पक्ष के लिए इस समय अर्ज़ी पेश करने में कोई बाधा नहीं है।

डॉ० किचलू ने ट्रिब्यूनल और सरकारी वकील को विश्वास दिलाया कि हम लोग एक मिनट के लिए भी अदालत की कार्रवाई स्थगित नहीं करना चाहते। वास्तव में हम लोग उससे ऊ[illegible] अर्ज़ी अदालत की कार्रवाई रोकने के लिए नहीं पेश की गई।

ता० ३ अगस्त, दिल्ली षड्यन्त्र केस की कार्रवाई अभियुक्त धन्वन्तरि और पोद्दार के बीमार हो जाने के कारण स्थगित रही। बाक़ी अभियुक्त और अभियुक्त-पक्ष के वकील मामले में पेश की गईं वस्तुओं की जाँच में व्यस्त रहे।

आज अभियुक्त पोद्दार की ओर से ज़मानत के लिए एक अर्ज़ी पेश की गई। अर्ज़ी में उसने कहा था कि गिरफ़्तारी के समय से ही मैं बीमार रहा हूँ और एक महीने से अस्पताल में हूँ। पहले एक फोड़े का ऑपरेशन हो चुका है। अब कान में एक फोड़े का ऑपरेशन होने वाला है। स्वास्थ्य-रक्षा के लिए प्रार्थना है कि छोड़ दिया जाऊँ। दूसरे, मामला लम्बा है क्योंकि सबूत की ओर से ४५० गवाह हैं। यह स्पष्ट है कि केवल सबूत-पक्ष की कार्रवाई में एक साल लग जायगा। अब तक जो गवाही दर्ज की जा चुकी है, उससे स्पष्ट है कि मेरे विरुद्ध कोई मामला नहीं है।

अदालत ने अर्ज़ी पर बहस करने के लिए ता० १२ अगस्त नियत की।

ता० ४ अगस्त को दिल्ली षड्यन्त्र केस में जलपान के समय ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने "हिन्दुस्तान टाइम्स" के प्रतिनिधि से कहा कि इन्स्पेक्टर सिनट ने, जिन्होंने कहा था कि "मि० चमनलाल ने मि० बलजीतसिंह के द्वारा अभियुक्त से बातचीत की" अपने शब्दों को वापस लिया है और उसके लिए खेद प्रकट किया है। ट्रिब्यूनल के जजों ने कहा कि इतने से यह अप्रिय मामला समाप्त हो जायगा। "हिन्दुस्तान टाइम्स" के प्रतिनिधि ने इस कार्य के लिए जजों को धन्यवाद दिया और उन्हें विश्वास दिलाया कि जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है मैं खेद-प्रकाश से सन्तुष्ट हूँ। इन्स्पेक्टर सिनट दो सप्ताह की छुट्टी पर गए हैं।

जलपान के बाद अदालत में सिनट की घटना पर ज़बरदस्त बहस हुई।

मि० बलजीतसिंह ने "स्टेट्समैन" में प्रकाशित इस घटना की रिपोर्ट पर कड़ी टीका की।

अभियुक्त विद्याभूषण ने अदालत से ज़ोर देकर कहा कि मि० सिनट द्वारा शब्दों का वापस कर लिया जाना और खेद प्रकट कर देना काफ़ी नहीं है। कठघरे के पास खड़ी हुई पुलीस हम लोगों की बातचीत सुन लिया करती है। यह सब इन्स्पेक्टर सिनट के हुक्मों के द्वारा होता है जो कि हम लोगों को हमेशा कष्ट दिया करते हैं। ऐसे इन्स्पेक्टर को, जिसने हम लोगों की बातचीत सुनने के लिए अङ्गरेज़ी जानने वाले कॉन्स्टेबिलों को नियुक्त किया था, बदल देना चाहिए।

प्रेज़िडेण्ट—उन्होंने अपने शब्दों को वापस कर लिया है।

विद्याभूषण—उन्हें हम लोगों की उपस्थिति में ऐसा करना चाहिए।

ख़ाँ बहादुर अमीरअली—वे छुट्टी पर हैं।

विद्याभूषण—यह तो गवर्नमेण्ट का तरीक़ा है। (इस पर हँसी हुई)

सफ़ाई के वकील मि० बलजीतसिंह ने भी यह शिकायत की कि हम लोग पुलीस और स्पेशल सी० आई० डी० के आदमियों के चक्कर लगाने के कारण आपस में स्वतन्त्रतापूर्वक मामले की बातचीत नहीं कर सकते। इस प्रकार हम लोग न्यायालय के उस वायुमण्डल से वञ्चित हैं जो कि मामले की कार्रवाई के लिए आवश्यक है। अभियुक्त विद्याभूषण ने ज़ोर देकर कहा कि इन्स्पेक्टर सिनट की जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति नियुक्त किया जाय।

मि० बलजीतसिंह ने सिनट के सम्बन्ध में "स्टेट्समैन" में छपी हुई घटना का हवाला देते हुए कहा कि "स्टेट्समैन" में वह ख़बर बिल्कुल भ्रमात्मक ढङ्ग से छपी है। अदालत को उस पत्र के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए।

प्रेज़िडेण्ट—ख़बर में क्या ग़लती है?

मि० बलजीतसिंह ने रिपोर्ट को पढ़ कर सुनाया और कहा कि ट्रिब्यूनल ने मुझसे उस घटना को स्पष्ट करने के लिए कभी नहीं कहा था। वास्तव में अदालत से उस विषय में शिकायत मैंने ही की थी, परन्तु उस पत्र की ख़बर से मालूम होता है कि दोषी मैं ही था और मुझसे मामले को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। मि० सिनट ने अपने शब्दों के लिए खेद प्रकट किया था।

डॉ० किचलू ने आश्चर्य प्रकट किया कि "स्टेट्समैन" ने अभियुक्त-पक्ष के वकील के नाम के साथ "मि०" लगाने का साधारण शिष्टाचार तक का प्रयोग नहीं किया।

प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि 'मैं उपरोक्त पत्र पर कोई मामला चलाने की आवश्यकता नहीं समझता।'

अभियुक्त विद्याभूषण ने फिर कहा कि इन्स्पेक्टर-

सिनट को अदालत में हम लोगों की उपस्थिति में शब्द वापस लेना चाहिए।

रायबहादुर कुँवरसेन—वे शब्द खुली अदालत में नहीं कहे गए थे।

विद्याभूषण—परन्तु शिकायत तो अदालत के सामने हुई थी।

इसके बाद ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने आपस में कुछ परामर्श किया और अदालत के सामने घोषित किया कि सिनट वाली घटना अब समाप्त हो गई। हमें नहीं मालूम कि इन्स्पेक्टर को हटाने का हमें अधिकार है या नहीं और न वह हमें उचित ही दीख पड़ता है।

इसके बाद सरकारी वकील चौधरी ज़फ़रुल्ला ख़ाँ इस विषय में बोलने के लिए उठे परन्तु अभियुक्त विद्याभूषण ने बीच में ही आपत्ति करते हुए कहा कि इस विषय में अब अधिक कुछ नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि अदालत ने उस विषय को पहले ही समाप्त कर दिया है।

प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि मैं इस विषय में कोई नई बात जानने के लिए उन्हें बोलने की इजाज़त दे सकता हूँ। सरकारी वकील ने कहा कि अङ्गरेज़ी जानने वाले कॉन्स्टेबिल को इन्स्पेक्टरसिनट ने नहीं, बल्कि रिज़र्व इन्स्पेक्टर ने नियुक्त किया था और वह शिकायत करने पर हटा दिया गया था। मि० बैनरजी ने कहा कि इन्स्पेक्टर सिनट के शब्दों से अदालत की तौहीन हुई है। अदालत से आशा की जाती है कि वह ऐसे विषय को 'बार' के सब सदस्यों के सामने उपस्थित करेगी। प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि यह वैयक्तिक मामला है।

इसके बाद मि० बोस की जिरह के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि वॉयसरॉय की ट्रेन घटना में प्रयोग की गई बी० एस० ए० मोटर साइकिल को यशपाल हिन्दू कॉलेज के नए होस्टल में लाया था और वह निगम के कमरे में तीन दिन तक रक्खी रही थी। मैंने भवानीसिंह और कुछ अन्य सदस्यों से कहा था कि मोटर साइकिल दल की है। बाद में मोटर साइकिल के पुर्ज़े अलग-अलग कर दिए गए थे। मैं यह नहीं कह सकता कि कितने हिस्सों में मोटर साइकिल अलग की गई थी। मुख़बिर ने कहा कि इसमें मुझे १ घण्टे लगे थे। भगवतीचरण और यशपाल डरते थे कि कहीं कोई पता न लग जाय और मोटर साइकिल पकड़ न ली जाय, इसलिए मोटर साइकिल के पुर्ज़े अलग कर दिए गए थे। मि० बोस ने मुख़बिर के आज के बयान से, पुलीस के सामने दिए गए बयानों से तुलना करके यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया कि मुख़बिर के बयान परस्पर विरोधी हैं।

आगे मि० बोस की जिरह के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि षड्यन्त्रकारी दल की एक सभा एप्रिल में की गई थी। जून महीने में कुदसिया बाग़ में दो या तीन सभाएँ हुई थीं। जून महीने में गाडोदिया स्वदेशी-स्टोर की डकैती के पहले एक सभा निगम के निवासस्थान में हुई थी और दूसरी भवानीसिंह के निवासस्थान में हुई थी।

आर० के० विश्वास

जलपान से बाद रामकिशन विश्वास की स्मृति में सम्मान प्रकट करने लिए जिसको कलकत्ता में फाँसी हुई थी, अभियुक्तों की ओर से एक वक्तव्य पढ़ा गया।

ता० ५ अगस्त को दिल्ली षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त पोद्दार की ज़मानत की अर्ज़ी पर बहस हुई। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जेल और चीफ़ मेडिकल अफ़सर ने ट्रिब्यूनल के पास भेजी हुई अपनी रिपोर्ट में कहा कि "ज़मानत पर छोड़ा जाना अभियुक्त के स्वास्थ्य के लिए निश्चय रूप से लाभकारक होगा, अगर उसके विरुद्ध कोई गम्भीर अभियोग न हो तो मैं डॉक्टरी आधार पर अभियुक्त की ज़मानत की अर्ज़ी का समर्थन करता हूँ।

सुपरिण्टेण्डेण्ट जेल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अभियुक्त पर हिरासत का प्रभाव पड़ा है। वह बहुत ही नाज़ुक व्यक्ति है इसलिए उसे कष्ट पहुँचा है। उसके कई फोड़े हो गए हैं और एक और विशेष प्रकार के फोड़े के होने की आशङ्का है। सुपरिण्टेण्डेण्ट ने अपनी रिपोर्ट में डॉक्टरी कारणों के आधार पर अभियुक्त को छोड़ने की सिफ़ारिश की थी।

डॉक्टर किचलू ने ज़मानत की अर्ज़ी पर बहस करते हुए कहा कि जेल के चीफ़ मेडिकल अफ़सर की रिपोर्ट के बाद मुझे इस विषय में विस्तार से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाब्ता फ़ौजदारी की ४९७ दफ़ा के नए विधान के अनुसार क़ैदी को उसके स्वास्थ्य के ख़राब होने की हालत में छोड़ देने का नियम बन गया है। यह एक वास्तविक बात है कि अभियुक्त पोद्दार का स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो रहा है। केवल उसकी बीमारी के कारण अदालत की कार्रवाई दो बार स्थगित हो चुकी है। डॉक्टर किचलू ने कहा कि अभियुक्त के जो एक विशेष प्रकार का फोड़ा निकला है वह बहुत ही गम्भीर बीमारी है। अभियुक्त के लिए वह जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। मैं ज़मानत की तादाद और उसकी शर्तें अदालत के विचार पर छोड़ता हूँ।

सरकारी वकील का दृष्टिकोण

चौधरी ज़फ़रुल्ला ख़ाँ ने कहा कि बीमारी का मामला ऐसा है कि मैं इस विषय में तर्क नहीं करना चाहता। डॉक्टरी राय मालूम हो चुकी है, इसलिए अब मैं ज़ाब्ता फ़ौजदारी की ४९७ दफ़ा के अनुसार डॉक्टरी कारणों के आधार पर ज़मानत पर छोड़ने का प्रश्न अदालत के विचार पर छोड़ता हूँ। आपने कहा कि यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जब कुछ समय के बाद अभियुक्त स्वस्थ हालत में हो जायगा, उस समय अदालत को ज़मानत वापस लेने का अधिकार रहेगा।

अभियुक्त का एक मात्र अपराध

इसके बाद प्रेज़िडेण्ट ने डॉक्टर किचलू से संक्षेप में अर्ज़ी पर बहस करने के लिए कहा।

डॉ० किचलू ने कहा कि अभियुक्त पोद्दार के कार्य केवल ग्वालियर में हुए थे। मुख़बिर कैलाशपति के बयान के अनुसार उस पर अपने किराए के मकान में केवल पिकरिक एसिड बनाने का अभियोग लगाया गया है। परन्तु मुख़बिर कैलाशपति ने जिरह के उत्तर में कहा है कि मेरे ग्वालियर जाने के पहले पोद्दार ने दल के कार्य के लिए मकान किराए पर लिया था परन्तु किराया मेरे सामने नहीं दिया गया था। जिस समय पिकरिक एसिड बना करती थी उस समय पोद्दार कॉलेज जाया करता था। इससे मालूम होता है कि पोद्दार हर समय कार्य में नहीं करता था।

मुख़बिर कैलाशपति ने यह भी कहा है कि मेरे ग्वालियर से चले जाने के बाद मैंने कभी नहीं सुना कि पोद्दार ने किसी कार्य में भाग लिया था। कुछ समय के बाद मुझे मालूम हुआ कि पोद्दार दल से अलग हो गया है और दल का कोई कार्य नहीं करता। डॉक्टर किचलू ने कहा कि यदि प्रमाणित हो गया तो अभियुक्त पोद्दार पर एक मात्र अभियोग पिकरिक एसिड बनाने का है।

सरकारी वकील चौधरी ज़फ़रुल्ला ख़ाँ ने सबूत पक्ष की ओर से बहस करते हुए कहा कि जो गवाही अदालत में दर्ज हो चुकी है केवल उसी पर विचार न करना चाहिए; क्योंकि और भी गवाही अभी दर्ज होना बाक़ी है। आपने अभियुक्त पोद्दार के सहपाठी मुख़बिर डी० वी० तैलङ्ग के मैजिस्ट्रेट मि० ईसर के सामने दिए गए बयान को पढ़ कर सुनाया, जिसमें उसने कहा था कि पोद्दार ने मकान किराए पर लिया था और वह पिकरिक एसिड के बनाने में भाग लिया करता था। उसने कहा था कि पोद्दार षड्यन्त्रकारी दल का सदस्य है। उसने दल के लिए मकान किराए पर लिया था। मकान में विस्फोटक वस्तुओं के बनाने का कार्य हुआ करता था। पोद्दार स्वयं पिकरिक एसिड बनाया करता था। बाद में वह मकान दल का केन्द्र-स्थान बन गया था और उसका उपयोग हथियारों आदि के एकत्र करने के कार्य में होता था। इन सब बातों को देखते हुए अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग बहुत स्पष्ट है। मामले के विचार से अभियुक्त की ज़मानत मञ्ज़ूर करने का कोई कारण नहीं है। अगर अभियुक्त का स्वास्थ्य न ख़राब होता तो मैंने ज़मानत की अर्ज़ी का ज़बरदस्त विरोध किया होता। जो हो डॉक्टरी कारणों के आधार पर मैं ज़मानत की अर्ज़ी का समर्थन करता हूँ।

ख़ाँ बहादुर अमीरअली ने पूछा कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष अपराध करने का अभियोग तो नहीं है?

डॉ० किचलू—जी नहीं, कोई अभियोग नहीं है।

सरकारी वकील ने कहा—पिकरिक एसिड के बनाने का कार्य है।

ख़ाँ बहादुर अमीरअली—कोई और प्रत्यक्ष कार्य का अभियोग है?

सरकारी वकील ने कहा—कोई दूसरा प्रत्यक्ष कार्य का अभियोग नहीं है।

ट्रिब्यूनल ने अर्ज़ी पर फ़ैसला कल के लिए स्थगित रक्खा।

प्रेज़िडेण्ट के एक प्रश्न के उत्तर में डॉ० किचलू ने कहा कि अभियुक्त का पिता एक उत्तरदायी गवर्नमेण्ट-कर्मचारी है। वह झाँसी में रेलवे का हेड-क्लर्क है। वह उसकी औषधि के लिए ज़िम्मेदार रहेगा। अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसकी ओर से एक वकील पैरवी करेगा।

मुख़बिर कैलाशपति के बीमार हो जाने के कारण अदालत की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो गई।

ता० ६ अगस्त को दिल्ली षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल ने अभियुक्त पोद्दार की ज़मानत की अर्ज़ी पर फ़ैसला सुनाया।

ट्रिब्यूनल ने अपने फ़ैसले में कहा कि जो बातें मेरे सामने पेश की गई हैं, उन्हें देखते हुए हमें विश्वास है कि स्वास्थ्य के ख़याल से ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा ४९७ के अनुसार अभियुक्त को ज़मानत पर छोड़ देना चाहिए। यह ज़मानत केवल डॉक्टरी कारणों के आधार पर मञ्ज़ूर की जाती है, मामले की बातों को विचार कर नहीं की जाती। इसलिए हमने अभी दो महीने के लिए ज़मानत मञ्ज़ूर करने का निश्चय किया है। दो महीने के बाद इस मामले पर फिर विचार किया जायगा। ट्रिब्यूनल ने अपने फ़ैसले में यह भी कहा कि ज़मानत पर छूटने के बाद बीमारी के कारण अभियुक्त के अदालत में न हाज़िर हो सकने पर अभियुक्त की पैरवी के लिए वकील का प्रबन्ध हो जाना चाहिए।

ट्रिब्यूनल ने हुक्म दिया कि अभियुक्त को पन्द्रह सौ रुपए की दो ज़मानतें और पाँच सौ रुपए की एक व्यक्तिगत ज़मानत दाख़िल करनी चाहिए। इस हुक्म की नक़लें डिस्ट्रिक्ट जेल में अभियुक्त के पास और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेज दी गई हैं। मैजिस्ट्रेट ज़मानत पर अपनी स्वीकृति दे देगा।

अभियुक्त विद्याभूषण, पोद्दार और हरकेश बीमार हो जाने के कारण अनुपस्थित थे, परन्तु उनकी अनुपस्थिति

में भी दफ़ा २१४ के अनुसार अदालत की कार्रवाई जारी रही। डॉ० किचलू उनकी ओर से पैरवी करते थे।

अखिल भारतीय युद्ध

इसके बाद मि० एस० एन० बोस ने मुख़बिर कैलाशपति से जिरह प्रारम्भ की। कल की बीमारी के कारण मुख़बिर को बैठने के लिए कुर्सी दी गई। मुख़बिर से यूनिवर्सल ड्रग स्टोर से एसिड ख़रीदने और स्टोर के मालिक बाबूराम से परिचय के सम्बन्ध में प्रश्न किए गए। मुख़बिर ने कहा कि मैंने बाबूराम से कह दिया था कि मुझे बहुत एसिड की ज़रूरत है। बाबूराम के यह पूछने पर कि इतनी एसिड का क्या करोगे, मैंने कहा था कि "भारतवर्ष भर में छिपे हुए ढङ्ग से युद्ध करने के लिए बमों के बनाने की ज़रूरत है।" मुख़बिर ने कहा कि बाबूराम ने हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के धन और उसकी सदस्यता के सम्बन्ध में मुझसे कोई बात नहीं पूछी। बाबूराम ने मूल्य देने पर सब एसिड दे देने का वचन दिया था, यह पहले ही निश्चय कर लिया गया था। मुख़बिर ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि एसिड के बेचने में कोई प्रतिबन्ध है या नहीं। मैंने बाबूराम से केवल 'मर्क' का बनाया हुआ एसिड ख़रीदने के लिए कहा था।

एक दिन मुख़बिर बालकिशन जो कि यूनिवर्सल ड्रग स्टोर का कम्पाउण्डर था, अभियुक्त बाबूराम के पास से ख़बर लाया कि एक हज़ार पाउण्ड एसिड आई है रुपए का प्रबन्ध कीजिए। मुख़बिर ने कहा कि मैंने जुलाई या अगस्त में एसिड के लिए ऑर्डर दिया था परन्तु नाइट्रिक और सल्फ़्यूरिक एसिड की मात्रा नहीं बतलाई थी। डॉक्टर नाइट्रिक और सल्फ़्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। सुनार भी उनका प्रयोग करते हैं। मैं नहीं कह सकता कि दिल्ली में और भी किसी कार्य में उनका प्रयोग होता है या नहीं। मैं यह भी नहीं जानता कि दिल्ली में कारबोलिक एसिड का किस कार्य में प्रयोग होता है। मुख़बिर ने कहा कि मैंने दूसरी दूकानों में एसिड की दर नहीं पूछी। हज़ारीलाल ने मुझसे कहा था कि बालकिशन दल की सहायता करने को तैयार है और वह आसानी के साथ एसिड का प्रबन्ध कर सकता है।

मुख़बिर ने कहा कि मैंने बालकिशन को दल से सहानुभूति रखने वाले कार्यशील व्यक्तियों में रख लिया था। मैंने उसे दल का नियमित सदस्य बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। ऐसी ही बात अभियुक्त बाबूराम गुप्त के सम्बन्ध में भी हुई थी।

रायबहादुर कुँवरसेन ने पूछा—क्या तुम्हारे पास कार्यशील सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों की लिखी हुई नामावली थी।

मुख़बिर—मानसिक नामावली थी।

आगे जिरह के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि यद्यपि मैं यूनिवर्सल ड्रग स्टोर में अनेक बार गया था परन्तु मैंने डॉ० रणजीतसिंह से और बाबूराम के पास जो तीन नवयुवक बैठा करते थे उनसे कभी कोई बातचीत नहीं की।

पहली बार मैंने बाबूराम को १५० रुपए दिए थे। अगस्त में मैंने फिर ६०० रुपए दिए थे। मुझे इन रुपयों की कोई रसीद नहीं मिली।

प्र०—तुमने इन एसिडों को प्रान्तीय सङ्गठन-कर्ता की हैसियत से ख़रीदा था या केन्द्रीय कौन्सिल के सदस्य की हैसियत से ख़रीदा था।

उ०—मैंने उन्हें प्रान्तीय सङ्गठन-कर्ता की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी पर ख़रीदा था, परन्तु मैं कह नहीं सकता कि मुझे केन्द्रीय कौन्सिल की इजाज़त मिली थी या नहीं।

अगस्त महीने में केन्द्रीय कौन्सिल की सभा में मैंने इन एसिडों आदि की ख़रीद की बात बतला दी थी।

इस बीच में मुख़बिर के सामने, मुख़बिर के पुलीस के सामने दिए गए बयान की बात पेश की गई, जिसमें उसने कहा था कि मैंने हज़ारीलाल के द्वारा यूनिवर्सल ड्रग स्टोर से ५०० रुपए का एसिड वग़ैरह ख़रीदा था। मुख़बिर ने कहा कि मैंने बयान में ५०० रुपए नहीं बतलाए थे।

जलपान के बाद

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर मि० एस० एन० बोस की जिरह के उत्तर में मुख़बिर कैलाशपति ने कहा कि मैंने पुलीस के सामने दिए गए बयान में यह नहीं कहा था कि जून, सन् १९३० में सौ पाउण्ड 'पोटैशियम क्लोरेट' क़रीब १५० रुपए की ख़रीदी गई थी और रुपए उसी वक़्त दे दिए गए थे।

मुख़बिर ने कहा कि मैं डॉ० सेन से मिलने कभी नहीं गया। मैं अभियुक्त बाबूराम से अक्टूबर के प्रारम्भ में उनके घर पर आख़िरी बार मिला था परन्तु जिस कार्य से मैं मिला था वह मुझे याद नहीं है।

मैं पटना बम-केस के अभियुक्त हज़ारीलाल से एप्रिल महीने के निर्णय के अनुसार क्वीन्स गार्डन में मिला करता था। परन्तु थोड़े समय के लिए मैं भवानीसिंह के मकान पर निशानेबाज़ी का अभ्यास करने के लिए जाया करता था। मई महीने में हज़ारीलाल मुख़बिर बालकिशन के साथ रहता था, मैं उससे एसिड के लिए प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में मिला करता था।

(क्रमशः)

❀

भविष्य

[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष]

प्रथम तो न्याय का रोग स्वयं ही बड़ा बुरा होता है और जिस पर आक्रमण करता है, उसे परेशान किए रहता है, दूसरे जब उसमें निगोड़ी दया घुस पड़ती है, तो 'एक तो तितलौकी, दूसरे नीम चढ़ी' वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है और बेचारा न्यायकर्त्ता स्वयं ही न्याय तथा दया का पात्र बन जाता है। श्रीजगद्गुरु की प्रार्थना है कि अल्लाहपाक किसी को ऐसी कशमकश में न डाले।

❀

बनारस की सर्वगुणालङ्कृता आयुष्मती पुलीस ने एक बङ्गाली महिला के घर में एक ट्रङ्क में बन्द कुछ विस्फोटक पदार्थों का आविष्कार किया। दो बङ्गाली महिलाएँ और एक बङ्गाली युवक पर अदालत में मामला चला। गवाहियाँ हुईं, बहसें हुईं, पितरपख से पहले ही इस भाग्यवान देश के हज़ारों रुपयों का श्राद्ध हुआ और अन्त में न्याय की बारी आई।

❀

एक महिला अभियुक्त तो साफ़ छोड़ दी गई। शायद उसका पुण्य-बल उतना प्रबल न था और न उसकी तक़दीर में जेल की 'रस-स्वादी' रोटियाँ ही बदी थीं। बाबा विश्वनाथ और कालभैरव को भी बेचारी पर दया न आई और न न्यायदेव की ही नज़र उस पर पड़ी।

❀

परन्तु दूसरी का पुण्य प्रताप अत्यन्त प्रखर हो रहा था। इसलिए न्याय-निपुण दौरा जज महोदय ने उसे विस्फोटक पदार्थ एक्ट के अनुसार आजीवन कालेपानी का और आर्म्स एक्ट के अनुसार तीन वर्ष तक कारावास का दण्ड प्रदान किया। परन्तु घबराइए नहीं, जज साहब समझदार आदमी मालूम होते हैं, लेहाज़ा विस्फोटक पदार्थ रखने के अपराध में आजीवन कालेपानी की सज़ा भोग लेने पर दूसरी तीन वर्ष वाली बचकानी सज़ा भोगने के लिए, उसे फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्थात् दोनों सज़ाएँ एक साथ ही चलेंगी।

❀

सो जनाब, एक स्त्री के और ऐसे गुरुतर अपराध करते भी, ऐसी मामूली सज़ा देकर जज साहब ने केवल उस पर ही दया नहीं दिखाई है, बल्कि ग़रीब और बूढ़े विधाता पर भी उन्होंने बड़ी मेहरबानी की है। इसलिए हमें विश्वास है कि जब तक वह बुड्ढा जिएगा तब तक बनारस के दौरा जज साहब का एहसानमन्द रहेगा।

❀

क्योंकि अगर जज साहब दया के फेर में न पड़ते और दोनों सज़ाओं को अलग-अलग भोगने की व्यवस्था कर देते, तो बेचारे विधाता राम बेमौत मर जाते—बड़ी तवालत और क़बाहत में पड़ते। मरने पर उसे फिर स्त्री का जन्म देना पड़ता और ख़ास बनारस में ही। सूरत-शक्ल और नाम-धाम भी वही रखना पड़ता। एक सज़ा भोगने के बाद तत्काल ही दूसरी सज़ा आरम्भ होती, इसलिए पुनर्जन्म के समय उसकी अवस्था का भी ख़याल रखना पड़ता और शिशुरूप के बदले उसे युवती या प्रौढ़ारूप में जन्म देना पड़ता।

❀

ख़ैर, सबसे बड़ी दयाशीलता तो जज साहब ने यह दिखाई है कि भारत में जन्म लेने के गुरुतर अपराध में उसे ज़रा भी दण्ड नहीं दिया। आख़िर, यह अपराध क्या कुछ कम था? हमें तो डर है कि कहीं जज महोदय का फ़ैसला पढ़ कर बेचारा न्याय कुढ़ कर मर न जाय! हालाँकि इस मामले में तुला हुआ दण्ड प्रदान करने में आप ने सारे संसार के न्यायकर्ताओं का रिकार्ड बीट डाउन कर दिया है।

❀

कुछ भी हो जनाब, श्रीजगद्गुरु की तो यह दृढ़ धारणा है कि इस बनारसी न्याय को देख कर भारत की जनता मुग्ध हो जाएगी और सभी नौकरशाही के न्यायालयों पर उसकी श्रद्धा बरसाती नदी की तरह बढ़ जाएगी और आश्चर्य नहीं कि लोग हरिकीर्तन आदि छोड़ कर आइन्दा से भव-बन्धन की विमुक्ति के लिए न्यायकीर्तन ही आरम्भ कर दें। हिज़ होलीनेस ने तो निश्चय कर लिया है, कि भाँग-बूटी के बाद प्रतिदिन दो घण्टे इस अनुपम न्यायपरायणता की कथा श्रीमती गुरुआनी जी को सुनाया करेंगे।

❀

बनारस हर बात में अपनी एक विशेषता रखता है। 'राँड़, साँड़, सीढ़ी और संन्यासी' की पुरानी कहावत तो आप ने सुनी ही होगी? काशी के पण्डित, पण्डे, गुण्डे, भङ्गड़ और भिखमङ्गे भी अपना एक स्थान रखते हैं। कविवर श्री० मैथिलीशरण जी गुप्त ने काशी को 'उपन्यासमयी काशी' कह कर उसकी साहित्यिक विशेषता का बखान किया है। 'विमल बी० ए० पास बाबू श्यामसुन्दर दास', कहानी-सम्राट् लाला मुन्शी प्रेमचन्द जी और छायावादी कविता के 'वाल्मीकि' अर्थात् आदिकवि श्री० जयशङ्करप्रसाद जी भी बनारस की ही विभूतियाँ हैं।

❀

बस, शायद एक न्याय-विचार सम्बन्धी विशेषता की कमी थी, सो उसे भी वहाँ के दौरा जज महोदय ने अपने अभिनव 'बनारसी न्याय' द्वारा पूरा कर दिया। बड़ी भारी त्रुटि दूर होगई और काशी साङ्गोपाङ्ग निहाल हो गई। आख़िर, बाबा विश्वनाथ की तीन लोक से न्यारी पुरी, तीन लोक से न्यारे जज साहब के रहते ही अपनी एक विशेष विशेषता से वञ्चित रह जाती, यह कैसे हो सकता था?

❀

बाबा शौकतअली अगर अभी 'लण्डन' की छाया तले न पहुँचे होंगे तो भी विक्टोरिया टॉवर का सुउच्च कङ्गूरा देख-देख कर पुलकित तो अवश्य ही होते होंगे। भारतीय नौकरशाही की कृपा से राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स के प्रतिनिधि हो गए, बेचारे का चील का जनम छूट गया! वल्लाह, अब आप भी पाँचों सवारों में हैं! ऐ हट जा घास वाली सामने से, मौलाना आ रहे हैं!

❀

मौलाना का, जहाज़ी ज़िन्दगी के दिलचस्प हालात से लबरेज़ पहला मकतूब गरामी, (गरिमापूर्ण पत्र) मौलाना के ही 'ख़िलाफ़त' अख़बार में पढ़ कर श्री० जगद्गुरु की दाढ़ी और तोंद में ऐसा भूचाल आया है कि सिन्ध का हाल वाला भूचाल भी सिटपिटा कर रह गया। वल्लाह, पत्र क्या है, शैतान की आँत है और मज़मून भी वैसा ही पुरतुक़, जैसा 'आँत' में हुआ करता है।

❀

ज़रा बानगी लीजिए। मौलाना फ़रमाते हैं—"तूफ़ान का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, एक वक़्त का खाना भी नाग़ा नहीं किया।" अच्छा किया, वरना कहीं पेट में भूख का तूफ़ान जारी हो जाता, तो बेचारे बावर्ची की जान आफ़त में आ जाती। आख़िर, बेचारा बावर्ची ही तो होगा या कोई ख़न्दक भरने वाला!

❀

और सुनिए—"महाराजा बीकानेर ख़ास कर मेरी ही तरह बहुत हँसते फिरते हैं, मेरा बहुत ख़याल रखते हैं और एक-दो बार ज़रूर गले से लगा लेते हैं।" या ख़ुदा मज़हल अजायब! मगर यह फ़रमाना तो भूल ही गए कि एकान्त में या सबके सामने! ख़ैर, इस बुढ़ौती में भी मौलाना के क़द्रदाँ मौजूद हैं, यह बड़ी ख़ुशी की बात है। आख़िर मौलाना साहब हैं भी तो रियासत रामपुर के अधिवासी। लखनऊ के बाद सुनते हैं, रामपुर का ही नम्बर है।

❀

भारत के ग्यारह करोड़ अछूत नामधारी हिन्दुओं के सिरों पर चोटी मौलाना को बहुत दिनों से खटकती है, इसलिए उनपर आपकी असीम कृपा रहती है। यहाँ तक कि महाराज बीकानेर को गुलगुली गोद में भी उन्हें नहीं भूले हैं और अपने भूरि भोजन का वर्णन करते-करते 'ज़र मी ख़ुरम' अर्थात् मैं माल चाबता हूँ, कहने के साथ ही अछूतों के लिए अश्रुनीर विसर्जन आरम्भ कर देते हैं। बाहर समुद्र का तूफ़ान और अन्दर अछूतों के लिए दया का तूफ़ान। अगर 'ज़र मी ख़ुरम' की सुविधा न होती, तो सचमुच बड़ी कठिन समस्या थी।

❀

मौलाना के मशकोपम वृकोदर पर महात्मा गाँधी का बड़ा एहसान है, बल्कि यों कहिए कि 'मुलतान' के महोदर में बैठकर 'ज़र मी ख़ुरम' का मज़ा उन्हीं लँगोटी बाबा के चप्पलों का ही तुफ़ैल है। इसलिए नमाज़ की तरह प्रतिदिन एक बार महात्मा गाँधी को कोस लेना मौलाना ने अपना मज़हबी फ़र्ज़ बना लिया है। इसीलिए इस 'मकतूब गरामी' में भी आपने अपना वह फ़र्ज़ अच्छी तरह अदा कर दिया है। महात्मा के एहसानों को भला मौलाना कैसे भूल सकते हैं?

इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, 'विष-विज्ञान', 'उपयोगी चिकित्सा', 'स्त्री-रोग-विज्ञानम्' आदि-आदि अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्वर्ण-पदक प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० धर्मानन्द जी शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता का अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है। आज भारतीय स्त्रियों में शिशु-पालन सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, हज़ारों और लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रतिवर्ष अकाल-मृत्यु के कलेवर हो रहे हैं। धातृ-शिक्षा का पाठ न स्त्रियों को घर में पढ़ाया जाता है और न आजकल के ग़ुलाम उत्पन्न करने वाले स्कूल और कॉलेजों में। इसी अभाव को दृष्टि में रख कर प्रस्तुत पुस्तक लिखी और प्रकाशित की गई है। इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उनका उपचार तथा ऐसी सहज घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, जो बहुत कम ख़र्च में प्राप्त हो सकती हैं। इसे एक बार पढ़ लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त कर्त्तव्यों का ज्ञान सहज ही में हो सकता है और वे शिशु सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ कर उसका उपचार कर सकती हैं। मूल्य लागत मात्र २॥)

यह पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस मेयो की नई करतूत है। यदि आप अपने काले कारनामे एक विदेशी महिला के द्वारा मार्मिक एवं हृदय-विदारक शब्दों में देखना चाहते हैं तो एक बार इसके पृष्ठों को उलटने का कष्ट कीजिए। धर्म के नाम पर आपने कौन-कौन से भयङ्कर कार्य किए हैं; इन कृतियों के कारण समाज की क्या अवस्था हो गई है—इसका सजीव चित्र आपको इसमें दिखाई पड़ेगा। पढ़िए और आँसू बहाइए !! केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और शेष हैं। मूल्य केवल ३) स्थायी ग्राहकों से २।)

यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरञ्जकता, शिक्षा, उत्तम लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता और लालित्य के कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है। इस उपन्यास में यह दिखाया गया है कि आजकल एम० ए०, बी० ए० और एफ़० ए० की डिग्री-प्राप्त स्त्रियाँ किस प्रकार अपनी विद्या के अभिमान में अपने योग्य पति तक का अनादर कर उनसे निन्दनीय व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू काम-काज से घृणा हो जाती है। मूल्य केवल २); स्थायी ग्राहकों से १॥)

मनोहर ऐतिहासिक कहानियाँ

इस पुस्तक में पूर्वीय और पाश्चात्य, हिन्दू और मुसलमान, स्त्री-पुरुष—सभी के आदर्श छोटी-छोटी कहानियों द्वारा उपस्थित किए गए हैं। केवल एक बार के पढ़ने से बालक-बालिकाओं के हृदय में दयालुता, परोपकारिता, मित्रता, सच्चाई और पवित्रता आदि सद्गुणों के अङ्कुर उत्पन्न हो जायँगे और भविष्य में उनका जीवन उसी प्रकार महान और उज्ज्वल बनेगा। मनोरञ्जन और शिक्षा की यह अपूर्व सामग्री है। भाषा अत्यन्त सरल, ललित तथा मुहावरेदार है। मूल्य केवल २) से स्थायी ग्राहकों १॥)

आयरलैण्ड के ग़दर की कहानियाँ

छोटे-बड़े सभी के मुँह से आज यह सुनने में आ रहा है कि भारतवर्ष, आयरलैण्ड बनता जा रहा है। उस आयरलैण्ड ने अङ्गरेज़ों की ग़ुलामी से किस तरह छुटकारा पाया और वहाँ के शिनफ़ीन दल ने किस कौशल से लाखों अङ्गरेज़ी सेना के दाँत खट्टे किए, इसका रोमाञ्चकारी वर्णन इस पुस्तक में पढ़िये। इसमें आपको इतिहास और उपन्यास दोनों का मज़ा मिलेगा। मूल्य केवल—दस आने।

मनोरञ्जक कहानियाँ

इस पुस्तक में १७ छोटी-छोटी, शिक्षाप्रद, रोचक और सुन्दर हवाई कहानियाँ संग्रह की गई हैं। कहानियों को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त हो जायँगे और सारी चिन्ताएँ दूर हो जायँगी। बालक-बालिकाओं के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। केवल एक कहानी उनको सुनाइए—ख़ुशी के मारे उछलने लगेंगे, और पुस्तक को पढ़े बिना कदापि न मानेंगे। मनोरञ्जन के साथ हो प्रत्येक कहानियों में शिक्षा की भी सामग्री है। शीघ्रता कीजिए, केवल थोड़ी कॉपियाँ और शेष हैं। सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १॥); स्थायी ग्राहकों से १=)

☞ व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

मौलाना के भूरि भोजन का हाल कुछ न पूछिए। 'माले मुफ़्त और दिले बेरहम' का मामला है। सवेरे सो कर उठते ही सेबों और नींबुओं पर हाथ साफ़ करते और दाँतों का मोरचा छुड़ाते हैं। आठ बजे उन्हीं के शब्दों में सुनिए—"नाश्ते को जाता हूँ, अञ्जीर का मुरब्बा या परों का पुडिङ्ग बालाई के साथ मिलता है। थोड़े अण्डे भी खाता हूँ। मक्खन और रोटी निहायत उम्दा होती है और बाद को फल!" ख़याल रखिएगा, यह नाश्ते की फ़िहरिस्त है। इसके बाद भोजन, तीसरे पहर को फिर नाश्ता और रात को बयालू। एक तो "मुलतान" स्वयं ही २१ हज़ार टन का वज़नी है, फिर कई टन की मौलाना की भारी-भरकम लाश और ऊपर से भोजन का यह हाल! ऐसी हालत में अगर मुलतान का वज़न लण्डन पहुँचते-पहुँचते २२-२३ हज़ार टन हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।

❀

ख़ैर, पेट भरने पर तो दून की सूझती ही है और फिर जहाँ अण्डों और बालाई की रेल-पेल हो, वहाँ तो 'तीन' की भी सूझने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं। अतः मौलाना ने भी तीन की ही हाँकी है। आप फ़रमाते हैं—"हम मुसलमान चाहते हैं कि हम वाक़ियान मुल्क के साथ मिल कर काम करें और हिन्दोस्तान का इन्तज़ाम करके दिखाएँ कि किस तरह हम बग़ैर कॉङ्ग्रेस के भी ज़िन्दा रह सकते हैं।" आमीन! आमीन!! अजी जनाब, हमारे मौलाना दर्जनों कलवरियों के मुन्तज़िम रह चुके हैं। अगर वाक़ियान मुल्क के साथ मिल जाएँ तो वल्लाह क़ारूरे में क़ारूरा मिल जाए और ऐसा इन्तज़ाम हो कि सारा देश सातवें आसमान पर पहुँच जाए।

❀ ❀ ❀

आशा है, मौलाना की यह जोशीली उक्ति सुन कर चचा चर्चिल फड़क उठे होंगे और मौलाना के स्वागत के लिए 'चेरी ब्लोसम' की मालाएँ तय्यार करवा रहे होंगे। और भावी ख़ानबहादुर की लिस्ट में आपका नाम भी दर्ज करा दिया होगा। तब तक मौलाना जहाज़ के गोरे और गोरियों से मिल कर ही अपना जीवन सफल कर लेते हैं। बड़ा मज़ा है। मौलाना की बाछें खिल गई हैं। आपने अपने पत्र के आरम्भ में ही अपनी इस ख़ुश-क़िस्मती का विशद वर्णन किया है। बक़ौल पण्डित अमृतलाल चक्रवर्ती, निलुआ तो एकदम नीलू बाबू हो गया!

❀ ❀ ❀

मौलाना साहब अपने ख़त में लिखते हैं—"मेरे चन्द वालण्टियरों की मौजूदगी ने सोने पर सुहागे का काम किया। हर मुसाफ़िर बड़ी तपाक से मिलता था, ख़ास कर अङ्गरेज़ और उनकी बीबियाँ। बक़ौल दाग़ मरहूम—

परियाँ भी तो मुश्ताक़ हैं, हूरें भी तो मुश्ताक़।
एक धूम मचा दी है, हमारी भी वफ़ा ने।"

फिर फ़रमाते हैं—"इनशा अल्लाह इस ग़ज़ल का मतला (प्रथम पद) भी ज़रूर सही साबित होगा—

"वह ईद को ख़ुद आए हैं मिलने के बहाने,
यह दिन तो दिखाया शबे फ़ुर्क़त की दुआ ने।"

देखा आपने? कैसी राज़ो नियाज़ की बातें हैं। मौलाना की बुढ़ौती सार्थक हो रही है। 'मुलतान' में ही बहिश्त के मज़े ले रहे हैं। बक़ौल बुढ़िया नानी के हम तो यही कहेंगे कि जैसे मौलाना के भाग जगे वैसे सात घर शत्रु के भी जगें।

❀

THE BHAVISHYA

Registered No. A—2085

'भविष्य' का चन्दा

वार्षिक चन्दा ... १२)

छःमाही चन्दा ... ६।)

तिमाही चन्दा ... ३।)

एक प्रति का मूल्य ।)

एक प्रार्थना

वार्षिक चन्दे अथवा फ़्री कॉपी के मूल्य में कुछ भी नुक़्ताचीनी करने में पहिले मित्रों को 'भविष्य' में प्रकाशित अलभ्य सामग्री और उसके प्राप्त करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टिपात करना चाहिए।

साप्ताहिक संस्करण

का

जुबली-नम्बर

तार का पता :
'भविष्य'

टेलीफ़ोन-नम्बर
२०५

इस अङ्क का मूल्य केवल ।।।) आना

पाठकों को "जुबली-नम्बर" पढ़ कर आश्चर्य अवश्य होगा, क्योंकि 'भविष्य' को प्रकाशित हुए ५० वर्ष नहीं ; बल्कि अभी केवल ५० सप्ताह ही हुए हैं। किन्तु 'भविष्य' के मित्रों, शुभचिन्तकों एवं बुज़ुर्गों ने दूसरे वर्ष का पहिला अङ्क "जुबली-अङ्क" के नाम से एक बृहत् विशेषाङ्क प्रकाशित करने का अनुरोध किया है, जो बाध्य होकर संस्था के प्रवर्तकों को स्वीकार करना पड़ा; अतएव निश्चय यह किया गया है, कि 'भविष्य' का ५१वाँ अङ्क विशेषाङ्क के रूप में प्रकाशित किया जाय, शायद पाठकों को बतलाना न होगा कि 'भविष्य' का प्रत्येक सप्ताह उसके लिए एक वर्ष का सुदीर्घ काल सिद्ध हुआ है और इसलिए यदि हम ५० सप्ताहों को ५० वर्ष के समान मान कर अपने हृदय को साध पूरी कर लें तो इसमें हानि ही क्या है? किन्तु यह विशेषाङ्क हम इतना सुन्दर प्रकाशित करना चाहते हैं, जितना सुन्दर एवं महत्वपूर्ण अङ्क आज तक भारत में कभी भी प्रकाशित नहीं हुआ ; किन्तु सारे साधनों को एकत्र करने में थोड़े समय की भी ज़रूरत है और चूँकि पूरे एक वर्ष में 'भविष्य' ने एक सप्ताह तक की छुट्टी नहीं ली है (जबकि होली पर अन्य पत्र पूरे एक सप्ताह की छुट्टी ग्रहण करते हैं, ठीक उसी समय हमने 'भविष्य' का कॉङ्ग्रेस-अङ्क पाठकों को भेंट किया था) इसलिए हम दो सप्ताह की छुट्टी भी लेना चाहते हैं ; अतएव ५० अङ्क पूरे करके साप्ताहिक 'भविष्य' नाम-मात्र के लिए दो सप्ताह की छुट्टी ग्रहण करेगा और इसका ५१वाँ अङ्क

'जुबली-अङ्क' के नाम से एक बृहत् विशेषाङ्क

के रूप में प्रकाशित होगा। इस विशेषाङ्क में लगभग १०० पृष्ठ, सैकड़ों चित्र तथा कार्टून (कुछ चित्र आर्ट पेपर पर) भी रहेंगे। कवर तिरङ्गा होगा। नया कवर, नया टाइप, ठोस पाठ्य सामग्री तथा अनेक महत्वपूर्ण बातें इस विशेषाङ्क में पाठकों को मिलेंगी। छपाई-सफ़ाई दर्शनीय होगी। मूल्य लागत मात्र

केवल बारह आना होगा

किन्तु जो लोग 'भविष्य' (साप्ताहिक संस्करण) के ग्राहक हैं, उन्हें तथा जो विशेषाङ्क प्रकाशित होने के पूर्व ही स्थायी ग्राहकों की श्रेणी में चन्दा पेशगी भेज कर नाम लिखा लेंगे, उन्हें यह विशेषाङ्क उनके चन्दे में ही दिया जायगा।

यदि आप स्थायी ग्राहक नहीं हैं तो शीघ्र ही अपना नाम लिखा लीजिए।

एजण्टों तथा विज्ञापनदाताओं को तुरन्त अपना ऑर्डर रजिस्टर करा लेना चाहिए।

'चाँद' के विशेषाङ्क के लिए, जो आगामी नवम्बर (दीपावली) के अवसर पर "राजपूताना-अङ्क" के नाम से एक बृहत् विशेषाङ्क प्रकाशित होगा, तथा 'भविष्य' के "जुबली-अङ्क" के लिए, ग्राहकों की सुविधा को दृष्टि में रख कर अभी से कूपन छपा दिए गए हैं। ये कूपन 'भविष्य' की समस्त एजन्सियों द्वारा अथवा इस संस्था की शाखों द्वारा अभी से ख़रीद कर अपनी कॉपी रिज़र्व करा लीजिए, नहीं तो मिलना कठिन हो जायगा।

"तुरन्त अथवा कभी नहीं" का प्रश्न है !!

व्यवस्थापक "भविष्य" चन्द्रलोक, इलाहाबाद

Printed, Published and Edited by Shrimati Lakshmi Devi, at The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad